THE BOOK WAS DRENCHED

UNIVERSAL
LIBRARY
OU_176323
UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H/133.3 Accession No. H/1266

Author S96D

Title

This book should be returned on or before the date last marked below.

धर्म-पालन

१७ जून १९४७ से ३० अगस्त १९४७ तक के
नई दिल्ली में प्रार्थना के समय दिये गए
गांधीजी के प्रवचन

[दूसरा भाग]

१९४७
सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री
सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

पहली बार : १९४७

मूल्य
एक रुपया

मुद्रक
देवीप्रसाद शर्मा
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस
नई दिल्ली

विषय-सूची

१.	उपवास का भी शस्त्र होता है	१
२.	सीमा-प्रांत में मत-संग्रह क्यों ?	५
३.	प्रार्थना का महत्त्व	१०
४.	स्वदेशी को भूल गये !	१५
५.	शरणार्थियों के बीच	२१
६.	न कोई ऊँचा हो न नीचा	१४
७.	'आत्मा ही आत्मा का बन्धु है'	२६
८.	जो आज का धर्म है वही श्रेयस्कर है	३०
९.	अहिंसा में असीम खुशबू भरी पड़ी है	१२
१०.	नैतिकबल के आगे पशु-बल कुछ नहीं	३६
११.	धर्म-पालन बनाम अधिकार—१	४०
१२.	,, ,, —२	४४
१३.	आत्मा की आवाज़ के खिलाफ़ काम न करें	४८
१४.	अपनेमें कोई ग़लती न रहे	५१
१५.	हिंदी-उर्दू का संगम	५४
१६.	"पानी में भी मीन पियासी"	५७
१७.	राम-राज्य के आसार नहीं	६०
१८.	हम परीक्षा में सफल हों	६४
१९.	'तमसो मा ज्योतिर्गमय'	६९
२०.	बटवारे से कोई खुश नहीं	७२
२१.	अंग्रेजों की नीयत साफ नहीं	७५
२२.	विश्व-शांति के लिए अहिंसा ही एक मात्र उपाय है	७८
२३.	अब भी इन्सान बनें	८१
२४.	'यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे'	८५
२५.	पदों के लोभी न बनो	८७
२६.	हम किसी के दास नहीं बनेंगे	९१
२७.	हरेक को खुश करना संभव नहीं	९६

२८. कांग्रेस का विभाजन न हो ९९
२९. हम खुशी से एक होकर रहें १०२
३०. जहां हरिजन नहीं जा सकते वे मंदिर नापाक हैं १०६
३१. मेरे लिए सब समान है ११०
३२. हम शराफत क्यों छोड़ें ? ११४
३३. अभी सच्ची आजादी नहीं आई ११८
३४. यह आज़ादी कैसे मनाएं ? १२१
३५. भगवान अज़ादी की मिठास चखने का मौका दें १२५
३६. हमारा आलस्य और स्वार्थ १२९
३७. नैतिक मदद १३१
३८. गो-वध कैसे बन्द हो ? १३५
३९. हड़ताल तो अन्तिम अस्त्र है १३०
४०. दिल में जहर न रखे रहें १४४
४१. कुछ प्रश्नोत्तर १४६
४२. काश्मीर का सवाल १४९
४३. स्वराज्य का ठीक उपयोग करें १५३

: १ :

उपवास का भी शास्त्र होता है

नई दिल्ली, १७ जून १९४७

आज प्रार्थना में गुरु नानक का यह भजन गाया गया था:—

बिसर गई सब तात पराई,
जब ते साधु संगत पाई।
नहीं कोई बैरी नहीं बेगाना,
सकल संग हमरी बन आई—
बिसर गई०

प्रार्थना के बाद अपना प्रवचन शुरू करते हुए गांधीजी ने कहा—

"आजकल जो भजन गाये जाते हैं उन्हें पसन्द करने में मेरा हाथ नहीं होता। पर ठीक वही भजन आता है जो मौके का होता है। आज के भजन में कहा है कि जब साधु की संगत मिल जाती है तब हम परायापन भूल जाते हैं और तब कोई बैरी या बेगाना नहीं होता।

"आजकल हमें इसी बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो मेरे पास आता है, यही कहता है 'तुम कितना भी चीखो, यह अलगाव तो रहने ही वाला है। दोनों ही अपने-अपने दायरे को कस-कर मजबूत बनाये बिना नहीं मानेंगे।' यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर भी मुझे उससे परेशानी नहीं है। मैं तो कहता ही रहूंगा कि जो हो गया है सो भले हो गया, लेकिन हमें उस पर मोहर लगाकर उसे पक्का नहीं करना है।

"आप जानते हैं कि कल जब हमारी प्रार्थना पूरी हुई तब एक भाई ने प्रश्न किया था। पर मैंने उससे कहा था कि लिख कर मेरे पास उसे भेज देना। आज मैं उस प्रश्न का जवाब दूंगा। उसने लिखा है— 'अगर पाकिस्तान नहीं टूट जाता है तो मैं और मेरी धर्मपत्नी-दोनों फाका करके मर जायेंगे। और फाका भी यहां (वाल्मीकि मंदिर में) पड़े-पड़े करेंगे।'

"फाका करना है तो पहले मैं करूं। हर चीज का शास्त्र होता है। यानी उसके करने के कानून अथवा पद्धति होती है। चर्खे जैसी छोटी चीज का भी शास्त्र होता है। पहले हम उसको नहीं जानते थे, लेकिन अब उसका शास्त्र बन गया है। तब हमें चर्खे की शक्ति का पता चला है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि सारी दुनिया उसके द्वारा आज़ाद होगी। 'एटम बम' से दुनिया आज़ाद नहीं होगी। दुनिया में शास्त्र दो प्रकार के हैं। एक सात्विक और दूसरा राजसी। यानी एक धार्मिक और दूसरा अधार्मिक। 'एटम बम' का शास्त्र धर्मवाला नहीं हो सकता। वह ईश्वर को नहीं मानता बल्कि वह खुद ही ईश्वर बन जाता है।

"इसी तरह फाका का भी शास्त्र होता है। बगैर तरीके से फाका करने में धर्म नहीं होता। अगर कोई कहे कि जब तक ईश्वर मेरे सामने नहीं आयेगा तब तक मैं भूखा रहकर मर जाऊंगा तो वह मर भले ही जाय, पर ईश्वर उसे दिखेगा नहीं।

"सार्वजनिक अनशन का भी एक शास्त्र है और उसको जानने वाला मैं हूं। यद्यपि मैं भी उसे पूरा नहीं जानता, पर सबसे ज्यादा मैं ही उसे जानता हूं, गोया 'ऊजड़ देश में अरंड भी पेड़ कहा जाय', वाली मेरी स्थिति है। मैं इस अनशन को धार्मिक अनशन नहीं मान सकता। इसका असर मेरे दिल पर कुछ असर होने वाला नहीं है। दुनिया की भी इसके साथ हमदर्दी नहीं हो सकती। इसलिए मैं तो दोनों से कहूंगा कि आप फाका छोड़ दें और अपने घर जायं।

"लेकिन घर जाकर क्या करें ? चुप बैठ जायं ? नहीं चुप बैठने की बात नहीं है। हमें अपने मन में यह बात आने ही नहीं देनी है कि

हम अलग-अलग हो गये हैं। हम अपने दिल में पाकिस्तान मानें ही नहीं; किसी को अपना वैरी न समझें किसी को बेगाना या पराया न मानें।

"और यह सब साधु संगत से हो सकेगा यानी हम सद्ग्रंथ पढ़ें। बुरे विचार छोड़ें। ऐसा तभी हो सकेगा जब हम अपने चित्त को कुविचार से खाली करेंगे। आसानी से चित्त के कुविचार टल नहीं सकते। राम-नाम लेने से ही वह खाली हो सकता है।

"लेकिन आजकल हमारा चित्त तो किस्म-किस्म के उपभोग को-सोचता रहता है। हम राम को नहीं याद करेंगे। हम सिगार को याद करेंगे-और सिगार के लिए मैं क्या कहूं— लेकिन हालत यही है कि हमारा ध्यान गलत बातों पर जाता है। लोग जोर-जोर से कहे ही जाते हैं कि हम मुसलमानों की खबर ले लेंगे। और इस तरह हम खुद पाकिस्तान को पक्का बनाने की पैरवी करते हैं।

"पाकिस्तान जिना ने नहीं बनाया है। हमें स्वप्न में भी खयाल नहीं था कि जिना पाकिस्तान बना पायेगा। पर वह बहादुर आदमी है। अंग्रेजों की मार्फत उसने पाकिस्तान प्राप्त कर ही लिया। लेकिन हम अगर अपने दिल में उसे न मानें और यह कहें कि मुसलमानों को अब हम देख लेंगे? तो उससे वह पाकिस्तान मिट नहीं जाने वाला है।

"इसका मतलब यह नहीं कि मैं मुसलमानों की खुशामद करने के लिए आपसे कहता हूं। हम अपने घर में छोटे भाई की खुशामद नहीं करते। उनके प्रति जो अपना धर्म है उसका पालन करते हैं और उसका विश्वास कमा लेते हैं।

"आपको अखबार से पता चला होगा कि आज मैं वायसराय के पास गया था। वायसराय ने मुझसे पूछा कि 'तूने अखबार देखा?' मैंने कहा 'मैं अखबार कम देख पाता हूं'। तब उन्होंने कहा 'हमने आज एक अच्छा काम कर लिया है। विभाजन के प्रश्न पर हिन्दुओं की और मुसलमानों की अलग-अलग रिपोर्टें वायसराय के पास पहुंचीं और वाय-सराय ने दोनों दलों को मिलकर एक रिपोर्ट बनाने के लिए राजी कर लिया।

"मैं तो कहता हूं कि जब भाई-भाई का बंटवारा होना तय हो जाय तो फिर वह रूठ-खीजकर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि घर मे जब एक कुर्सी है तो उसकी टांग तोड़कर या टुकड़े करके उसे बांट लें। अगर हमारा एक चौथाई और तीन चौथाई बंटवारा होना है तो सारे आंकड़े समझदारी से निकालने होंगे।

"इसलिए एक समिति बनाकर यह जो अच्छा काम किया गया है उसका सिलसिला बराबर चलता रहना चाहिए। केवल मुस्करा देने से भर से अच्छाई साबित नहीं हो जाती। अगर यह जबानी मिठास ही नहीं है पर सचमुच मिल-जुल कर काम किया जाना है तब तो मैं कहूंगा कि भले पाकिस्तान आया। और तब वायसराय को तकलीफ देने की बात ही नहीं रहेगी। वायसराय को अपना दफ्तर बन्द करना होगा। तब हम सरकारी अफसरों, जो इस काम को जानते हैं, से कहेंगे—आप इकट्ठे बैठकर दोनों दलों को संतोष हो वैसी फेहरिस्त बना दें। जहां हिसाब से काम बने हिसाब से बंटवारा कर दीजिये, जहां हिसाब से बंटवारा ठीक न बैठे वहां पर्ची डालकर फैसला कीजिए; पर हम इस बात पर लड़ने वाले नहीं है। मेल से ही फैसला करेंगे। वायसराय को भी बीच में नहीं डालेंगे।

"तीसरी बात यह कि आज फिर मेरे पास त्रावणकोर के दीवान सर रामस्वामी का लम्बा-चौड़ा तार आया है, जिसमें मुझे समझाने की कोशिश की गई है कि उनके साथ वहां के ईसाई आदि भी हैं। पर ऐसे तार से मुझे बुरा लगता है। कड़वी चीज को मीठी बनाने से वह मीठी नहीं बन जाती। मूल से ही इनकी बात बुरी है। 'आ जाओ, हम तो आज़ाद हैं'। 'आप किससे आजाद हैं? रैयत से? लोग इस तरह भारत से आज़ाद होकर करेंगे क्या? आप इस तरह घुमा-फिरा-कर बात न करें। सीधी बात करें कि हिंदुस्तान के साथ हम हैं तब ही आप अपने राजा के प्रति सच्चे वफादार हैं नहीं तो बेवफा हैं।"

: २ :

सीमाप्रांत में मत-संग्रह क्यों ?

नई दिल्ली, १८ जून १९४७

प्रार्थना के बाद गांधीजी ने कहा:—

"आप लोगों को कल में बता चुका हूं। कि यहां एक भाई और उनकी पत्नी वाल्मीकि मंदिर के बाहर रास्ते पर उपवास कर रहे हैं। उन्होंने आज विनय से भरा पत्र मेरे पास भेजा है। पर मुझे खेद है कि उसमें समझदारी नहीं है। वे छोटे हैं मैं बूढ़ा हूं। अगर मैं कहूं कि ज्ञान की बात मैं कुछ जानता हूं तो उन्हें वह मान लेनी चाहिए। वे कहते हैं कि आपकी बात हमें लगती तो ठीक है, पर हमारा अन्तरात्मा नहीं मानता, इसलिए हम उपवास छोड़ने में मजबूर हैं।

"आप लोगों ने तिलक महाराज की प्रसिद्ध पुस्तक 'गीता-रहस्य' का नाम सुना होगा। उसमें इतना ज्ञान भरा है कि उसके अनेक पारायण करने चाहिए। मैंने वह यरवदा जेल में पढ़ी थी। यह बात सही है कि मैं उनकी सभी बातों से सहमत नहीं हूं, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि तिलक महाराज बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने संस्कृत साहित्य का बहुत गहरा अध्ययन कर लिया था। उनकी वह गीता पढ़े हुए मुझे बहुत समय हो गया इसलिए उनके ठीक शब्द मुझे याद नहीं हैं। पर उनके लिखने का भावार्थ में बताऊंगा। वह बात मुझे बहुत ठीक लगती है।

"उन्होंने एक जगह कहा है कि अंग्रेजी भाषा में अन्तरात्मा के लिए 'कान्शन्स' शब्द अच्छा है। पर जब यह कहा जाता है कि हम अपने 'कान्शन्स' के मुताबिक चलते हैं तब इसका सही अर्थ यह नहीं होता कि

हम अन्तरात्मा के कहने पर चलते हैं। हमारे वैदिक धर्म के मुताबिक 'कान्शन्स' सभी में (जड़-चेतन में) होती है। पर बहुतों की 'कान्शन्स' सोई हुई रहती है; अर्थात उनकी अंतरात्मा मूढ़ अवस्था में होती है। तो उस अवस्था में उसे कान्शन्स कैसे कहा जाय ? हमारे धर्म के अनुसार मनुष्य की अंतरात्मा तब जागृत होती है जब यमनियमादि का पालन और दूसरी भी बहुत-सी चेष्टा आदि करें। तिलक महाराज की इस बात को मैंने पचा लिया है। शास्त्र की जो चीज हम पचा सकें वही सार्थक है। जैसे, वही आहार हमारे लिए सार्थक बनता है जिसका हम रक्त बनायें। तो तिलक महाराज की इस बात को मैंने पचा लिया है, जिसके जरिये कौन सी आवाज अंतरात्मा की है और कौन सी नहीं उसकी परख मैं कर लेता हूँ। कोई चोर यह कहे कि मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा कि अमुक लड़के को मार डाल, उसके हाथ-पैर काट ले और उसके जेवर लूट ले तो वह अंतरात्मा की आवाज नहीं, जड़ता है। आज कल तो हम भी जड़ बने हैं न ? हमें वही सूझ रहा है कि हम मासूम बच्चों को मार डालते हैं। पर वह कोई अंतरात्मा की आवाज़ नहीं होती।

"दूसरी बात यह कि मैं उपवास सिखाने वाला आचार्य हूं। कुछ जैन लोग किसी चीज को न पाने तक के लिए अनशन कर लेते हैं। उन्हें समझाकर मैंने उनका अनशन तुड़वाया है। अभी स्व० धर्मानन्द कोसांबी जी की बात भी मैंने बताई थी कि उन जैसे विद्वान तक ने मेरे कहने पर अनशन छोड़ दिया था। और काका साहब कालेलकर जो यहां आये हैं, वे कहते हैं कि कोसांबीजी ने अपने स्वर्गवास के पहले कहा था कि गांधी ने अनशन छोड़ने की बात ठीक ही कही थी। तो जब मैं, अनशन का आचार्य कह रहा हूँ कि वे पति-पत्नी अनशन छोड़ दें तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। तीन दिन का अनशन बहुत हो गया है। अब वे मान जायं।

"आपने अखबार में देखा होगा कि मैं कल जिना साहब से मिला था। यह बात मैंने आपको नहीं बताई थी क्योंकि पहले से मिलने की

बात थी ही नहीं। जब मैं वहां था तब वायसराय ने मुझसे कहा कि जिना साहब यहां आ गये हैं, उनसे मिल लो। तो मैं मना कैसे करता? मैं वह आदमी रहा जो जिना के घर भी चला जाता है। हम मिले और यह ठहरा कि बादशाह खान भी मिलें तो अच्छा। और कल शाम को तो हमें फिर वायसराय के पास जाना था। पर बादशाह खान तो मिस्कीन आदमी ठहरे। वे गरीबों की सी मोटर में बैठकर देवबन्द चल दिये। इसलिए वहां से लौटकर आने में उन्हें तीन घंटे के बजाय पांच घंटे लग गये और हम कल शाम वायसराय के पास नहीं जा सके।

"आज वायसराय चले गए पर उनके दिल में था कि हम मिलें तो अच्छा। सो लार्ड इज्मे के पास हम साढ़े चार बजे गए। इसका नतीजा यह हुआ कि बादशाह खान जिना साहब के घर पर उनसे मिलने गये हैं और अभी वे वहीं पर हैं।

"इस पर भी हम बड़ी लम्बी-चौड़ी आशायें न बना लें कि चलो अब सब भला हो गया। पर पाकिस्तान का जो जख्म हो गया है उसके और भी गहरा हो जाने से रुकने की आशा तो हम कर सकते हैं। हमारा काम तो प्रयत्न करने का है, इसलिए बादशाह खान कायदे-आजम के मकान पर चले गये हैं। लेकिन फल देना ईश्वर के हाथ की बात है। हम प्रार्थना करें कि अच्छा परिणाम आ जाय।

"और वह अच्छा परिणाम कौन-सा हो सकता है? सीमाप्रांत में जो सब पठान हैं वे एक हो जायं। पठान तलवार बाज होता है। कोई पठान ऐसा नहीं होता जो तलवार और बंदूक चलाना न जानता हो। पीढ़ी-दर-पीढ़ी पठान खून का बदला लेता रहा है। पर बादशाह खान ने देखा कि हथियारों की बहादुरी से भी ज्यादा बुलंद मरकर स्वरक्षा करने में है। बादशाह खान का खयाल था कि पठान लोग यह ऊंची बहादुरी अपना लें और एक होकर सबकी खिदमत करें। पर यह ख्वाब पूरा होने से पहले वहां यह जनमतसंग्रह का झगड़ा फैल गया।

"कुछ कहेंगे हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, कोई कहेंगे कि कांग्रेस के साथ रहेंगे। और कांग्रेस तो आज बदनाम है कि वह हिन्दूओं की हो

गई। इस बात पर पठान अलग-अलग होंगे और ऐसी यादवस्थली मचेगी कि जो और किसी के दबाये नहीं दब सकी। वे आपस में कट मरेंगे। बादशाह खान चाहते हैं कि किसी तरह से जनमतसंग्रह की बला से छूटकर पठान आजाद रहे। वे खुद अपने कानून बनावें और एक रहें। फिर चाहे वे पाकिस्तान में रहें चाहे हिन्दुस्तान में मिलें। वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम तो मिस्कीन आदमी हैं। हम अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना नहीं चाहते पर किसमें मिलेंगे इसके बारे में आपसी झगड़ा मिट जाने के बाद ही हम निश्चय करेंगे।

"फिर जो हिंदू भागकर हरद्वार आये हैं यह भी डा० खान साहब को बहुत चुभता है। इसलिए बादशाह खान सीमाप्रांत के हिंदुओं को वापस लौटाना चाहते हैं। सीमाप्रांत में भी अभी बहुत से हिन्दू हैं जो गरीब हैं और कहीं जा नहीं सकते। उन सबको तसल्ली तभी मिल सकती है जब जनमतसंग्रह का यह झगड़ा खत्म हो। इसलिए बादशाह खान कायदे आज़म के पास मिलने के लिए चले गए हैं। पता नहीं वहां से क्या करके लाते हैं। हम इबादत करें की अच्छा ही हो।

"तीसरी बात यह कि आज फिर ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब आये थे। वे कहते हैं कि अब तो पाकिस्तान बन गया है तब राष्ट्रीय मुसलमानों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

"ख्वाजा साहब अपने को अच्छा मुसलमान होने की वजह से वैसा ही अच्छा हिंदू बताते हैं जैसा कि मैं अपने को अच्छा हिन्दू होने की वजह से अच्छा मुसलमान बताता हूँ। गोया हरेक अच्छा धार्मिक आदमी दूसरे सभी धर्म वालों के बीच पूरी इज्जत पाने का हकदार है। और उन्होंने यह कहा कि अब पृथक निर्वाचन खत्म हो जाने चाहिए। हम दुनिया की नजरों में हिंदुस्तान यूनियन में एक बनकर रहना चाहते हैं। धर्म अलग हो पर कानून की दृष्टि में सभी हिन्दुस्तान में रहना चाहते हैं और यूनियन के प्रति जो वफादार रहता है उसे उसकी योग्यता के आधार पर सभी हक होने चाहिए जो हरेक हिन्दुस्तानी को हों।

"मैंने उनसे कहा कि आपको वे सब हक मिलेंगे ही। अगर दूसरे

नहीं तो हम दो तो हैं ही जो एक दूसरे को पूरा धार्मिक और अच्छा मानते हैं। धर्म के कारण किसीका हक नहीं छीना जायेगा यह हम देखेंगे। पर यह भी हमें देखना है कि धर्म के नाम से ज्यादा रिआयत देना भी अच्छा नहीं होगा।

"एक बार जिना साहब ने ऐसा ही किया था। कभी वे १४ शर्तें पेश करते थे, उससे पहले उनकी ११ शर्तें थीं और फिर १४ हुईं। फिर २१ हुईं और फिर एक–पाकिस्तान वाली शर्त हुई। लेकिन अब कोई ऐसा नहीं कर सकेगा। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। उसमें सब आज़ादी से रहें। जो हिन्दुस्तान में वफादारी से रहना चाहें उन सबको हिन्दुस्तान में स्थान है।"

: ३ :

प्रार्थना का महत्त्व

नई दिल्ली, १९ जून १९४७

प्रार्थना के बाद गांधीजी ने कहा :—

"कल प्रार्थना-सभा की समाप्ति के बाद एक सज्जन ने मुझसे एक प्रश्न किया था। मैंने उनसे कहा था कि आप लिखकर दे दें। उन्होंने लिखकर भेज दिया। लेकिन वह पर्ची जेब में पड़ी रहने के कारण कपड़ा धोने के समय धुल गई और जब वह मेरे पास पहुँची तब वह पढ़ी नहीं जा सकती थी। यह मेरे लिए शरम की बात है, पर प्रश्नकर्त्ता यहां मौजूद नहीं है; इसलिए मैं क्षमा किससे मागूं ?

"तीन चार दिन से पाकिस्तान के विरोध में जो दंपति उपवास कर रहे थे, उनके बारे में कल जब मैंने यहां कहा था, उसे सुनकर पहले तो उन लोगों को बुरा लगा कि 'मैं अपने को उपवास के शास्त्र का आचार्य कैसे कहता हूं ? इतना घमंडी क्यों बनता हूं ? लेकिन मैं रात को नौ बजे उनसे कुछ देर के लिए मिला और मैंने उन्हें समझाया 'जो आदमी पांच फुट ऊंचा है वह अगर कहे कि मैं पांच फुट का हूं तो इसमें घमंड की क्या बात है ? उनका वह क्षणिक जोश था। फिर वे समझ गये कि हिन्दुस्तान के टुकड़े हो गये यह बात हम दिल में मानें ही नहीं, और यह उपवास करने से अच्छा है। और दूध-फल लेकर उन्होंने अपना उपवास छोड़ दिया। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि 'यह तो बताइये कि हम अनर्थ का साथ कैसे दें ?' तब मैंने कहा— 'अनर्थ से जो लाभ मिल सकता है उसे छोड़ दें'। हम किसी के साथ जबर्दस्ती

न करें। अनर्थ के काम का कोई लाभ न उठावें यही अहिंसक युद्ध का राज-मार्ग है। इसी का नाम असहयोग है।

"यह सहज प्रश्न है कि बादशाह खान कल जब जिना साहब के पास गये थे तब मैंने कहा था 'कि हम प्रार्थना करें' तो उस प्रार्थना का फल हमें क्या मिला? इस सिलसिले में अखबारों में जिना साहब ने जो कुछ निकाला है उससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। उन्होंने जो कहा है कि दोनों की बातें मुहब्बत से हुईं यह अच्छा है। मुहब्बत से बात न करते तो क्या लड़ने लगते? पर नतीजा क्या निकला? कहते हैं कि नतीजा तो तब निकलेगा जब बादशाह खान सरहद से समाचार भेजेंगे। यह तो कोई नतीजा नहीं हुआ। लेकिन कल जो प्रार्थना हम करते हैं उसका नतीजा आज मिल जाय ऐसा थोड़ा होता है? ऐसा जो कहे वह भगवान को जानता ही नहीं है। ईश्वर तो निराकार और निरंजन है। उसकी प्रार्थना का महत्त्व मैं आज थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ।

"ईश्वर की प्रार्थना का फल नहीं मांगा जा सकता। और न उसकी प्रार्थना छोड़ी ही जा सकती है, खाने-पीने का उपवास भले ही हम करें—समय-समय पर करना भी चाहिए—पर प्रार्थना का फाका नहीं हो सकता। हमें आखरी सांस तक राम को भजना चाहिए। आज के भजन में कबीरजी ने कहा है न, 'साहब मिले सबूरी में'। वह धैर्य, वह सबूरी हमे नाम-स्मरण से ही मिल सकती है। शरीर की खुराक जैसे अन्न है वैसे शरीर में पड़े आत्मा की खुराक राम-नाम है। गायत्री-पाठ, संध्या-वंदन, नमाज आदि का समय होता है। राम-नाम के लिए तो समय ही नहीं होता। जिसके सांस के साथ राम-राम का जाप चले उसकी खैर। ऐसा करने वाला आदमी १२५ वर्ष जिन्दा रह सकता है। अगर मैं १२५ वर्ष से पहले मर जाऊं तो आप कह सकते हैं कि मैं उस स्थिति तक नहीं पहुँच पाया हूँ, जिसे मैंने बताया है। मैं चाहता हूँ और कोशिश में हूँ कि दिन-रात सांस के साथ राम-राम कहता रहूं।"

इसके बाद गांधीजी ने हनुमानजी और सीताजी वाली वह कथा

सुनाई जिसमें हनुमानजी ने सीताजी की दी हुई माला के मोती में राम को खोजने के लिए एक-एक करके उन्हें चबाकर फेंक दिया था और कारण पूछने पर हनुमानजी ने अपना हृदय चीर कर राम दिखा दिया था।

"इस कथा को याद करके अगर मैं हनुमान जैसा भी बन जाऊं तो फिर पूछना ही क्या? तो फिर मेरा भी शरीर पहाड़ जैसा हो। शरीर की बात छोड़ो, आत्मा तो उससे भी ऊंचे पहाड़ के समान दृढ़ होना चाहिए। यह सब कहना आसान है करना कठिन है। मैंने आपके सामने वह आदर्श रख दिया। अगर आज उस तक हम न पहुँच सकें तो उसकी ओर कुछ-न-कुछ प्रगति तो करें। तो हम ऐसा न कहें कि 'बादशाह खान गये और कुछ हाथ नहीं आया तो प्रार्थना क्यों करें?' हम फल न देखें। पृथ्वी में कोई कार्य ऐसा नहीं होता जिसका फल न हो। और प्रार्थना तो सबसे उत्तम कार्य है। इसलिए अगर हम मन्दिर जाते हैं, माला पहनते हैं, जो थोड़ा सा ढोंग भी होता है, तो उसके पीछे भी अन्त में अच्छाई आने वाली है, यह विश्वास रखें।

"मैं परसों हरद्वार जाऊंगा। मेरे साथ जवाहरलाल जायेंगे। वे तो युक्तप्रांत में अद्वितीय हैं। आज तो वे सारे हिन्दुस्तान में भी अद्वितीय हो रहे हैं। हमारे सामने पेचीदा प्रश्न है। वहां हजारों आश्रित पड़े हैं, उनके लिए क्या करें? बेकार में किसी को खाना देने के मैं विरुद्ध हूँ। हम जो खाना खाते हैं उसका बदला हमें चुकाना ही चाहिए। ईश्वर का यह कड़ा नियम है कि जो काम करे वह खाना खाय। बिना काम किये कोई न खाय। इसलिये उन आश्रितों को भी मैं कहूँगा कि उन्हें काम करना जरुरी है। वैसे तो जितनी शीघ्रता से हो सके, उन्हें घर लौट जाना चाहिए।

"परन्तु जो वाकये वहां हाल में हो गये हैं उन्हें देखते हुए मैं उन्हें मृत्यु के मुंह में जाने के लिए नहीं कह सकता।

"लेकिन मुस्लिम लीग को मैं कहूँगा कि अपने पाकिस्तान में उन सभी लोगों को सजा देने का इंतजाम करें जिन्होंने गुनाह किया है।

में यह नहीं कहता कि गाली के बदले में गाली दी जाय और पिटाई के बदले में पीटा जाय। लेकिन हकूमत का फर्ज है कि अपने यहां के सब लोगों की चाहे वे विधर्मी ही हों, रक्षा करें। ऐसा तो वे कहते हैं कि आओ। पर वे जायं और फिर मार खाने की बात हो तो वे कैसे लौटें? इसलिए वहां की हकूमत को ऐलान करना चाहिए कि वह गुनाह करने वालों को सजा देगी और जनता की रक्षा का पक्का बन्दोबस्त करेगी। यह ऐलान कहने भर का न हो। ऐसा हो जिस पर हम भरोसा कर सकें। वे कहें कि पहले आपको खाना खिलायेंगे फिर हम खुद खायेंगे। और विधर्मी को भी वे सभी हक हैं जो हमारे यहां मुसलमान को हैं। तो फिर मैं एक भी दिन शरणार्थियों को हरिद्वार में रुके रहने नहीं दूंगा।

"जब वायसराय ने उनसे पूछा कि यह तो बताओ 'आप अलग जो हो रहे हैं, तो भाई की तरह या दुश्मन की तरह' ? तब उनके चारों प्रतिनिधियों ने कहा था 'हम भाई-भाई की तरह ही अलग होने वाले हैं। अगर यह बात सिर्फ वायसराय के कमरे तक ही सीमित रह जायेगी, इसका अमल रोज के काम में न होगा तो उन चारों ने और वायसराय ने भी फरेब किया है ऐसा कहना होगा। इसलिए वे आज ही अपना भाईपना दिखलावें। चार महीने के बाद तक रुके रहने की क्या जरुरत !"

अन्त में बादशाह खान की बात बताते हुए गांधीजी ने कहा—"आज उनके प्रान्त में यह बात पैदा करदी गई है कि दो बक्सों में से एक बक्से में पर्ची डालो। चाहे पाकिस्तान वाले में चाहे हिन्दुस्तान वाले में। और हिन्दुस्तान में उन्हें बिहारवाला हिन्दू राज बताया जाता है। इस आबोहवा में कोई मुसलमान नहीं कहेगा कि वह मुसलमान का साथ छोड़कर हिन्दू के साथ जायेगा। आज उनमें यह कहने का साहस नहीं है कि वह यह कहे कि बदमाश मुसलमान से शरीफ हिन्दू की सोहबत अच्छी है।

"इस हालत में बादशाह खान कहते हैं कि वे अपने सूबे को सबसे पहले स्वतन्त्र सूबा बनाना चाहते हैं। यानी हिन्दुस्तान या पाकिस्तान

से न मिलकर पठान-पठान आपस में मिल जांय और अपना कानून और अपना विधान बना लें।"

इस बात पर कांग्रेस को सलाह देते हुए गांधीजी ने कहाः–– "कांग्रेस को पठानों से यह कह देना चाहिए कि वे अपना कानून बनाएं। आपके बनाये विधान में हम जरा-सा भी दखल नहीं देंगे। हां उतना दखल तो रहेगा जितना कि केन्द्र का बंधन मानने वाले दूसरे प्रांतों में हो सकता है। बाकी अंदरूनी सारा काम आप अपनी शरीयत के मुताबिक चलावें।

"इसी तरह लीग भी कहदे कि उसके जो दो चार सूबे होंगे वे अपने अंदरूनी इंतजाम में आजाद रहेंगे और सिर्फ अमुक-अमुक बात केन्द्र की चलेगी। गोया हमारे यहां दो केन्द्र अलग-अलग बनेंगे और हरेक सूबा अपने लिए आज़ाद होगा। तो फिर जन-मत संग्रह की जरूरत न रहेगी। और मैं भी पठानों से कहूंगा कि चूंकि आप लोग पाकिस्तान के पास हैं, इसलिए उन्हींके साथ रहें। आज मैं उन्हें यह नहीं कह सकता क्योंकि मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान कैसे चलने वाला है ?

"ऐसी धुंधली आबोहवा में वे जन-मत लेना चाहें तो लें पर फिर वह पाकिस्तान के मुकाबले हिन्दुस्तान के नहीं पर पाकिस्तान के मुकाबले में पठानिस्तान के लिए ही लिया जाय। इतनी सीधीसी बात ही मैं उनसे कहना चाहता हूं।"

: ४ :

स्वदेशी को भूल गये !

नई दिल्ली २० जून १९४७

प्रार्थना के बाद गांधीजी ने कहा—

"कल प्रातःकाल में हरिद्वार जाऊंगा और कल ही लौटने की उम्मीद है, इसलिए मोटर में ही रात हो जायगी। यहां प्रार्थना में मैं न रहूंगा। आप आना चाहें और प्रार्थना करना चाहें तो कर सकेंगे। मुझे वहां लोगों को आश्वासन देने के लिए जाना है। ज्यादा तो मैं क्या कर सकूंगा? पर धर्म समझ कर जाता हूं।

"आज इस छोटी लड़की (कु० मनु गांधी) के पास किसी ने एक पत्र भेज दिया था कि तू अगर कुरान की आयत बोलेगी तो तुझको मैं मार डालूंगा।

(पता चलाने पर मालूम हुआ कि आज सवेरे कु० मनु गांधी के पास डाक से एक पत्र पहुंचा कि शाम की प्रार्थना में तुम कुरान का पाठ मत किया करो। करोगी तो गोली से उड़ा दी जाओगी। गांधीजी ने और दूसरों ने इसे एक मजाक समझा और बात टाल दी। पर दोपहर में कु० मनु को टेलिफोन पर बुलाया गया और पूछा गया—"बोलो, तुमने क्या विचार किया"? "किस बारे में?" "प्रार्थना में कुरान बोलोगी?"। "हां जी, वह तो नियमपूर्वक बोलूंगी ही"। "तो गोली से मार दी जाओगी"। "बस, इतना ही।" "अच्छा, मानोगी नहीं?" "गरजने वाले मेघ कम बरसा करते हैं! पर आप अपना नाम तो बताइये?" बस टेलिफोन बन्द हो गया।)

आगे गांधीजी ने कहा— "इस तरह से किसी को धमकाना हमारी सभ्यता के अनुकूल नहीं है। और फिर मनु तो छोटी सी लड़की है। अगर वह कुरान बोलती है तो मेरे सिखाने पर बोलती है। मेरा गला ऐसा नहीं चलता कि मैं मधुरता से वह गा सकूं। अगर यह विनोद ही है तो भी छोटी लड़की से ऐसा मजाक कभी नहीं करना चाहिए।

"और कुरान की इस आयत के बारे में तो मैं काफी समझा चुका हूं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो खटकने वाली हो। उसका अर्थ मैं बता चुका हूं। और जिन मुसलमान मित्रों के साथ में उठता-बैठता हूं वे कहते हैं कि सच्चे दिल से जो यह प्रार्थना करे तो उसे शैतान नहीं सता सकता। इसी तरह राम-नाम की महिमा गाते हुए तुलसीदासजी ने सारी रामायण भरी है। और गायत्री मंत्र के बारे में भी हम लोग ऐसी भावना रखते हैं। तो जो प्रार्थना करे उस पर क्रोध क्या करना; धमकी क्या लिख भेजना? इस तरह करने का फायदा क्या? अगर फायदा है ही, तो इस तरह लिखने वाले को कोई फायदा होने वाला नहीं है। होगा तो उस लड़की को क्योंकि वह तो अब ज्यादा निर्भयता महसूस करती है।

"मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग आज स्वदेशी को भूल गये हैं। मैं शुरू से कहता आया हूं कि अगर हम विदेशी रीति-रिवाज अपनाते हैं तो स्वदेशीराज की बात करना बेकार है। आप ऐसी पश्चिमी तरीके की धमकी न दें। अपने में स्वदेशीपन रखें। जिससे हमें नुकसान हो, जिससे हम भूखे रहें वह स्वदेशी मनोवृत्ति नहीं है। वह परदेशी मनोवृत्ति है। पहले अगर कोई जरा भी परदेशी काम करता था तो मैं उसे बहुत डांटता था, लेकिन तब मेरा राज था। बन्दूक का राज नहीं, पर सारे मुल्क में प्रेम का राज था। अब मेरा वह सिक्का नहीं है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। हर जगह दौड़कर नहीं जा सकता। अगर आज भी मेरी आवाज़ हर जगह पहुंचे तो मैं वही कहूंगा जो ३२ बरस से कहता आया हूं। वैसे मैं ७८ बरस का हूं पर जवानी में दक्षिण अफ्रीका में मैं जलावतन रहा। वहां से लौटकर मैंने जो ३२

बरस तक बात सिखाई है उसका नतीजा यह है कि इस सारे काम को हम अपने हाथों मारने पर तुले हुए हैं; और विदेशीपन अपना रहे हैं। स्वदेशी वह है जो आत्मा को भाती है।

"मैंने सम्पूर्ण स्वदेशी की बात कही। उसका केन्द्र खादी ठहराया। उस समय हमारे पास राष्ट्रीय झंडा नहीं था। तब तीन रंग का ऐसा झंडा बनाया गया जिसमें हिंदुस्तान के सारे आदमियों का प्रतिनिधित्व आ गया। लेकिन इकट्ठे होकर करें क्या? बोलते रहें? ना। 'काम करें?' 'हां'। तो क्या काम करें। सूत कातें। और ऐसा समझकर हिंदुस्तान की महाशक्ति चर्खा को झंडे में हमने रखा। यह तिरंगा झंडा आज मृतप्राय हो गया है। अगर उसे हम हृदय में रखें तो बहुत ऊंचे उड़ सकते हैं।

"लेकिन आज तो हम खादी पहनते हैं या खादी टोपी पहनते हैं पर भीतर से तो पोल-ही-पोल रहती है। मैंने तब कहा,था बाहर का कपड़ा ही नहीं यहां की मिलों का कपड़ा भी हमारे लिए परदेशी है। कपूर जो हम यहां पैदा नहीं कर सकते और जो बहुत काम का और उपयोगी है,उसे जापान से मंगावें तो उसमें परदेशीपन नहीं है। लेकिन जो यहां पैदा कर सकते हैं उसे जापान से मंगावें तो वह हमारे लिए जहर है। जबकि हमारे यहां करोड़ों आदमी पहले अपना कपड़ा बनाते थे खुद ढके रहते थे और जहाज के जहाज भरकर बाहर भी भेजते थे। उन्होंने अब कौन-सा गुनाह किया है कि वे अपनी कपास तो विदेशों में भेज दें और उसीमें से विदेशों से जो कपड़ा बनकर आवे, वह यहां की रुई के दामों से भी सस्ता बिके। इसके पीछे क्या-क्या कारगुजारियां चलती है वह कोई सुने और समझे तो उसके रोंगटे खड़े हो जायं।

"उस जमाने में हमने विदेशी कपड़े के पहाड़ चिन-चिनकर जला दिये थे। और कोई यह नहीं कहता था कि इससे राष्ट्र की निधि बरबाद हो रही है। श्रीमती नायडू ने अपनी पेरिस की साड़ी जला दी थी और स्व० मोतीलालजी ने भी अपने विलायती कपड़ों पर दियासलाई लगादी थी। उनके पास तो अल्मारी की अलमारियां भर के विदेशी कपड़े थे।

इसके बाद जब वे जेल गये तब उन्होंने मेरे पास एक खत भेजा था— आज वह खत में खोज नहीं सकता— पर उसमें था कि में सच्चा जीवन अभी जी रहा हूं। आनन्दभवन में मेरे पास जो समृद्धि थी उससे मुझे यह सुख नहीं मिलता था। वहां उन्हें सिगार, शराब, गोश्त कुछ नहीं मिलता था, उनको पूरा भोजन भी नहीं मिलता था फिर भी उसमें उन्हें सुख मालूम दिया। सही बात है कि उनकी यह हमेशा नहीं चली। आदमी जो ऊंची उड़ान करता है वहा पर हमेशा टिक नहीं सकता। हम भी ऊंचे चढ़कर बारबार गिर जाते हैं। पर मनुष्य के लिए अपनी वह ऊंची उड़ान पुण्यस्मृति बन जाती है। कम-से-कम मेरे लिए तो ऐसा है ही। तो, क्या वह जमाना खराब था ? आज वह जमाना कहां चला गया ?

"आज तो जमाने ने एकदम पलटा खाया है। एक छोटे से भले व्यापारी ने मेरे पास पोस्टकार्ड भेजा है कि वह पुराना जमाना कहां गया ? आज तो हम सब स्वार्थी बने हुए हैं । हम व्यापारी तो स्वार्थी हैं ही, राजा भी स्वार्थी हैं; उनके दीवान भी स्वार्थी हैं। और ये अंग्रेज भी जाते-जाते इतने नखरे और इतना स्वार्थ क्यों करते हैं। वे इतनी लड़ाई कराते हैं और उसमें से अपने लिए पैसे पैदा करते हैं। अगर उन्हें जाना है तो मोह क्यों नहीं छोड़ते ? अपने जाने में सुगंध पैदा क्यों नहीं करते ? लेकिन अंग्रेज की क्यों कहें। कांग्रेसी भी स्वार्थी हो गये हैं। इन्हें क्या कहें ? समुद्र में आग लगी हो तो उसे कौन बुझायेगा ? नमक अगर अपना नमकीनपन छोड़ देगा तो रस कहां से आवेगा ? कांग्रेस ने इतना त्याग किया, इतनी लड़ाई की, वह उनका गौरव कहां गया ? अब तो वे लोग प्रधान बनना चाहते हैं, सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। मेरी राय में यह सारा का सारा परदेशीपन है।

"में सुन रहा हूं कि देशी मिलों के कपड़े की बिक्री पर हमारे देश में अंकुश है पर बाहर से आने वाले कपड़े पर कोई अंकुश नहीं है । यह सब क्या हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता। यह तो हम

एक हाथ से स्वराज ले रहे हैं और दूसरे हाथ से उसे खोने की कोशिश में लगे हुए हैं। यह बड़े ही दुःख की बात है।

"एक भाई ने लिखा है पश्चिमी पंजाब को कुछ आश्वासन दो। मैंने कुछ आश्वासन दे भी दिया। लेकिन केवल सहानुभूति जताने से काम होने वाला नहीं है।

"आखिर पंजाब तो वही है न, जहां पंजाब के शेर लाला लाजपतराय पैदा हुए थे। पंजाब तो बहादुरों का गढ़ ठहरा। वहां सिक्ख पैदा हुए। मैं सिक्खों की तलवार की बहादुरी की सराहना नहीं कर सकता। मेरी निगाह में निहत्थे रहकर जो बहादुरी दिखाई जाय वही असली बहादुरी है। पर पंजाब के लोग आज हथियार की ही बात करते हैं। मैंने पूछा था कि 'आपको पैसे की आवश्यकता है क्या? तो उन्होंने (पंजाबियों ने) कहा 'हमें तो हथियारों की मदद दिलवाइए'। मेरी समझ में यह मनोवृत्ति भी परदेशीपन ही है।

गांधीजी ने पंजाब के दुःख की चर्चा करते हुए कहा— "दुःख-निवारण की बात क्या बताऊं? मैं तो उन्हें यही कह सकता हूं कि पंजाब में बकरी नहीं, भेड़ नहीं, शेर पैदा होने चाहिए। मैं तो पंजाब को जानता हूं। मैं वहां की स्त्रियों को भी जानता हूं। उन लोगों का मजबूत शरीर होता है। पर मन भी तो मजबूत चाहिए। आजकल वहां जो प्रवाह बह रहा है उससे आदमी शेर-दिल नहीं बन पाते।

"वहां की स्त्रियों को आज विदेशी और चटकीले कपड़े चाहिए। साड़ी भी उतनी बारीक चाहिए कि सारा बदन दीखता रहे। और पुरुष भी उनसे कम नहीं होते। वे खुद नहीं पहनते पर स्त्रियों को पहिनाने का चाव रखते हैं। मेरे पास जब पंजाबिन बहनें आती हैं और पूछ बैठता हूं कि इतने जेवर क्यों, ऐसे कपड़े क्यों? तो वे कहती हैं हमारे भाई, पिता या पति का आग्रह है कि इतने जेवर व कपड़े तो चाहिए ही। पुरुष क्यों अपने घर की स्त्रियों को गुड़िया बनाते हैं?

"अगर यह सब छोड़ेंगे तो फिर हम डरेंगे नहीं। हमें डरना किससे है? मुसलमानों से? वे अगर हैवान बन जाते हैं तो हम इन्सान

बनें। फिर वे भी इन्सान बन जायेंगे। जब मैं निकम्मा बनिया भी नहीं डरता तो आप क्यों डरें? मैं तो कहता हूं कि वे मेरा क्या करेंगे ? मारेंगे न ? भले मारे। खून पीयेंगे? तो पियें, एक दिन का भोजन बच जायेगा। और मैं मानूंगा कि मैंने सेवा की। लेकिन मैं सेवा करने वाला कौन, ईश्वर ही सब करता है। इसलिए सही कहना यह होगा कि उसने मेरा उपभोग सेवा के लिए किया। इसी तरह मैं सबसे कहूंगा कि आप भी न डरें।

: ५ :

शरणार्थियों के बीच

नई दिल्ली, २२ जून १९४७

प्रार्थना के बाद गांधीजी ने कहा--

आप तो जानते है कि मैं पंजाब और सीमाप्रान्त के शरणार्थियों को देखने हरिद्वार चला गया था। वहां डेराइस्माइलखां और दूसरी जगहों के ३२,००० आदमी आगये हैं। वहां बहस करने को तो समय नहीं था। मैंने पेट-भर के उन लोगों से बातें कीं। उनके कैम्पों में भी चला गया। लोगों ने मुझसे उनके बारे में तरह-तरह की बातें कीं। वहां दो किस्म के लोग आये है। एक सचमुच दुःखी, मिस्कीन हैं, और दूसरे वे जो अच्छे खाते-पीते हैं, पैसे वाले हैं। पर उनमें कुछ ऐसे हैं जो जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं, और तरह-तरह से पैसा पैदा करते है। मैं कहना चाहता हूं कि उनका यह धर्म नहीं कि आपत्ति काल में वे ऐसा करें।

लोग वहां दुःखी होकर आये हैं। अपने रिश्तेदारों से अलग होगये हैं। पर अब इसका रोना क्या? मैंने उन्हें बताया कि दुःख की बात भूल जाओ। दुःख को भूलने से दुःख मिट जाता है। तुम्हें तो दुःख में सुख पैदा करना है। इतनी बड़ी दुःख की बात होगई; हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हो रहे हैं, इसका मुझे बड़ा रंज है, पर क्या मैं रोऊं?

मैं आपको सुनाना चाहता हूं और आपके मार्फत उनको (शरणार्थियों को) कहना चाहता हूं कि सब लोग दुःख को भूल जायं। इन

३२,००० आदमियों को अपना सहयोगी संगठन बना लेना चाहिए। उनको उद्यम करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए। उन्हें कुछ-न-कुछ काम जरूर करना चाहिए। हुकूमत उन सबको खाना देना चाहे तो भी नहीं दे सकती। आज तो सब जगह ब्लैक मारकेट चलता है, अगर सच्चे आदमी भी हों तो भी इस जमाने में अन्न का पूरा राशन नहीं मिल सकता। लेकिन उन्हें रोना नहीं चाहिए। शिकायत करने से, रोने से, खाना नहीं मिल सकता। वे सहयोग से काम लें।

और फिर अपनी दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक यात्रा का उदाहरण देते हुए गांधीजी ने कहा कि वहां हम सब लोग रोज २० मील चलते थे। बहुत आदमी साथ थे। उनको देने के लिए मेरे पास एक औंस चीनी और कुछ डबल रोटी होती थी। यह एक आदमी की पूरी खुराक नहीं होती थी। जब २० मील चलकर पहुंचते थे तो शाम हो जाती थी। मैंने देखा कि वहां कुछ पका करता था। देखने पर मालूम हुआ कि वे लोग घास में से कुछ पत्तियां और दूसरी खाने लायक चीजें चुन लेते थे। थोड़ा-सा नमक लेते थे। पानी वहां होता ही था। पकाना शुरू कर देते थे। मैं बहुत खुश हुआ कि ऐसे (उद्यमी) यात्रियों के साथ तो सदा यात्रा की जा सकती है। वहां उन्होंने जंगल में मंगल कर दिया था।"

हरिद्वार की मिट्टी और भी उपजाऊ है, वहां तो वे और भी उद्यम कर सकते हैं। वे ऐसा करेंगे तो लोग उससे थकेंगे नहीं। जो आश्रित हैं उन्हें तो ऐसी खूबसूरती से रहना चाहिए कि वे दूसरों के लिए भार न मालूम पड़ें। सब साथ-साथ इस मुसीबत को काट लें।

लोगों को कुछ-न-कुछ पेशा करना चाहिए। वहां मुझे कुछ बहनें मिलीं जो सिलाई-कताई का काम करती थीं, कुछ आदमी भी ऐसे मिले, जो कुछ काम निकाल लेते थे। यह मुझे अच्छा लगा। उन्हें भिक्षुक नहीं बनना चाहिए। उन्हें बहादुर बनना चाहिए, और डरना नहीं चाहिए।

मैं तो सब जगह जा नहीं सकता था। डा० सुशीला नायर सब कैम्पों में गई। वहां उन्होंने बड़ी गन्दगी देखी। गन्दगी तो नहीं रहनी चाहिए। यह काम गवर्नमेन्ट नहीं कर सकती। हमें खुद अपनी सफाई करनी चाहिए। दूर-दूर रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि वहां जानवरों का डर है। मैं कहता हूं कि उन्हें जंगली पशुओं से क्या डरना? जैसे आदमी जंगली पशुओं से डरता है, वैसे ही जंगली पशु स्वयं आदमी से डरते हैं। ३२,००० आदमियों को डर छोड़ देना चाहिए वे तो जहां बस जायंगे वहां से जंगली पशु भाग जायंगे। इन लोगों को प्रेम से जैसे दूध में मिश्री रहती है ऐसे सब के साथ मिलकर रहना चाहिए।

हरिद्वार के लोगों की चर्चा के बीच गांधीजी ने काबुल में वहां के हिन्दुओं के साथ जो ज्यादती की जाती है, उसका जिक्र किया और कहा कि वहीं एक दुःख की बात सुनी है। वह बात काबुल की है। काबुल में जो हिन्दू रहते हैं वह वहां वालों की मेहरबानी पर रहते हैं। उन्हें वहां एक खास रंग की पगड़ी पहननी पड़ती है। मुझे यह सुनकर बड़ा बुरा लगा कि वहां के लोग पैसे के लोभ के लिए ऐसी ज्यादती सह लेते हैं। हम अपने हक रख कर रहें तो रहें नहीं तो नहीं। मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई बादशाह हो तो अपने घर का। फिर काबुल तो हमारा ही मुल्क है। हमारा मुल्क है, यानी पठान का मुल्क है। फर्क इतना है कि यहां ब्रिटिश है, वहां ब्रिटिश सल्तनत नहीं है। मेरी दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई भी इसी तरह की थी। हम उन जैसी पगड़ी क्यों नहीं पहनें? हमारे लोग वहां आजादी से न रह सकें यह कोई सहन करने जैसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि काबुल में ऐसा नहीं होगा और इस कथन में अतिशयोक्ति होगी। मैं देखूंगा और काबुल वालों से पूछूंगा।"

: ६ :

न कोई उँचा हो न नीचा

नई दिल्ली, २३ जून १९४७

गांधीजी का मौन दिवस होने के कारण राजकुमारी अमृतकौर ने उनका निम्नलिखित संदेश प्रार्थना के बाद पढ़कर सुनाया:—

"हिन्दुस्तान का बंटवारा और प्रान्तों के जो टुकड़े किये जाने वाले हैं, वह हमारे लिए कसौटी समझिए। आज के अखबारों में जिक्र किया जाता है कि लन्दन में हिन्दुस्तान के बटवारे का जो बिल पार्लमेंट में रखा जायगा उसकी रस्म धूमधाम से मनाई जायगी और हिन्दुस्तान जो आज तक एक कौम रहा है, दो कौमें या दो नेशन्स बना दिया जायगा। ऐसे उदासी के मौके पर खुशी किस बात की! हमने तो यह श्रद्धा दिल में रखी है कि यदि हम जुदा हो रहे हैं तो भी वह जुदाई एक ही खानदान के भाइयों की होगी, और हम मित्र तो रहेंगे ही। अगर अखबारों की खबर ठीक है तो बरतानिया हमें दो राष्ट्र बनाने वाला है और वह भी खुशी के नारे लगाकर! क्या यह उनकी हम पर आखिरी गोली होगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं।

"लेकिन अगर हिन्दुस्तान के बड़े हिस्से ने, अर्थात इंडियन यूनियन ने अपने धर्म का पालन किया तो हम उनकी चाल को मात कर सकेंगे। बटवारे से तो हम आज बच नहीं सकते, चाहे वह हमें कितना ही नापसन्द हो। लेकिन धर्म का पालन यह है कि हम सीधे रास्ते पर चलें, अपने आपको हमेशा एक ही कौम समझें और मुसलमान

अल्पसंख्यकों को कभी भी परदेशी मानने से साफ इन्कार करें। हिन्दुस्तान उनका भी उतना ही घर है जितना कि हमारा।

"इसके स्पष्ट मानी यह हुए कि हमें हिन्दू-धर्म में क्रान्तिकारी परिवर्तन करना होगा। हमारे ऊपर अछूतों का कलंक लगाया जाता है और वह हमारी कमजोरी जरूर है। पढ़ने में आता है कि मुस्लिम लीग के नेता आज अछूतों को यह झांसा दे रहे हैं कि पाकिस्तान में उन्हें अलग चुनाव का हक मिलेगा। क्या यह पाकिस्तानी इस्लाम में शामिल होने की दावत है? जबर्दस्ती से जो हाल में लोगों से मजहब बदलवाया, ऐसी और बात चली है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चूंकि मैंने अछूत भाइयों से खुद ऐसी बातें सुनी हैं, मुझे जरूर डर है कि क्या होने वाला है।

"इस डर या डरावे का जवाब एक ही हो सकता है, वह यह कि हिन्दू-धर्म में से छूतछात का भूत बिल्कुल निकल जाय। हिन्दुस्तान में कोई अछूत न हो। हिन्दू सब एक हों। कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं। जिन गरीब लोगों की ओर, मसलन अछूत या आदिवासी, हम आज तक बेदरकार रहे हैं, उनकी हम खास देखभाल करें। उन्हें पढ़ायें, उनके रहन-सहन को देखें, आदि। वोटरों की फहरिस्त में सब एक ही हों। आज की हालत न रहे, इससे कई दर्जे बेहतर हो। क्या हिन्दू धर्म इतनी उंचाई तक चढ़ सकेगा या कि झूठी मिथ्याओं से और दूसरों की खराबी का अनुकरण या नकल करके अपना आत्मघात करेगा। सवाल तो हमारे सामने यही है।

: ७ :

आत्मा ही आत्मा का बन्धु है

नई दिल्ली, २४ जून १९४७

आज की प्रार्थना में तुलसीदासजी का एक भजन गाया गया। गांधीजी ने अपने प्रवचन में उसका उल्लेख करते हुए कहा—

"इस भजन में ऐतिहासिक राम की करुण कहानी है जिसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहां तो जानकीनाथ का तिलक होने वाला था और कहां उन्हें वनवास होगया। इससे अधिक करुणाजनक चीज और क्या हो सकती थी। वही इतिहास आज हमारी आंखों के समाने आ रहा है। एक ओर तो लंदन में हिन्दुस्तान को औपनिवेशिक स्वराज्य दिये जाने पर खुशियां मनाने की चर्चा है तो दूसरी ओर हम आज अपने धर्म की रक्षा के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। मेरे पास कितने ही खत आते हैं जिनमें मुझ पर तरह-तरह के कटाक्ष किये जाते हैं। कोई लिखता है कि 'तूने हिन्दुओं को बर्बाद कर दिया। तू मुसलमानों की खुशामद करता रहता है', आदि मेरे दिल पर इन गालियों का असर नहीं होता। मैं किसी की खुशामद नहीं करता और करता हूं तो केवल ईश्वर की। उसकी भी खुशामद क्या? उसके तो हम सब गुलाम हैं। हम सब उसके बन्दे हैं। वह किसी की खुशामद नहीं मानता, क्योंकि वह तो सर्वशक्तिमान है। मैं इन खतों पर गुस्सा करके भी क्या करूं? आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैं यही तो कहता हूं कि कोई व्यक्ति पापी बनने से या फरेब रचकर या दूसरों पर अत्याचार करके अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। यह बात हिन्दू, मुसलमान सब पर लागू

होती है। पाकिस्तान बुरी चीज है यह सब कोई कहता है। ऐसी हालत में वहां खुशियां और धूमधाम मनाने वाली क्या चीज है। हमारे देश के टुकड़े कर के भी उनको नक्कारा क्या बजाना था ? हमें एक लड्डू मिलता है और उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। इसमें उन्हें खुशी क्या मनानी थी ? मैं ६० वर्ष से, जब कि मैं हाई स्कूलमें पढ़ता था, यही कहता आया हूं कि इस देश में हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई जो भी रहते हैं सब भाई-भाई हैं। इतने वर्षों के तजुर्बे से मैं कहता हूं कि हमारी जर्मान के टुकड़े हो गए तो क्या हम अपने भी दो टुकड़े करें ? एक देश में रहने वाले लोग दो प्रजा कैसे बन सकते हैं ? क्या यहाँ हिंदू, और मुस्लिम प्रजा अलग-अलग होगी ? हिन्दुस्तान में एक ही प्रजा रहेगी और वह हिन्दुस्तानी प्रजा होगी। हम गलत इतिहास क्यों सीखें ? हम यही कहेंगे कि हम दो प्रजा नहीं हैं। जब मैं ऐसा कहता हूं तो लोग गालियां देते हैं। क्या मैं उनकी बात मानकर अपने आपको खूनी बना लूं ? इससे मैं अपनेको ही नकसान पहुंचाऊंगा। आत्मा ही आत्मा का बन्धु और आत्मा ही आत्मा का शत्रु हो सकता है। अतः हिन्दू को मिटाने वाला हिन्दू ही हो सकता है, दूसरा नहीं।

परन्तु, आज तो चारों ओर अंगार फैल रहे हैं। इस आग से बचोगे तभी धर्म बच सकेगा। मैं कहां-कहां जाऊं, यह मुझे नहीं मालूम देता। मेरी शक्ति क्षीण होती जाती है। मेरा शरीर इस गर्मी को सहन करने लायक नहीं रहा। मैंने जो कहा है वह सत्य है। वह सब पर लागू होता है। वह सर्व सामान्य दुनिया का नियम है और सत्य की हमेशा जय है और झूठ की क्षय होती है। मैं जो कह रहा हूं वह डरपोक और बुजदिल के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो बहादुर हैं और निस्वार्थ हैं। जो अपनी मां की, लड़की की और अपने धर्म की रक्षा करते हुए मरना जानते हैं, दूसरों को मारना नहीं और जो आदमी खुशी से मर जाता है वह मारने वाले से कहीं ज्यादा बहादुर होता है। मैं चाहता हूं कि इस बहादुरी के स्तर तक सारा हिन्दुस्तान पहुंचे।"

लाहौर, अमृतसर और गुड़गांवके उपद्रवों की चर्चा करते हुए गांधी

जी ने कहा कि मैं तो यह सब देखकर कांप उठता हूं। किसको मैं जाकर समझाऊं। मैं तो धीरज रखकर यहां बैठ गया हूं। हम अंग्रेजों की ओर देख रहे हैं। कब तक हम ऐसे देखेंगे? १५-अगस्त के बाद जब कि सब कुछ हमारे हाथों में आ जायगा तब हम किसकी ओर देखेंगे?

"पंजाब में मार्शल-ला लागू करने की बात कही जाती है। वहां एक मार्शल-ला लागू हुआ मैं देख चुका हूं। मैं जानता हूं कि मार्शल-ला क्या चीज हो सकती है। मार्शल-ला दिलों को नहीं बदल सकता।

"मैं तो यही कहूंगा कि मुसलमानों को इस्लाम, हिन्दुओं को हिन्दू-धर्म और सिक्ख को गुरुद्वारा बचाना है तो वे सब मिलकर यह फैसला करलें कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं। यदि किसी चीज के बटवारे पर झगड़ा भी हो, तो उसका फैसला तलवार से नहीं, पंच द्वारा करायेंगे।

त्रावणकोर के दीवान सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर के ताजा वक्तव्य की आलोचना करते हुए गांधीजी ने कहा कि सर सी. पी. कहते हैं कि गांधी और कांग्रेस सरहद्दी सूबे को तो आजादी देने को तैयार हैं, परन्तु त्रावणकोर को नहीं। इतना बड़ा विद्वान होकर भी वह कितनी गलत बात करता है। यदि त्रावणकोर अलग हुआ तो हैदराबाद, काश्मीर और इन्दौर आदि सब अलग हो जायंगे। इस तरह से तो हिन्दुस्तान के अनेक टुकड़े हो जायंगे। इसके अलावा फ्रंटियर के खान हिन्दुस्तान से पृथक नहीं होना चाहते। वे कहते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं जायंगे तब फिर क्या वे हिन्दुस्तान में हिन्दुओं की गुलामी करेंगे? उन पर कांग्रेस से पैसा खाने का इल्जाम लगाया जाता है। कांग्रेस यदि इस तरह से किसी को पैसा देकर अपनी तरफ करे तो वह अबतक जिन्दा नहीं रहती। बादशाह खान ने हमें विश्वास दिलाया है कि हिन्दुस्तान पहले अपना विधान बनाले। इस दौरान में वह किसी फैसले पर पहुंच जायंगे। मगर रामास्वामी जो कहते हैं वह बिल्कुल गलत है। फ्रंटियर में वहां रहने वाली प्रजा की आवाज है, जब कि त्रावणकोर में तो एक राजा और उसका सचिव ही सारी प्रजा की तरफ से बोल रहा है।

आज की हालत में राजा और प्रजा दोनों का एक हक है, यह मेरा दावा है। फ्रंटियर की मिसाल देकर सर सी० पी० लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। इस तरह से न तो धर्म रहता है और न कर्म रहता है। मैं तो रामास्वामी से यही कहूंगा किस ही चीज यही है कि त्रावणकोर राज्य विधान-परिषद् में आ जाये।

: ८ :

जो आज का धर्म हो वही श्रेयस्कर है

नई दिल्ली, २५ जून १९४७

गांधीजी ने आज प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए कहा--

कि हरिद्वार में मुझे सूबा सरहद और पंजाब के शरणार्थियों ने यह बताया था कि काबुल में जो हिन्दू लोग रहते हैं उनको एक अमुक रंग की पगड़ी पहननी पड़ती है जिससे कि वे अलग पहचाने जा सकें। इस बारे में आज अफगान राजदूत ने एक लम्बा बयान देते हुए उसका प्रतिवाद किया है। उनका कहना है कि काबुल में ऐसी कोई चीज नहीं है। वे कहते हैं कि वहां तो हिन्दुओं के मन्दिर भी हैं और उन्हें मन्दिर बनाने की इजाजत है। यदि ऐसा है तो हमारे लिए यह बड़े फख्र की बात है।

इसके बाद लाहौर, अमृतसर और गुड़गांव के उपद्रवों की चर्चा करते हुए गांधीजी ने कहा कि यह हिन्दू, मुस्लिम और सिक्ख तीनों कौमों के लिए शर्म की बात है, । कुछ भी हो ये झगड़े-फसाद बन्द होने चाहिए। सच्चे दिल से सब लोगों को मिल जाना चाहिए। आज के अखबारों में मैंने पढ़ा है कि लाहौर में कल मध्य रात्रि तक नवाब ममदोत की कोठी पर तीनों कौमों के नेतागण बैठे और उन्होंने तय किया कि ये झगड़े बन्द होने चाहिए। यह एक खुशखबरी है। आखिर क्या लाहौर और अमृतसर की कब्र पर पाकिस्तान बन सकता है ? और फिर ये कोई छोटे कस्बे भी नहीं हैं। इनको बनाने में एक जमाना लगा है । अमृतसर में तो सिक्खों का एक सुनहरी मन्दिर भी है । आदमी अपना कर्त्तव्य भूलकर हैवान बन जाय, यह दुःख की

ही बात है। ये नेतागण कल फिर मिलने वाले हैं। यदि वे सफल हो जाते हैं तो वहां मार्शल-ला लागू करने की जरूरत ही नहीं होगी। अतः ये नेतागण धन्यवाद के पात्र हैं।

मुझ पर आज धर्म-संकट आ पड़ा है। मेरा दिल कभी बिहार जाने के लिए करता है तो कभी नोआखाली। नोआखाली में तो मैंने एक तरह से अपना काम शुरू भी कर दिया है और इससे वहां के हिन्दुओं को काफी साहस मिला है। बिहार मुझे जाना ही चाहिए। मैं यहां आठ दिन के लिए आया था, परन्तु हो गया एक महीना। मैं कहां जाऊं और क्या करूं, यह मुझे मालूम नहीं होता। एक ईश्वर भक्त के लिए यह अच्छा भी है कि वह केवल आज की चिन्ता करे, कल की नहीं। कल क्या होने वाला है यह तो ईश्वर ही जान सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि 'तू अहिंसा की इतनी लम्बी-लम्बी बात करता है तो फिर अमृतसर या गुड़गांव क्यों नहीं जाता।' मैं वहां जाकर क्या करूं और किसको कहूं कि तुम लड़ो मत। मेरे दिल में संशय तो नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जैसा मैं हूं वैसा मुझे पहचान लें। मेरे दिल में संशय तो कभी हुआ ही नहीं। परन्तु इस वक्त इतना गोलमाल चल रहा है कि दुनिया में और हिन्दुस्तान की दुनिया में भी, कि कुछ पता नहीं चल पाता। गीता में लिखा है कि 'जो तेरा आज का धर्म है, वही तेरे लिए श्रेयस्कर है'। चार-पांच जगह उपद्रव हो रहे हैं और मुझे नहीं सूझता कि मैं कहां जाऊं। ईश्वर मुझको कहता नहीं कि तुझको यह करना है। मैं दोस्तों से पूछता हूं। जब हमारे दिल में शक पैदा हो जाता है तो अच्छा तरीका यही है कि हम धैर्य रखकर बैठे रहें, बजाय इसके कि हम कोई पत्थर फेंककर मामले को और बिगाड़ें। परन्तु ममदोत साहब ने तो कहा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा सलूक किया जायगा। वे फरेब से एसी बातें कहते हों, यह मैं क्यों मान लूं ? जब अफगानिस्तान में हिन्दू नागरिक बनकर रह सकते हैं तो पाकिस्तान में इससे भिन्न कोई अन्य चीज हो नहीं सकती।

: ६ :

अहिंसा में असीम खुशबू भरी पड़ी है

नई दिल्ली, २६ जून १९४७

गांधीजी ने आज प्रार्थना के बाद वायसराय के साथ हुई अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा—

मैं डेढ़ घंटे तक वायसराय साहब के पास रहा। मैं वहां कुछ करने के लिए तो गया नहीं था। न तो वायसराय को कुछ देने गया था और न कुछ उनसे लेने। उनका काम करने का अपना एक ढंग है। चूंकि मैंने भी हिन्दुस्तान की आजादी के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं, कुछ सेवा की हैं, इसलिए जैसे वे औरों को बुलाते हैं, उसी तरह उनको ऐसा लगा कि मुझको भी बुलाना चाहिए। वे सबकी राय तो ले लेते हैं और पीछे उनको जो करना होता है वह करते हैं। उनके दिल में क्या भरा है यह तो ईश्वर ही जानता है।

इसके बाद गांधी जी ने अपनी डाक में आने वाले खतों का उल्लेख किया और कहा कि कुछ खत तो गालियों से ही भरे होते हैं। उन गालियों का तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि मैं इन गालियों को ही स्तुति समझता हूं। परन्तु वे लोग गालियां इसलिए नहीं देते कि मैं उनको स्तुति समझता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं जैसा उनकी निगाह में होना चाहिए वैसा नहीं हूं। एक वक्त वह था जब कि वे मेरी स्तुति भी करते थे। इसलिए गालियां देना या स्तुति करना तो दुनिया का एक खेल है। परन्तु आज मैंने एक खत में से दो सवाल चुन लिये हैं जिनका मैं यहां उत्तर देना चाहता हूं। एक सवाल तो यह है कि

तुम लोग बरसों से ब्रिटिश फौज के आदी हो गये हो। जब ब्रिटिश फौज यहां से चली जायगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा ?' मैं दक्षिण अफ्रीका में भी और वहां से आने के बाद इस देश में भी बरसों पहले इसका उत्तर दे चुका हूं। आज भी मैं वही कहता हूं कि ब्रिटिश फौज से हमारा वास्ता क्या है। हमारी शक्ति उससे बढ़ती नहीं, बल्कि गिरती है। मैं तो अहिंसा का मानने वाला हूं, परन्तु जो लोग हिंसा को मानते हैं उनके लिए भी यही बात है। यदि सब लोग सिपाही बन जायं और वे राइफल भी चलाने लगें तो फिर हमें ब्रिटिश फौज की क्या जरूरत रह जाती है ? यदि हमें ब्रिटिश फौज के चले जाने से सदमा पहुंचता है तो फिर हम स्वराज्य के लायक कैसे हो सकते हैं ? यदि किसी आदमी का फेफड़ा खराब होजाय तो उसके जिन्दा रहने के लिए वह दूसरे के फेफड़े से काम नहीं चला सकता। स्वराज्य हिन्दुस्तान का फेफड़ा है। अगर हमें जिन्दा रहना है तो दूसरे की मदद से वह नहीं चलेगा। हमें आज ऐसा लगता है जैसे कि कोई आदमी जन्म से किसी अन्धेरी कोठरी में बन्द रहा हो और एक दिन उसे अचानक बाहर निकाल कर छोड़ दिया जाय। सूर्य का प्रकाश देख कर उसकी आंखें कुछ समय के लिए काम नहीं करेंगी। उसी तरह से हम यहां अन्धेरे में रहने वाले पक्षी जैसे बन गये हैं। एक दिन हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम किसी नई दुनिया में आ गए हों। एक दिन के लिए चाहे हमें ऐसा लगे, मगर सच्ची बात तो यही है। न हम ब्रिटिश फौज के जरिये यहां दबना चाहते हैं और न उससे हम अपनी रक्षा कराना चाहते हैं। हमें ब्रिटिश फौज तो क्या कोई अन्य फौज भी नहीं चाहिये।

परन्तु आज अमृतसर और लाहौर आदि के दंगों की वजह से हमारा अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है। हम इतने बदमाश हो गये हैं कि एक दूसरे से डरने लगे हैं। हमारे अन्दर यह खयाल जोर पकड़ता जा रहा है कि यदि फौज बीच में न रहे तो लोग एक दूसरे को खा जायें। मगर हकीकत यह है कि जब तक तीसरी ताकत हमें दबाने

के लिए तैयार है, तब तक हम अपनी ताकत को बढ़ा नहीं सकते। स्वराज्य बुजदिल आदमियों के लिए नहीं होता।

दूसरा प्रश्न यह है कि 'तू कैसा बेअक्ल और मूर्ख आदमी है कि तुझे अभी तक तेरी अहिंसा की बदबू नहीं आती! सब कुछ देखते हुए भी अहिंसा के लिए तेरे दिल में नफरत क्यों नहीं होती? न तो अपनी अहिंसा से तू हिन्दू को बचा सकता है और न मुसलमान को बचा सकता है। तुझे हम जिन्दा रहने देते हैं, सो तेरी अहिंसा की खातिर नहीं, बल्कि इसलिए कि तू इस देश की सेवा करते-करते इतना बूढ़ा हो गया है, सो तुझ पर हमें रहम आता है।'

इसके उत्तर में गांधीजी ने कहा कि मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरे चारों ओर जो खून बह रहा है और जो भीषण हिंसा हो रही है उससे मुझे बदबू आ रही है। उस बदबू को देखते हुए मेरी अहिंसा में से जो खुशबू आती है वह मुझे और अधिक मीठी लग रही है। जो आदमी हमेशा अमृत ही अमृत पीता हो उसको अमृत उतना मीठा नहीं लगता जितना कि जहर का प्याला पीने के बाद अमृत की दो बूंद भी बहुत मीठी लगती हैं।

हमेशा मुझको मेरी अहिंसा की खुशबू नहीं आती थी; क्योंकि तब मेरे चारों ओर का वातावरण अहिंसामय था। लेकिन आज जब मुझको हिंसा की बदबू आती है तो उस बदबू को मिटाने वाली चीज मेरे पास अहिंसा ही है। खत में यह भी लिखा है कि मैं बार-बार जिना से मिलने क्यों जाता हूं। वे हमारे दुश्मन हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिये। बल्लुच भी हमारे दुश्मन हैं और उनसे कांग्रेस को कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती है? उसका फर्ज सबकी सेवा करना है। मैं मानता हूं कि जिना साहब ने हिन्दुओं को और खास तौर से सवर्ण हिन्दुओं को अपना शत्रु बताकर देश का बुरा किया है। जो आदमी बुरा काम करता है वह बुरा तो लगता है, मगर आखिर तो वह हमारा ही भाई है। हिन्दू उसके पीछे पागल थोड़े ही हो जायंगे यह माना कि जिना साहब ने पाकिस्तान ले

लिया, परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि हम आपस में मिलना ही छोड़ दें। कितने ही और झगड़े हैं जिनको हम एक जगह बैठकर सुलझा सकते हैं। मैं तो 'सर्व-धर्म एक समान' का मानने वाला हूं। इसलिए अहिंसा के लिए मेरे दिल में नफरत हो नहीं सकती और न मुझको हिंसा से खुशबू ही आने वाली है। मैं मर जाऊं तब भी नहीं आने वाली है। उस अहिंसा की खुशबू यदि मैं आप लोगों को भी दिला दूं तो मेरा काम पूरा हो जाता है। अहिंसा से बदबू कभी आ ही नहीं सकती क्योंकि उसमें खुशबू ही भरी पड़ी है

: १० :

नैतिक बल के आगे पशु-बल कुछ नहीं

नई दिल्ली, २७ जून १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा—

आज मुझ को एक दुःखद खत मिला है। उस खत में दिल्ली के एक भाई लिखते हैं कि पंजाब से आजकल काफी निराश्रित लोग यहां आ रहे हैं। वे वहां से इसलिए भागे हैं कि उनको वहां अपने जान-माल का खतरा था। परन्तु आखिर भागकर वे जायंगे कहां? यदि आज यह अफवाह उड़ जाये कि दिल्ली में कल भूकम्प होगा तो क्या हम यहां से भाग जायंगे। जो बहादुर आदमी होता है वह भागकर कहां जायगा? मौत तो हमेशा उसके पीछे पड़ी है। कोई अमरपट्टा लेकर तो यहां आया नहीं। रहा जायदाद का सवाल सो वह तो आज हम पैदा करते है और कल गंवा देते हैं। परन्तु वह भाई लिखते हैं कि ये जो शरणार्थी परेशान होकर पंजाब से निकलकर आये हैं उनसे दिल्ली के मकान-मालिक अपने मकान किराये पर देते समय पगड़ी मांगते हैं। दिल्ली में जो मकान-मालिक हैं या जिनके पास जमीनें हैं, मैं तो उनसे कहूंगा कि उन्हें बाहर से निराश्रित होकर आये हुए लोगों का अपने घरों में स्वागत करना चाहिए। यदि यह नहीं कर सकते तो उनसे पगड़ी लेकर पैसा क्या पैदा करना? वे अपने मकानों का उतना ही किराया लेकर सन्तोष करें जितना कि शरणार्थी आराम से दे सकते हैं। शरणार्थियों को शरण देना उनका परमधर्म है। यह सबका सामान्य कर्त्तव्य है, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं

है। माना कि कुछ मकान-मालिकों का निर्वाह मकानों के किराये पर ही होता है, परन्तु वे उचित किराया लेने में ही अपने मकानों का उपयोग करें। पत्र में लिखा है कि अन्तरिम सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिये और जहां तक हो सके वह शरणार्थियों की रिहाइश की समस्या को सुगम बनाने का यत्न करे।

गांधीजी ने आगे कहा कि रोज अखबारों और डाक में आने वाले खतों के जरिये अनेक सवाल पूछे जाते हैं। उन सब का उत्तर देना तो संभव नहीं परन्तु कुछ सवालों का जवाब देना मुनासिब है। इस-लिए आज मैंने तीन सवाल चुन लिये हैं। पहला सवाल यह है कि जब दुनिया में लोग पैसे को ही परमेश्वर मान बैठे हैं तब हिन्दुस्तान को इस बारे में क्या करना है? पैसा-बल, शरीर-बल या पशु-बल ये सब जड़वाद के द्योतक हैं, परंतु इन सबसे बड़ा ईश्वर का बल है। जैसा कि एक भजन में कहा गया है, जब सारे बल हार जाते हैं तब तेरे नाम का बल ही हमारे पास रह जाता है। परन्तु आज के युग में जब अमरीका, रूस और ब्रिटेन जैसे देश ही पैसे को परमेश्वर मान बैठे हैं तब हमारी तो गिनती ही क्या है।

आज जड़वाद का ही बोलबाला है और लोग ऐसा समझने लगे हैं कि चैतन्यवाद या आत्मिक बल कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम न तो हाथों से उसे छू सकते हैं और न आंखों से देख सकते हैं।

परन्तु मैं अध्यात्मवादी हूं और मेरे लिए नैतिक बल के सामने पशुबल की कोई कीमत ही नहीं है। मैं तो अब भी यही कहूंगा कि पशुबल अस्थायी है और अध्यात्म बल या आत्मबल या चैतन्यवाद एक शाश्वत बल है। वह हमेशा रहने वाला है, क्यों कि वह सत्य है। जड़वाद तो एक निकम्मी चीज है।

दुर्भाग्य से आज हिन्दुस्तान भी इसमें फंस गया और यह समझने लगा है कि जड़वाद ही सब कुछ है। परन्तु मेरा तो यह अटल विश्वास है कि आखिर में तो चैतन्यवाद या आत्मवाद की ही विजय होगी।

दूसरा सवाल यह है कि जब अंग्रेज यहां से चले जायंगे और

डोमीनियन स्टेटस भी तभीतक चलेगा जबतक कि विधान-परिषद अपना विधान बनाकर तैयार नहीं कर लेती। तब इसके बाद आप यहां अंग्रेज के दुश्मन बनकर रहेंगे या दोस्त बनकर ?

इसका उत्तर यह है कि मेरी तो हमेशा यह आशा रही है कि अंग्रेज हमारे साथ भले ही बने रहेंगे। यदि कोई आदमी बुरा भी होता है तो उसकी बुराई उसके साथ चली जाती है। केवल भलाई ही पीछे रहती है।

परन्तु आज हिन्दुस्तान प्रसव-वेदना में से गुजर रहा है। यदि इस वेदना में अंग्रेज पास हो जाते हैं; अर्थात्, वायसराय और उनके अंग्रेज सलाहकार वही काम करते हैं जिससे सारे देश का भला हो तो फिर पीछे वे हमारे दुश्मन कैसे रहेंगे ?

डोमीनियन स्टेटस भी तो हमने उनसे मित्र बनकर ही लिया है। उसे लेने के बाद हम एक बड़े कबीले के हिस्सेदार बनजाते हैं। इस कबीले से अलग होने के बाद भी हम उनके साथ दोस्ताना तरीके से ही रहेंगे। इसीमें हमारी और उनकी भलाई है। हमारी अन्तरिम सरकार के वाइस प्रेसीडेंट जवाहरलालजी ने तो पहले ही कह दिया है कि हिन्दुस्तान की आजादी किसी को खटकने वाली नहीं होगी। आज़ाद भारत सब देशों के साथ मित्रता के सम्बन्ध बनायेगा।

तीसरा प्रश्न है कि इंडियन रिपब्लिक का प्रेसीडेंट कौन होगा ? क्या आप किसी बड़े अंग्रेज को इस पद पर रखेंगे ? यदि किसी अंग्रेज को नहीं तो फिर पं० जवाहरलाल नेहरू बनें; क्योंकि वे बहुत पढ़े-लिखे हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच बोल सकते हैं और विदेशों का भी उनको अच्छा अनुभव है।

इसके उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय प्रजातन्त्र की प्रेसीडेंट एक भंगी लड़की बनेगी, यदि कोई पाक और बहादुर लड़की मुझे मिल गई। प्रेसीडेंट बहुत पढ़ा-लिखा ही हो और उसे कई भाषाओं का ज्ञान हो, यह कोई जरूरी नहीं है। किसी बड़े विद्वान ब्राह्मण या किसी क्षत्रिय-को प्रेसीडेंट बनाकर हम दुनिया को अपना घमंड दिखाना नहीं चाहते।

एक हरिजन लड़की को उस पद पर बिठाकर हम अपना आत्मिक बल दिखाना चाहते हैं। हमें संसार को यह बताना है कि यहां न कोई उच्च है, न नीच है। परन्तु वह लड़की दिल की और शरीर की साफ होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का मैल न हो। यदि खड़ी हो तो सीता जैसी पवित्र हो और उसकी आंखों से तेज बरसता हो। सीताजी में इतना तेज था कि उसे रावण छू नहीं सकता था। यह तो एक ऐतिहासिक कथा है, परन्तु इसका अर्थ यह है कि जिसमें इतनी पवित्रता हो उसे कोई छूने का साहस नहीं कर सकता।

ऐसी लड़की यदि मुझे मिल गई तो वह हमारी पहली प्रेसीडेंट बनने वाली है। हम सब उसको सलामी देंगे और इस प्रकार एक नई बात दाखिल करके दुनिया के सामने एक मिसाल रखेंगे।

आखिर कोई हिंदुस्तान की बागडोर तो उसे संभालनी है नहीं। उसका एक सचिव मंडल रहेगा और वह जैसी सलाह देता जायगा उसी के अनुसार वह काम करेगी। उसे केवल अपने दस्तखत ही करने होंगे। यह कितनी बड़ी नैतिक बात है जो मैंने आज आपको बतादी। हिन्दुस्तान में रहने वाले सब लोग चाहे वे सवर्ण हिन्दू हों या मुसलमान या कोई अन्य कौम, एक आवाज़ से यही कहें कि जिस किसी को प्रेसीडेंट बनाया जायगा हम सब उसको सलामी देंगे। यही सच्चा नैतिक-बल है और बाकी सब मिथ्या है। यदि मेरी कल्पना की लड़की हमारी प्रेसीडेंट बनी तो मैं भी खादिम बनकर उसका काम करूंगा और सरकार से अपने खाने तक के लिए भी पैसा नहीं मांगूगा। जवाहरलालजी, सरदार पटेल और राजेन्द्रबाबू आदि को भी मैं उसके सचिव-मंडल में भेज कर उसके नौकर बना दूंगा।

: ११ :

धर्म-पालन बनाम अधिकार—१

नई दिल्ली, २८ जून १९४७

गांधीजी ने प्रवचन प्रारम्भ करते हुए कहा—

आज जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं वह एक निराली और अनोखी बात है। आशा है आप सब ध्यान से सुनेंगे और उसे हजम भी कर लेंगे। एक आदमी यदि अच्छा काम करता है तो वह उस भले काम में सारे जगत को हिस्सेदार बना लेता है। जो आदमी बुरा काम करता है, उसमें सारा जगत हिस्सेदार नहीं बनता, परन्तु जगत को उससे दुःख तो पहुंचेगा ही। आज हमारी इस विधान-परिषद में यही बात तो चल रही है कि एक शहरी के सच्चे हक़ क्या क्या हैं? अर्थात् यह कि शहरी के मौलिक हक़ क्या होने चाहियें। हकीकत तो ऐसी है कि उन मौलिक हक़ों के बदले में हम यह कहें कि शहरी के फर्ज क्या हैं। मौलिक हक़ वही तो हैं जिनको अमल में लाने से उनका भी भला हो और उसके पीछे सारे जगत का। आज हर आदमी यही सोचता है कि उसके हक़ क्या हैं? परन्तु यदि आदमी बचपन से ही धर्म-पालन करना सीख जाये और अपने धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन करे तो उसको अपना हक़ भी साथ-साथ मिलता चला जाता है। मुझे तो अपनी माता की गोद में ही अपना धर्म सिखाया गया था। मेरी माता तो जंगली और बिना पढ़ी-लिखी थी। अपने दस्तखत भी नहीं कर सकती थीं। छोटा-सा नाम था और वह भी लिखना नहीं सीखा था। हमको तो वह पढ़ने के लिए स्कूल भेज देती थीं और खुद पढ़ी नहीं थी। उन दिनों शिक्षक रख कर कोई पढ़ता नहीं था और वह भी काठियावाड़ जैसे जंगली प्रदेश में। यह ७० वर्ष पहले की

में बात करता हूं। पिताजी एक दीवान तो थे मगर उस जमाने में दीवान कोई बहुत अंग्रेजी पढ़ा-लिखा थोड़े ही होता था। वे तो एक अंगरखा पहनते थे और पांवों में सादी जूतियां होतीं थीं। पतलून का तो नाम भी नहीं जानते थे। परन्तु इस हालत में भी मेरी मां मुझे यह सिखातीं थीं कि बेटा तुझे राम-नाम लेना चाहिये। वह मेरा धर्म जानती थीं। मतलब यह है कि बचपन से ही यह जानना चाहिये कि हमारा धर्म क्या है और उस धर्म का पालन करने से हमारा हक़ भी अपने आप हो जाता है। माता जो दूध पिलाती थी वह दूध पीने से मुझे जीने का हक मिलता था। यदि मैं दूध पीने का धर्म-पालन न करूं तो मैं मर जाऊंगा और फिर मेरा जीने का हक़ भी नहीं रहता। बच्चे को दूध पीने का कर्तव्य-पालन करने से ही जीने का हक मिलता है। यह एक बड़ी खूबी की बात है। निचोड़ यह है कि कर्त्तव्य-पालन में से ही हक़ पैदा होता है। यदि हम अपना धर्म-पालन करें तो हक़ उसके पीछे दौड़ता है। वह हक़ से छूट नहीं सकता। असल में वही हक़ सच्चा भी है। यदि उसकी हम रक्षा करें तो उसमें सारे संसार को अपने साथ ले सकते हैं। सत्याग्रह भी तो ऐसे ही पैदा हुआ था, क्योंकि मैं यही सोचता रहता था कि मेरा धर्म क्या है ?

परन्तु आज तो एक अनोखी बात दिखाई दे रही है। जो राजा है वह ऐसा मानकर बैठ गया है कि उसे ईश्वर ने रैयत पर राज्य करने के लिए ही राजा बनाया है। उसको किसी को फांसी देना, किसी को दंड देना और किसी को जुर्माना करने का हक़ है। वह हर चीज का प्रजा से ही पालन कराना चाहता है। वह कहता है कि यह हक़ उसको ईश्वर से मिला है। कारखानों के मजदूर और मालिक अपने-अपने हक़ मांग रहे हैं। जमींदार अपने हक़ मांग रहे हैं तो किसान अपने। यहां कोई ऐसे दो वर्ग तो हैं नहीं कि जिसमें एक वर्ग को केवल हक़ हों और दूसरा केवल कर्तव्य-पालन ही करता रहे। जो राजा अपना कर्त्तव्य-पालन नहीं करता और प्रजा अपना धर्म-पालन करती रहे तो पीछे वह प्रजा राजा की जगह ले लेती है।

यदि राजा अपना धर्म-पालन करे और रैयत का ट्रस्टी बन कर रहे, तब तो वह रह सकेगा और यदि हाकिम बनकर रहेगा तो वह इस युग में रह नहीं सकता। आज तक हम अन्धेरेमें पड़े थे। राजा अपना धर्म भूल गया और प्रजा अपना धर्म भूल गई।

राजा लोग अपना धर्म छोड़कर केवल यही कहने लगे कि मैं चन्द्र-वंशी हूं या कि सूर्यवंशी हूं। मगर हकीकत में राजा प्रजा का सबसे आला दर्जे का सेवक होता है। सेवक का धर्म है सब कुछ स्वामी को भेंट कर देना और फिर जो कुछ बच जाये उसे खाकर निर्वाह कर लेना। रैयत भी अपना धर्म-पालन करना सीखे। प्रजा लाखों की तादाद में पड़ी है; वह चाहे तो राजा को मार भी सकती है, परन्तु इससे उसी को नुकसान पहुंचेगा। यदि हम अपनी गली साफ करते हैं, रोशनी करते हैं या और कुछ करते हैं तो उसे अपना कर्त्तव्य मानकर करें। हममें से हर एक को भंगी बनकर सेवा करनी चाहिये। जो मनुष्य पहले भंगी नहीं बनता वह जिन्दा रह नहीं सकता है और न रहने का उसे हक़ है। हम सब किसी न किसी रूप में भंगी तो हैं ही। मानते नहीं तो क्या, हकीकत में तो हैं; यदि रैयत महसूल देती है तो वह इसलिए नहीं कि राजा का पेट भरना है, बल्कि इसलिए कि उसके बिना राजतंत्र चल नहीं सकता। जो मनुष्य अपने धर्म का पालन करता हो उसके पास हक़ अपने आप आ जाते हैं। मजदूरों और मालिकों पर भी यही चीज लागू होती है। यहां हमारे पास ही हरिजन मजदूरों की एक बस्ती पड़ी है। वह जिस गन्दगी में विद्यमान है, उसे देखकर मेरा दिल रोता है। हम कितने नालायक हैं। मैं इतनी अच्छी और सुन्दर जगह में रहता हूं और वे बेचारे ऐसी गन्दगी में पड़े हैं। मालिकों के दिल में ऐसा होना चाहिए कि मजूर लोगों को खाना देकर पीछे आप खायें। मान लिया कि मालिक अपने धर्म का पालन नहीं करते तो फिर क्या मजदूर उस मालिक का गला काट देंगे? वे काट तो सकते हैं, परन्तु इससे तो सारे का सारा ढांचा बिगड़ जायगा और पीछे फिर वह जायगा कहां? मालिक को धमकी भी क्या देनी? इस तरह से जो मजदूर हैं वे स्वतः मालिक बन

जाते हैं। मजदूरों को यदि अपनी स्थिति को दुरुस्त करना है तो उनको यह भूल जाना है कि उनके जो हक हैं वे उनके धर्म-पालन में से पैदा नहीं होते। मजदूर तो आज करोड़ों की संख्या में पड़े हैं।

यदि मजदूर अपना कर्त्तव्य छोड़ दें तो सच्ची अराजकता और अन्धाधुन्धी मच जाती है। यही नजारा आज हम सारे हिन्दुस्तान में या सारे संसार में देख रहे हैं।

मनुष्य जन्म से ही कर्जदार पैदा होता है। और शास्त्र भी यही सिखाता है कि इस कर्ज को अदा करने के लिए ही हम जन्म लेते हैं, और जन्म से ही परवश बन जाते हैं। माता यदि खाना दे तो खा लेते हैं। इंसान दूसरों पर निर्भर रहकर ही अपने आपको इन्सान बनाता है।

: १२ :

धर्म-पालन बनाम अधिकार—२

नई दिल्ली, २९ जून १९४७

गांधीजी ने आज भी अपने प्रवचन में कल वाले धर्म-पालन और अधिकार का विषय जारी रखा। उन्होंने कहा—

"कल हमने फर्ज यानी धर्म-पालन के बारे में बात शुरू की थी। मैं जो आपको कहना चाहता था वह सब का सब कल नहीं कह पाया था। आज मैं उसे कह दूंगा। हमेशा जब कोई आदमी कहीं भी जाता है, उसका वहां कुछ न कुछ फर्ज हो जाता है। लेकिन जो आदमी अपना फर्ज भूलकर सिर्फ हक की ही हिफाजत करना चाहता है, वह इस बात को नहीं जानता कि जो हक अपने कर्त्तव्य-पालन से पैदा नहीं होता उसकी कोई हिफाजत कर नहीं सकता। हिन्दू-मुसलमानों के बारे में भी यही चीज लागू होती है। कहीं भी हिन्दू रहें या मुसलमान रहें या दोनों रहें, वे अगर अपना-अपना धर्म-पालन करें तो उसमें से हक अपने आप पैदा हो जाता है। फिर उसके मांगने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे बच्चा मा का दूध पीता है। दूध पीना उसका धर्म है, क्योंकि उससे उसको जिन्दा रहने का हक मिलता है। यह एक ऐसा सुनहरी क़ानून है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। यदि हिन्दू मुसलमान को अपना सहोदर समझ कर उसके साथ अच्छा सलूक करता है तो मुसलमान भी बदले में दोस्ती का ही जवाब देगा। एक देहात की मिसाल को आप ले लीजिए। अगर एक गांव में ५०० हिन्दू और ५ मुसलमान रहते हैं, तो इन ५०० हिन्दुओं

का उन ५ मुसलमानों के प्रति फर्ज हो जाता है और पीछे हक भी। वे अपनी मगरूरी में यह न मान लें कि हम तो इनको कुचल डालेंगे और मार देंगे। किसीको मारने का हक तो पैदा ही नहीं होता। उसमें कोई बहादुरी नहीं, बुजदिली है; निर्लज्जपना और बेशर्मी है। उन ५०० हिन्दुओं का तो यह धर्म हो गया कि जो मुसलमान वहां पड़े हैं, वे चाहे दाढ़ी रखते हों या पश्चिम में नमाज पढ़ते हों, उनके वे सुख-दुख में शामिल हों। उनका फर्ज है कि वे यह देखें कि उन्हें खाना मिलता है या नहीं, पानी पीने को है या नहीं और उनकी अन्य जरूरत भी पूरी होती है या नहीं। जब ये ५०० हिन्दू अपना धर्म-पालन करते हैं तब उन्हें यह हक मिल जाता है कि वे ५ मुसलमान भी अपना फर्ज पूरा करें। अगर किसी कारण से गांव में आग लग जाती है और वे ५ मुसलमान यह कहें कि गांव जलने दो और उलटा गांव को जलाने में ही मदद करें तो फिर वे अपना फर्ज अदा नहीं करते। गांव में आग लगना तो एक आम बात है। किसी ने बीड़ी फूंक कर दियासलाई फेंक दी और वह किसी घास में या रुई में जा गिरी तो आग जलने लगी। हवा का जोर और गांव में घास-फूस के झोंपड़े ही होते हैं और सारा गांव जल जाता है। मगर हकीकत में होगा ऐसा कि वे पांच मुसलमान भी यही कहेंगे कि हम भी उसमें पानी ले जायं और अंगारों को बुझाने का यत्न करें। इस तरह से यदि एक दूसरे अपने-अपने धर्म का पालन करें तो फिर उनका हक भी आप ही आप मिल जाता है। परन्तु आज हम लोग अपने फर्ज का पालन नहीं करते। काम तो फिर भी चलता ही है, क्योंकि ईश्वर ने यह दुनिया ऐसी पंचरंगी बनाई है कि जिसका काम कभी नहीं रुकता। मगर फर्ज पालन करने से उसमें एक खूबसूरती पैदा हो जाती है।

यह तो मैंने आपको एक नमूना बताया। मान लो कि ये ५ मुसलमान बदमाशी करना ही चाहते हैं। आप उनको खाना दें, पानी भी दें और अच्छे से अच्छा सलूक करें और फिर भी वे गालियां ही दें, तब उन ५०० हिन्दुओं का क्या फर्ज हो जाता है? उनका यह धर्म नहीं कि वे उनको काट डालें। यह तो जानवरों की बात हुई, मनुष्य का यह धर्म

नहीं। यदि मेरा कोई सगा भाई है और वह दीवाना बन गया है तो क्या मैं उस पर मारपीट शुरू कर दूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसको एक कमरे में अलग रख दूंगा और दूसरों को भी मारपीट नहीं करने दूंगा। यह एक इंसानियत का सलूक हुआ। इसी तरह यदि वे मुसलमान दोस्ताना तौर से चलना ही नहीं चाहते और कहते जायं कि हम तो अलग नेशन हैं, हम पांच हैं तो क्या हुआ, हम बाहर से ५करोड़ मुसलमान बुला सकते हैं तो वे हिन्दू उन बाहर के मुसलमानों की धमकी से डरें नहीं। वे उनसे साफ कह दें कि हम तो उनसे दोस्ताना तौर से चलने को कहते हैं, मगर वे चलते ही नहीं। अगर आप उन्हें मदद देना चाहते हैं तो दें, मगर हम डरने वाले नहीं हैं और हम कभी भी डर के आगे सिर नहीं झुकायेंगे। अन्त में बाहर की दुनिया भी समझ जायगी कि वे ५०० हिन्दू शरीफ आदमी हैं और अपना फर्ज पालन करने को तैयार हैं। यही चीज उस गांव पर भी लागू होती है जहां ५०० मुसलमान और ५ हिन्दू रहते हों जैसा कि पाकिस्तान में बहुत जगह रहते हैं। अभी झेलम के कुछ आदमी मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि हमारा वहां क्या हाल होगा ? मैंने उनसे कहा कि अगर वहां मुसलमान अच्छे हैं, अपने आप पर काबू रखने वाले हैं और अपना धर्म-पालन कर रहे हैं तो फिर आपको डरने की बात क्या है ! और यदि वे ५ हिन्दू पाजी हैं तो फिर वे सारे हिन्दुस्तान के हिन्दू वहां बुलावें तो भी क्या बनता है ? जब सब अपना-अपना धर्म-पालन करें तो पीछे उनके पास हक अपने-आप आ जायगा। ईश्वर की ऐसी खूबी है। यह मैं बहुत तजुर्बे की बात कहता हूं और वह तजुर्बा भी एक वर्ष का नहीं, बल्कि साठ वर्षों का।

अन्त में गांधीजी ने राजा और रैयत के फर्ज बताये। उन्होंने कहा आजकल हिन्दुस्तान के कुछ राजा लोग बहुत बिगड़ रहे हैं, वे समझते हैं कि वे 'यावच्चंद्र दिवाकरौ' राजा ही हैं। वे कहते हैं कि हमें रैयत ने थोड़े ही राजा बनाया है, या तो अंग्रेज ने बनाया है या सूरज और चांद ने। परन्तु यह तो धर्म-पालन की बात नहीं, बल्कि घंमड और अहंकार की बात हुई। अब तक राजाओं पर अंग्रेजों का साया था। करोड़ों

रुपया उन्होंने अमरीका और इंग्लैण्ड में खर्च किया। खूब खेल खेले। मगर अब किस मुंहसे वे खेल खेलेंगे। अब तो रैयत चाहेगी तभी वे राजा रह सकेंगे। अब तो वे रैयत के सेवक बनकर ही रह सकते हैं। मगर खाना तो सेवक को भी चाहिये। अब तक तो वे लूटकर खाते थे। महलों में भी उनको रहने दिया जाय, क्योंकि वे कह सकते हैं कि हम जन्म से ही महलों में रहना सीखे हैं, झोंपड़ों में कभी रहे ही नहीं। तो महलों में उनको रहने देने से रैयत का क्या बिगड़ता है?

परन्तु राजा यदि रैयत के पास आता है, उसका सुख-दुख सुनता और अपने को रैयत का सेवक कहता है, तो फिर उस राजा को उस रैयत पर राज्य करने का हक़ मिल जाता है। वह सेवक की हैसियत से राज-काज करे। उसे रैयत से कर लेने का भी हक़ मिल जाता है, क्योंकि कर के बिना रियासत का काम कैसे चल सकता है? रैयत भी स्वेच्छा से कर देती है और बड़ी ख़ूबसूरती से सारा काम चलता है।

यदि राजा लोग कहें कि रैयत कौन होती है। हम उसे तोपसे उड़ा देंगे, तो वह राजा का धर्म-पालन नहीं हुआ। तब रैयत क्या करे? ऐसी स्थिति में रैयत का धर्म क्या है?

तब रैयत का धर्म हो जाता है राजा का सामना करने का और उसका राज-पाट बन्द करने का। मगर रैयत के बिगड़ने का मतलब यह नहीं कि वह महलों में आग लाग दे और सब कुछ छिन्न-भिन्न कर दे। वह तो अधर्म हो जाता है। राजा यदि उलटे रास्ते पर है तो रैयत का यह धर्म नहीं कि उसे जमीन पर घसीटे। रैयत बाअदब, सत्य से और अमन से सामना करे। सत्याग्रह इसीमें से पैदा हुआ था।

रैयत अपने धर्म को छोड़कर अकेले हक़ के पीछे न भागे। जो केवल हक के पीछे दौड़ता है उसको वह मिलता नहीं है। उसकी दशा उस कुत्ते जैसी होती है जो पानी में अपनी ही परछाई देखकर उसको काट खाने के लिए झपटता है। वह उसका काल्पनिक हक़ है। धर्म-पालन के बाद हक़ तो अपने-आप उसकी गोदी में आपड़ता है। यह एक बड़ी ख़ूबसूरत और अनोखी बात मैंने आज आपको बताई है।

: १३ :

आत्मा की आवाज़ के खिलाफ काम न करें

नई दिल्ली, ३० जून १९४७

आज गांधीजी का मौन था। इसलिए प्रार्थना के बाद उनका निम्नलिखित संदेश पढ़कर सुनाया गया :—

"लोगों की आंखें आज सरहदी सूबे में होने वाले जन-मत की तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि सरहदी सूबा कानूनन कांग्रेस का रहा है और आज भी है। बादशाह खान और उनके साथियों को कहा जाता है कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान, दो में से किसी एक को चुनो। हिंदुस्तान का आज गलत अर्थ हो गया है— हिंदुस्तान का हिंदू और पाकिस्तान का मुसलमान। बादशाह खां इस कठिनाई में से कैसे निकलें? कांग्रेस ने वचन दिया है कि डा० खान साहब की सीधी देख-रेख के नीचे सरहदी सूबे में जनमत लिया जायगा। सो वह तो नियत तारीख पर ही होगा। खुदाई खिदमतगार मत नहीं देंगे। सो मुस्लिम लीग को सीधी जीत मिलेगी और खुदाई खिदमतगारों को अपनी आत्मा की आवाज़ के खिलाफ काम भी नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते कि उनकी आत्मा की आवाज़ है, ऐसा माना जाय। ऐसा करने में क्या जन-मत की शर्तों का भंग होता है? वही खुदाई खिदमतगार जिन्होंने बहादुरी से ब्रिटिश सरकार का सामना किया, अब हार से डरने वाले नहीं हैं। हार होगी, यह पक्की तरह जानते हुए भी अलग-अलग दल रोज चुनाव में हिस्सा लेते हैं। जब एक दल चुनाव में हिस्सा नहीं लेता तब भी तो हार निश्चित ही होती है।

"पठानिस्तान की नई मांग पेश करने के लिए बादशाह खान को

ताना दिया जाता है। कांग्रेस की वजारत बनने से पहले भी, जहां तक मैं जानता हूं बादशाह खान के सिर पर यही धुन सवार थी कि अपने घर में पठानों को पूरी आजादी हो। बादशाह खान एक अलग स्टेट बनाना नहीं चाहते। अगर वह अपने घर में अपना विधान बना सकें तो वह खुशी से दो में से एक संघ को कबूल कर लेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि पठानिस्तान की इस मांग के सामने किसी को क्या उज्र हो सकता है। हां, पठानों को पाठ सिखाना हो और उन्हें किसी-न-किसी तरह झुकाना ही हो तो बात अलग है। बादशाह खान पर एक बड़ा इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि वह अफगानिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह कभी किसी तरह की धोखाबाजी कर ही नहीं सकते। वह सरहदी सूबे को अफगानिस्तान में जज्ब होने नहीं देंगे।

उनके दोस्त होने के नाते मैं मानता हूं कि उनमें एक ही कमी है। वे बहुत ही शक्की हैं, खास कर अंग्रेजों के काम और नीयत पर वह हमेशा शुबहा करते हैं। मैं सबसे कहूंगा कि वे उनकी इस कमजोरी को जो कि खास उन्हीं में नहीं है, नजरंदाज कर दें। यह जरूर है कि इतने बड़े नेता के लिए यह शोभा नहीं देता। अगर्चे मैंने उसको एक कमजोरी कहा है और जो एक तरह से ठीक ही है, मगर दूसरी प्रकार से इसको एक खूबी मानना चाहिए। क्योंकि वे चाहें भी तो अपने विचारों को छुपा नहीं सकते।

सरहद से मैं आपको रामेश्वरम् की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां से, कहा जाता है, कि रामचन्द्रजी ने शिलाओं का तैरता हुआ पुल बनाया था, ताकि उनकी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच जाये, जिसे उन्होंने जीता, लेकिन अपने पास नहीं रखा और उन्होंने उसे रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया। वही मशहूर मंदिर आज हरिजनों के लिए खोल दिया गया है। इस प्रकार दक्षिण में कोचीन के मंदिरों को छोड़कर तमाम मशहूर मंदिर हरिजनों के लिए खुल गये हैं। राजाजी ने खास-खास मंदिरों की जो सूची मुझे दी है, वह इस प्रकार है:—मदुरा, तिन्नावेली, चिदम्बरम्, श्रीरंगम्, पलनी, तिरुलिरेन, तिरुपति, कांची और गुरवय्यूर।

सूची इतने पर ही खत्म नहीं हो जाती है। मद्रास असेम्बली के हरिजन स्पीकर अन्य हरिजनों और दूसरे पूजा करने वालोंको साथ लेकर इनमें से अक्सर मंदिरों में घूमे हैं। शिक्षित हरिजन और अन्य लोग इस सुधार के महत्व को शायद कबूल न करें, लेकिन हम इसका महत्व कम न करें क्योंकि वह सुधार बगैर खून-खराबी के हुआ है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कोचीन भी त्रावणकोर, तामिलनाड और ब्रिटिश केरल की तरह अपने मंदिरों को हरिजनों के लिए खुलवा देगा।

मंदिर-प्रवेश सुधार तबतक अपूर्ण रहेगा जबतक मंदिर जरूरी अन्दरूनी सुधार से वास्तविक रूप में पवित्र न हो जायं।

: १४ :

अपने में कोई ग़लती न रहे

नई दिल्ली, १ जुलाई १९४७

गांधीजी ने प्रार्थना के बाद के अपने प्रवचन में कहा:—

"आप लोगों ने आज का भजन समझ लिया होगा। इसमें खासी हिंदुस्तानी है। ऐसी हिंदुस्तानी नहीं है जिसमें ठूंस-ठूंस कर अरबी और फारसी भरी जाती है। यह तो दिल्ली वालों की-सी हिंदुस्तानी है। इसमें खूबी भी है, और मिठास भी है। भजन में कहा है कि ये तीन बातें जिसने पाई हैं राम उसको मिलता है। तीन बातें ये कि घर-बार चला गया, सब कुछ लुट गया, लेकिन वह हाय-हाय न करके राम का नाम लेता है। संगी-साथी उसे छोड़ देते हैं, उसका अपमान करते हैं तो भी वह ईश्वर को नहीं छोड़ता। रोग होता है, मामूली, नहीं बहुत भयानक, फिर भी वह राम को नहीं छोड़ता। जिसने ये तीन चीजें नहीं पाईं उसने राम को नहीं पाया। जिसने ये तीन नियामतें पाई हैं उसके घर में तो राम बैठा ही है। भजन की ये तीन चीजें आज हमारे लिए बड़ी फायदेमन्द हैं। सो आज जो हम पर गुजरती है उससे हम हाय-हाय न करें।

एक पत्र का हवाला देते हुए गांधीजी ने कहा कि एक भाई लिखते हैं कि तू रोज-रोज प्रार्थना में कहता है कि हिंदुस्तान का जो टुकड़ा हो गया है उसे किसी तरह से मिटा देना है। लोग जानते नहीं कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। जिस चीज को कांग्रेस और लीग ने मंजूर कर लिया और भूगोल के दो टुकड़े हो गए उसके पीछे सर क्या फोड़ना? मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। दिल के टुकड़े थोड़े ही हुए हैं। कांग्रेस ने जो

मान लिया है उसे तो होने दो। उससे बिगड़ता क्या है? जर्मीन का टुकड़ा कर लिया तो उससे क्या दिल के टुकड़े हो गए? अगर हम एक दूसरे के साथ मिल-जुल कर काम नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान का काम कैसे चलेगा? मान लिया कि मुसलमान लोग मिल-जुल कर काम नहीं करना चाहते तो हम क्या करें? मैं कहता हूं कि जिन्दगी एक खेल है। खेल में हमेशा दो पार्टियां चाहिए। अगर एक (पार्टी) मान ले कि टुकड़ा नहीं हुआ है तो दो टुकड़े नहीं हो सकते।

लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी की खुशामद करें। हमें तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जैसा मैंने परसों कहा था उसी प्रकार फिर कहता हूं कि धर्म सच्ची चीज है, हक अच्छी चीज नहीं। कोई आदमी अगर हमें तंग करता है तो हमें खुशामद नहीं करनी चाहिए, बल्कि धर्म-पालन करना चाहिए।

मुझे एक सिक्ख लड़के ने लिखा है कि तू सिक्खों से मुहब्बत तो करता है पर उनके बारे में करता क्या है? हिंदू और मुसलमान दोनों ने कुछ-न-कुछ पाया है, लेकिन सिक्ख को क्या? उसके लिए तू क्या करता है? उसके लिए कुछ हमदर्दी तो बताओ? मुझे उनसे यही कहना है कि पंजाब में सिक्खों का टुकड़ा हुआ उसके लिए मैं क्या करूं? मैं कोई हाकिम तो हूं नहीं। मैं क्या करता? मेरे नजदीक तो सिक्ख-धर्म और हिंदू-धर्म में कोई भेद नहीं। मैं तो सब पढ़ चुका हूं। सिक्खों का ग्रंथ साहब बड़ा आसान है। उसमें जो भरा है वही सब वैदिक-धर्म में भी है। गुरु नानक ने भी वही कहा है। लेकिन आज यह अलग माने जाते हैं। यह कौम बहुत छोटी है लेकिन विख्यात है। इसकी तलवार मशहूर है। आज मेरे पास कनाडा से दो भाई आये थे। वह कहते थे कि कनाडा में काफी सिक्ख पड़े हैं और काफी काम करते हैं। अफ्रीका में भी सिक्ख लोग हैं। जहां-तहां सब जगह सिक्ख दिखाई पड़ते है। सिक्ख खेती करते हैं, इंजीनियर है, रेल बनाते हैं, मोटर चलाते हैं। पर आज तो सिक्ख बहुत ऐश-आराम में भी आ गये हैं।

मेरे पास मुस्लिम लीग का मथुरा से एक तार आया है कि

यहां हिंदू लोग हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यह बात ठीक है या गलत। पर यह तरीका अच्छा नहीं। अगर हम संख्या-बल बनायें तो यह ठीक नहीं। संख्या-बल से मगरूरी आती है और मगरूरी से हमारा नाश हो जाता है।

इसके बाद गांधीजी ने वाइसराय के साथ हुई अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि आप जानना चाहेंगे कि आज वायसराय से मिलने गया तो वहां क्या हुआ ? मै तो नेहरू जी और सरदार के साथ चला गया था। अखबार वालों से मैं कहूंगा कि जब तक वहां से कोई अधिकृत वक्तव्य न निकले वे अपनी गप्प न चलायें। आज की हालत में अखबार वालों को चाहिए कि वह ऐसी कोई बात न करें जिससे देश को नुकसान हो।

एक और पत्र का उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा—"पत्र में लिखा था कि अंग्रेज बदमाश हैं और तू भी बदमाश है। लेकिन अंग्रेज फरेबी और बदमाश हैं ऐसा मानने को मैं तैयार नहीं। जब वह बदमाश साबित हो जायंगे तो वे खुद ही मर जायंगे। इसी तरह अगर मैं बदमाश हूं तो मैं भी मर जाऊंगा। यह ऐसा खूबसूरत कायदा ईश्वर ने बना रखा है। दुनिया को चलने दें। हम कोई फरेब न करें। अपने में कोई गलती न रहे। यही धर्म का मार्ग है।

: १५ :

हिन्दी-उर्दू का संगम

नई दिल्ली, २ जुलाई १९४७

प्रार्थना के उपरांत गांधीजी ने कहा--

एक भाई मुझे लिखते हैं कि जगत में बहुत वस्तुएं होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिसे लोग पसन्द करते हैं और कुछ ऐसी जिसे पसन्द नहीं करते। जिसे लोग कबूल नहीं करते उसको करना, जिसे लोग पसन्द नहीं करते उस काम को हाथ में लेना यह तो मूर्खता की इन्तिहा है। तू तो लोगों को सच्ची राह बताता था। अब तुझे बुढ़ापे में भी ऐसा ही करना चाहिए कि लोग जिस रास्ते में जायं उसमें तुझे समर्थन देना चाहिए।

इसका उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा--"लेकिन मुझे यह चीज चुभती है। जो चीज लोकप्रिय बन गई है उसे वजन (समर्थन) क्या देना? जो कोई नहीं करते ऐसा काम करो। अगर तू अकेला है तो कुछ गंवाता नहीं है। कानून तो यह है कि अकेला है तो भी तुझे काम करना है। फिर लोग चाहे राजी हों या नाराज। किसी शख्स ने ऐसा माना कि छोटे-छोटे रेत के कणों से रस्सी बनाकर बिस्तर बांधूंगा, तो यह मूर्खता है। रस्सी तो मूंज से ही बनती है। जो काम करने लायक होता है वह तो करना ही है।

लोग कहते हैं कि तू तो बहुत दिनों से हिन्दी-साहित्य सम्मेलन में था। जब वहां था तो हिन्दी को बहुत बड़ी बताता था। दक्षिण में पहले हिन्दी चलाता था। वहां तो लोग तामिल को मानते थे। वहां तू ने

हिन्दी चला दी। तू ने इतना हिन्दी का काम किया यह बहुत था, फिर हिन्दुस्तानी क्यों ?

इसका जवाब यह है कि मेरी हिन्दुस्तानी हिन्दी में से आई है। मैं इन्दौर के हिन्दी-साहित्य सम्मेलन में गया। मारवाड़ी-सम्मेलन में भी जमनालालजी के प्रेम से चला गया। वहां जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रेम से जाना ही पड़ता है। प्रेम मुझको घसीट ले गया। वहीं मैंने कह दिया था कि मेरी हिन्दी तो अजीब प्रकार की है। जिसे हिन्दू भी बोलते हैं मुसलमान भी बोलते हैं। उसे उर्दू में लिखो, चाहे देवनागरी में लिखो—ऐसी मेरी हिन्दी है। मेरी हिन्दी वह नहीं है जो साक्षर (शिक्षित) बोलते हैं। मैं तो टूटी-फूटी हिन्दी बोलता हूं। मगर आप समझ लेते हैं। मैंने तुलसीदास पढ़ लिया है पर मैं हिन्दी में साक्षर नहीं हुआ हूं। उर्दू में भी साक्षर नहीं बना हूं क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं है। मैंने ऐसी हिन्दी चलाई, पर वह नहीं चली तो मैं हिन्दी-साहित्य सम्मेलन से निकल आया।

संस्कृतमयी बोली तो हिन्दी हो सकती है और उर्दू भी आज ऐसी हो गई है जिसे मौलाना साहब बोल सकते हैं या सप्रू साहब। इसीलिए मैंने कहा कि न मुझे हिन्दी चाहिए न उर्दू। मुझे गंगा-जमुना का संगम चाहिए। पर लोग कहते हैं कि तू तो मूर्ख है। जहां अन्जुमन तरक्की-ए-उर्दू है, हिन्दी-साहित्य सम्मेलन है जो हिन्दी का बड़ा काम करता है, वहां तेरी बात नहीं चलेगी और जब पाकिस्तान बन गया है तो भी तू हिंदुस्तानी की बात करता है ?

लेकिन मेरा दिल तो बागी हो गया है। वह कहता है कि मैं क्यों हिंदुस्तानी को छोड़ूं ? वह चीज अच्छी है तो मैं उसे क्यों छोड़ दूं ? जब हम प्रयाग में जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। इसी तरह अगर हिंदी और उर्दू का संगम बना लूं तो मैं पावन हो जाऊंगा।

आज तो मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन गांधी है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मैं जिन्दा रहा तो वे लोग

मुझ दुश्मन को भी बुलाने वाले हैं। मेरी गरज तो सबको है। लेकिन में कहूंगा कि हिंदुस्तान में जो पागलपन का पूर आया है उसमें हम डूब न जायं। बिना मौत के न मर जायं।

अगर मैं अकेला रहूंगा तो भी यही कहूंगा कि मैं तो हिन्दुस्तानी को ही राष्ट्रभाषा मानता हूं। मेरा राष्ट्र तो हिंदुस्तान में भी है पाकिस्तान में भी है। मुझे कोई कहीं नहीं रोक सकता। जिना साहब रोकें। मैं कोई अलग प्रजा थोड़े ही बन गया हूं। जिना साहब मुझे कैद करें। मैं पासपोर्ट लेने वाला नहीं हूं।

यही हिम्मत आप में भी होनी चाहिए। हमारी माता-हिंदमाता-जिसका झंडा लेकर हम घूमे हैं, कुर्बानी की है तो, क्या हम आज यह मान लें कि अब उस हिंदमाता का सिर कट गया है?

कोई ऐसी गलती न करे कि उर्दू को भूलकर हिंदी ही ले। जो चीज एक आदमी करेगा तो उस एक में से अनेक हो सकते हैं। मैं मर जाऊंगा तो भी हटने वाला नहीं हूं। जैसा मेरा दिल कहता है वैसे ही आप बने तो अच्छा है। हिंदमाता के लिए भी अच्छा है।

: १६ :

"पानी में भी मीन पियासी"

नई दिल्ली, ३ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद गांधीजी ने प्रवचन करते हुए कहा—

आप लोगों ने आज का भजन (पानी में मीन पियासी रे, मोहि सुनि-सुनि आवै हांसी) तो सुन लिया। इसमें ऐसी बात है कि पानी में मछली रहे और प्यासी रहे यह बड़ी हंसी की बात है। हम ईश्वर की दुनिया में पड़े हैं पर उसे जानते नहीं। ऐसी भरमना (भ्रम) पैदा हो जाय तो यह हंसी की ही बात है। ईश्वर तो हमारे पास पड़ा है। जैसे नाखून अंगुली से अलग नहीं है ऐसे ही ईश्वर भी अलग नहीं है। नाखून अलग होता है तब वेदना होती है, ऐसेही ईश्वर अगर दूर रहेगा तो वेदना होगी ही।

आज हिन्दुस्तान में भी वेदना फैल रही है। लेकिन यह सब शहरों में है। ७ लाख देहात तो शहरों के इर्द-गिर्द नहीं रहते। हिन्दुस्तान तो १९०० मील लम्बा और १५०० मील चौड़ा है। हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हो गये तो नक्शा थोड़े ही बदल गया। वह तो जैसा आज है वैसा ही रहेगा। अगर हम सब यह बात समझलें और भूल न जायं तो सब झगड़ा निपट जाता है।

एक ब्राह्मण महाशय ने गांधीजी को पत्र लिखते हुए पूछा था कि हमारा पढ़ने-लिखने का पहला हक़ है मगर कालिजों में हमारे लड़कों को स्थान नहीं मिलता, आप इस पर कुछ कहिए। गांधीजी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि एक भाई ने मुझे लिखा है कि ब्राह्मण तो ४०

करोड़ में एक मुट्ठी-भर हैं। समुद्र में बिन्दुवत् हैं। इसलिए अल्पमत हैं।

मैं अगर अकेला हूं तो मैं भी अल्पमत में हूं। लेकिन बिन्दु अपने आपमें अल्पमत में नहीं। जब वह पानी से अलग हो जाता है तभी अल्पमत में होता है और सूख जाता है। अगर वह साथ रहता है तो वह बिंदु नहीं समुद्र ही है। हिंदुओं के समुद्र में ब्राह्मण अल्पमत में कहां हैं? जितना बड़प्पन सबमें है वह उसमें भी है।

एक जमाना था कि ब्राह्मणके लड़के ही पढ़ने जाते थे। वह जमाने से पढ़ते आते थे, इसलिए जब नई चीज आई तो वह भी पढ़ने लगे। लेकिन अब तो ब्राह्मणेतर भी शिक्षा लेते हैं। तब ब्राह्मण या दूसरे का दिल यों क्यों कहे कि मेरे लड़के की भरती क्यों नहीं होती? मैं तो दो-तीन दिन से आपको हक की बात समझा रहा हूं। हक जैसी कोई चीज नहीं है। अगर ब्राह्मण हक से पढ़ने आता है तो मैं पूछूंगा कि यह कहां से पैदा हुआ? जन्म से ब्राह्मणका हक है या किसी और का हक है मैं नहीं मानता। धर्म के साथ कर्म करने से हक पैदा होता है। पापी को भी पाप-कर्म का फल भोगनेका हक है ऐसा आप मानते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा कि जिसने पुण्य-कर्म किया है उसे पुण्य-फल का हक हो जाता है।

"ब्राह्मण का हक क्या है यह कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि वह ब्रह्म को जाने यही उसका हक है। ब्राह्मण के तो दो ही धर्म हैं— एक तो ब्रह्म-विद्या को जाने और दूसरे उसे जानकर दूसरों को सिखाये। जो ब्राह्मण इस तरह से धर्म का पालन करता है तो उसे जिन्दा रहने का हक हो जाता है।

पहले जब ब्राह्मण ऐसा होता था तो लोग उन्हें जिंदा रखने के लिए सीदा आदि देते थे और वे ब्राह्मण भी ऐसे थे कि जितना उन्हें चाहिए उतना ही लेते थे बाकी वापस कर देते थे। ब्राह्मण का हक तो ब्रह्म-विद्या सिखाना है। जब ऐसा हक है तो रोना क्या कि कालेज में नहीं जा सकते। सब कालेज में कहां जा सकते हैं? ७ लाख

देहातों में रहने वाले लड़के-लड़की कालेज में कहां जा पाते हैं। वह तो नई तालीम से ही मुमकिन है। पर आज मैं उसकी बात नहीं करता।

इसलिए मैं कहता हूं कि कोई अपने को अल्प संख्यक नहीं माने। सब एक हैं। हमारे धर्म में तो जो सबसे नीचा है उसे सबसे ऊंचा बताया गया है। इसलिए हम सब भंगी बन जायं, मेहतर बन जायं, तभी हम सब की खैर है। ब्राह्मण के लिए भी खैर है फिर उसके लिए कोई दुविधा पैदा होने वाली नहीं है।

: १७ :

राम-राज्य के आसार नहीं हैं

नई दिल्ली, ८ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा--

आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। कुछ लोग मुझे सुनाते हैं कि जो कुछ हो गया और हो रहा है और जो डोमिनियन स्टेटस हमें मिलने जा रहा है, क्या उसमें से राम-राज्य पैदा हो जायगा ? पूछने वाले मुझे ताना देते हैं और मुझे कबूल करना पड़ता है कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इसमें से राम-राज्य पैदा होगा। मैं सब चिन्ह उसके विरुद्ध ही पाता हूं। अंग्रेजों ने हमारे देश के दो-टुकड़े बनाये और पीछे उनके दो डोमिनियन स्टेटस भी बन जाते हैं। दोनों एक-दूसरे के दुश्मन बन गए, ऐसा मानकर जब वे चलते हैं तब उसमें से राम-राज्य कैसे पैदा हो सकता है ? डोमिनियन स्टेटस का मतलब अंग्रेजों के मातहत तो नहीं; उनके साथ हमारा बराबरी का रिश्ता हो जाता है। वह करीब-करीब आजादी जैसा ही है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। परन्तु ब्रिटिश कामनवैल्थ में बाकी जो डोमिनियनें हैं, वे सब तो ऐसे हैं जिन्हें हम एक कबीले के कह सकते हैं। हिन्दुस्तान तो एशिया का एक देश है। तब वह डोमिनियन कैसे रह सकता है ? यदि दुनिया में जितने भी राज्य हैं उन सबका एक डोमिनियन बनता तब तो बात दूसरी थी और उसमें से राम-राज्य भी पैदा हो जाता। मगर जो कुछ बना है उसमें से राम-राज्य या खुदाई राज्य नहीं निकल सकता। पहले तो ब्रिटिश गवर्मेन्ट ने यह माना था कि वह ३० जून १९४८ तक भारतीयों के हाथों में सारी

सत्ता सौंप देगी। मगर अब उसने ऐसा ठान लिया कि वह जितनी जल्द हिन्दुस्तान से चली जाय उतना ही अच्छा है। मगर जल्दी से छोड़कर जाये कैसे ? इसके लिए उन्होंने फैसला किया कि यदि डोमीनियन स्टेटस आज वे बनादें तो उसमें कोई खटका नहीं रहता क्योंकि डोमीनियन बनने पर कुछ-न-कुछ ताल्लुक तो उनका रह ही जाता है।

मैं नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान एक कुंए के मेंढक की तरह रहे। जैसे एक कुंए का मेंढक कहता है कि कुंए में तो मेरा राज्य चलता है, बाहर चाहे कुछ होता रहे उसका मुझे पता नहीं। मगर हमारे यहां तो जवाहरलालजी तथा अन्य नेता लोग यह कह चुके हैं कि हम किसी के दुश्मन बन कर नहीं रहेंगे, अर्थात दुनिया में सबके दोस्त बनकर रहेंगे। उसमें अंग्रेज भी आजाते हैं। तो क्या वे एक विश्व-संघ या विश्व-राज्य बनाना चाहते हैं ? एशियाई सम्मेलन में तो मैंने कहा था कि ऐसा विश्व-संघ बन सकता है और उसमें किसी मुल्क को अपने यहां फौज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कुछ देश आज अपने आपको डेमोक्रेट (जनतन्त्र) कहते हैं। केवल कहने से ही वे डेमोक्रेट थोड़े ही बन जाते हैं। जहां लोक-राज्य होता है, वहां फौज की क्या जरूरत ? जहां फौजी राज्य होता हो वहां लौकिक या पंचायती राज्य हो नहीं सकता। फौजी राज्यों का कोई विश्व-संघ नहीं बन सकता। जापान और जर्मनी की फौजी हकूमतों ने अपनी दोस्ती बताकर अन्य देशों को अपने साथ मिलाने की चाल चली थी, मगर वह चाल आखिर चली थोड़े ही। नतीजा यह है कि आज जिस जगह पर भी नजर डालता हूं मैं आज राम-राज्य की कोई निशानी नहीं पाता हूं।

कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने ३२ साल तक सत्य और अहिंसा का नाम लिया। क्या उसी का यह नतीजा नहीं देख रहे कि आज देश में हर जगह छुरों और गोलियों से मारकाट मची हुई है। इस तरह से कौन कब तक यहां जिन्दा रहेगा ? इस पर मैं यह कहूंगा कि आज जब इतनी बेचैनी फैल रही है, तब वह अहिंसा तो नहीं हुई। तो क्या ३२ वर्ष तक मेरा झूठ और फरेब का राज चलता रहा ? ३२ वर्ष

तक करोड़ों आदमियों ने जो मुझसे अहिंसा की तालीम ली, क्या वे एकाएक आज झूठे और हिंसक बन गये ? मैं तो यह कबूल कर चुका हूं कि हमारी अहिंसा दुर्बलों की थी। मगर सचाई तो यह है कि दुर्बलों के साथ अहिंसा का कभी मेल बैठता ही नहीं। अतः उसे अहिंसा की बजाय निष्क्रिय प्रतिरोध कहना चाहिए। मगर मैंने जो अहिंसा चलाई थी वह दुर्बलों की नहीं थी, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का होता है। उसमें सबलता नहीं आई थी। इसके अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध सक्रिय और सशस्त्र प्रतिरोध की तैयारी होता है। नतीजा यह हुआ कि लोगों के दिलों में जो हिंसा भरी थी, वह एकाएक बाहर निकल पड़ी।

निष्क्रिय प्रतिरोध भी तो हमारा असफल नहीं हुआ। हमने अपनी आजादी करीब-करीब प्राप्त करली। आज जो हिंसा दिखाई दे रही है, वह भी नामर्दों की हिंसा है। एक मर्द की हिंसा भी होती है। मान लीजिये चार-पांच आदमी अपनी तलवारों से लड़ते-लड़ते मर जाते हैं। उसमें हिंसा जरूर है, परन्तु वह मर्दों की हिंसा है। जब दस-बारह हजार सशस्त्र आदमी एक गांव के निहत्थे लोगों पर हमला करके स्त्री-बच्चों समेत उन्हें काट डालते हैं तो वह नामर्दों की हिंसा हुई। अमरीका का एटम बम एक तरफ और सारा जापान दूसरी तरफ। वह नामर्दों की ही हिंसा थी। मर्दों की अहिंसा तो देखने की चीज होती है। उसी अहिंसा को देखते हुए मैं मरना चाहता हूं। उसके लिए हृदय में बल होना चाहिए। वह एक बड़ा खूबीदार हथियार है। यदि सबलों की अहिंसा को लोगों ने जान लिया होता तो हाल में ही जो जान-माल का नाश हुआ वह कभी नहीं होता।

मगर आज तो बहुत बुरी हालत पड़ी है इस देश की। हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में जहां ३२ साल से मैं सत्य और अहिंसा सिखाता रहा हूं, कपड़ा और अनाज का राशन करने की क्या आवश्यकता थी यदि लोगों का एक-दूसरे पर विश्वास होता। यदि हम दयानतदारी से अन्न खायें और कपड़ा पहनें तो हिन्दुस्तान में दुष्काल हो नहीं सकता। यदि सब लोग सचाई से रहें और अपने-आप अपनी मदद करने लगें तो हमें सिविल

सर्विस की तरफ देखने की भी जरूरत न हो। स्वर्गीय माण्टेगू ने तो सिविल सर्विस को लकड़ी का ढांचा कहा था। वे अपने को जनता के सेवक नहीं मानते और न वे इस मतलब के लिए रखे जाते हैं। वे तो जैसे भी हो विदेशी राज को यहां बनाये रखने के लिए होते हैं। वे केवल दफ्तरों में बैठे चपरासियों के जरिये हुक्मनामे जारी करते रहते हैं। यदि आप लोग स्वयं अपनी टांगों पर खड़े हो जायें और सिविल सर्विस पर निर्भर रहना छोड़दें तो फिर हमें यहां न तो किसी चीज का राशनिंग चाहिए और न आजकल की सिविल सर्विस चाहिए। मगर राज-तन्त्र चलाने के लिए सिविल सर्विस की जरूरत तो रहेगी ही। यदि वे समय के साथ बदल जायें और जनता की सेवा करने के लिए तन्त्र चलायें तो वह तन्त्र हो जाता है।

: १८ :

हम परीक्षा में सफल हों

नई दिल्ली, ५ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद लेडी माउन्टबेटन के भंगी बस्ती में आने का जिक्र करते हुए गांधीजी ने कहा:—

आज वायसराय साहब की पत्नी यहां आई थीं। उनके आने का मेरे खयाल में कोई सबब नहीं था। मैंने टेलीफोन पर उनको कह भी दिया था कि आप यहा आने का क्यों कष्ट करती हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि जब आप हमारे पास इतनी दफा आ चुके तो मुझे भी आपके यहा आना ही चाहिए। मैंने कहा कि मैं तो अपने काम से वायसराय साहब के पास आता था और आना चाहिए था। मगर वे न मानी और आखिर आई। वे बड़ी सादगी से रहने वाली हैं और हमारे पास वैसे ही आकर बैठ गईं जैसे हम यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने सब बातें दरयाफ्त कीं। यह भी पूछा कि हमारा जीवन यहां कैसे बीतता है और हर चीज में दिलचस्पी ली। मैंने बताया कि मैं तो यहां मेहतरों के बीच में रहता हूं। परन्तु मैंने यह कहा कि मैं तो एक मंदिर में रहता हूं जो काफी स्वच्छ है और होना भी चाहिए। यदि आपको कुछ देखना है तो यहां पास ही भंगियों की एक बस्ती पड़ी है, उसे जाकर देख लें। आप उसे ढाकर दूसरी बनवा सकें, वह अधिकार तो आपने छोड़ दिया और अच्छा किया। उन्होंने रसपूर्वक सब कुछ वहां जाकर देखा। मैं इसलिए उनके साथ नहीं गया कि लोगों की भीड़ वहां जमा हो जाती। इसके बाद वे हरिजन निवास गईं जहां

पर कि हरिजन लड़कों को काम सिखाया जाता है। वहां तो उनके खुश होने जैसी चीज ही थी। वहां एक मंदिर और स्तम्भ भी बन चुके हैं। सारांश यह कि वे वहां से खुश होकर लौटीं।

इसके बाद गांधीजी ने सिक्खों की तरफ से आई हुई एक चिट्ठी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले मेरा इरादा इस चिट्ठी का जवाब आज देने का नहीं था, परन्तु मैंने ऐसा महसूस किया कि मुझे उसको कल के लिए नहीं रोकना चाहिए। पंजाब-विभाजन को लेकर सिक्खों के बारे में जो कुछ हुआ है, वह एक दर्दनाक बात है। हिंदू और सिक्ख में पहले कोई भेद नहीं था, मगर मैकाले ने सिक्खों का जो इतिहास लिखा उससे यह सारा जहर पैदा हुआ। चूंकि वह एक बड़ा इतिहास-लेखक था, इसलिए उसकी बात को सबने स्वीकार कर लिया। सिक्खों का जो गुरु ग्रन्थ साहब है वह सब हिंदू-शास्त्रों के आधार पर बना है। सिक्ख बहादुर तो हैं, मगर छोटी तादाद में हैं। पंजाब के दो टुकड़े होने से वहां जो सिक्ख रहते हैं उनके भी दो टुकड़े हो जाते हैं। चिट्ठी में लिखा है कि पूर्वी पंजाब में जो सिक्ख आगये वे तो ठीक हैं, परन्तु पश्चिमी पंजाब के सिक्खों का क्या होगा? यदि उनके साथ कुछ हुआ तो कांग्रेस कुछ मदद करेगी या नहीं? मैं यही कहूंगा कि जो बहादुर होते हैं उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। उन्हें केवल ईश्वर की मदद होनी चाहिए। फिर आप ऐसा मानते ही क्यों हैं कि पश्चिमी पंजाब में सिक्खों के साथ कुछ होने वाला है। यदि उनके साथ कुछ होगा भी तो क्या हिंदुस्तान में जो इतने लोग पड़े हैं वे सब देखते ही रहेंगे। इसलिए सिक्ख भाइयों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है।

ब्रिटिश पार्लमेंट में उपस्थित भारतीय स्वाधीनता बिल की चर्चा करते हुए गांधीजी ने कहा:—जो बिल पेश हो चुका है वह शीघ्रता से कानून बन जायगा। उससे हिंदुस्तान में दो डोमीनियन बन जायंगे, अर्थात ब्रिटिश कामनवेल्थ के दो नये मेम्बर बन गये। बिल में कुल २० कलमें हैं, जिनको मैंने पढ़ा है। मैं यह नहीं कह सकता कि

उसमें कोई फरेब है या अंग्रेजों ने उसमें ऐसी भाषा प्रयोग की है जिसका उल्टा-सीधा अर्थ निकलता हो। आज किसी अंग्रेज का हमें फंसाने का इरादा नहीं है। मगर जहर तो उस बिल में है ही। उस जहर को हमने पी लिया और कांग्रेस ने भी। अंग्रेजों ने डेढ़-सौ साल तक यहां हुकूमत चलाई और अंग्रेजी राज ने सियासी तौर पर यह मान लिया कि हिन्दुस्तान एक मुल्क है। उन्होंने उसे एक मुल्क बनाने की कोशिश की और उसमें वे सफल भी हुए। मुगल-राज ने भी ऐसी कोशिश की थी, मगर उसे इतनी सफलता नहीं मिली।

इस मुल्क को एक बनाकर फिर उसे मिटा डालना कोई अच्छी बात नहीं थी। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने इरादतन ऐसा किया है। केबिनेट मिशन ने भी हिंदुस्तान को एक मुल्क माना था और उसने अपनी दलीलें भी दी थीं। मगर आज वे सब दलीलें मिट गईं। दो आजाद और समान अधिकार वाले डोमीनियन पैदा करने का जहर इस बिल में मौजूद है। यह माना कि कांग्रेस और मुस्लिम-लीग दोनों ने इस बिल पर रजामन्दी दे दी थी, मगर कोई बुरी चीज स्वीकार करने से वह अच्छी थोड़े ही हो जाती है।

कायदे आजम जो कहते थे वही चीज आज वास्तव में हो गई। उनकी पूरी-पूरी जीत हुई है. ऐसा कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं लगता। मेरी दृष्टि में तो इस बिल से तीनों की परीक्षा हो जाती है जिनमें अंग्रेज भी आ जाते हैं। डोमीनियन स्टेटस तो इससे बन जाता है मगर वह तो चार दिन की बात है; या कुछ महीने कह सकते हैं। विधान-परिषद जो विधान बनायेगी उस पर गवर्नर जनरल को दस्तख्त देना होगा। वह उसमें एक अल्प-विराम भी नहीं बदल सकता। ऐसा ही पाकिस्तान की विधान-सभा में होगा। विधान बनाने के बाद यदि दोनों अपनी आजादी की घोषणा करें तो उनको कोई रोक नहीं सकता। दोनों करेंगे भी यही, ऐसा मैं मानता हूं। मगर यह तो आगे की बात है जिसे कोई भी अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। परन्तु यह तो साफ है ही कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े

किये गए और दोनों में खुद मुख्तार डोमीनियनें बने। इसके अलावा अंग्रेजों ने एक और बात में भी अपनी परीक्षा करवा दी है। हिन्दुस्तान में जितने देशी राज्य पड़े हैं वहां भी हुकूमत हिंदुस्तान अथवा भारतीय-संघ की होनी चाहिए। यह एक खतरा रह जाता है जिसे रखने की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा मैं मानता हूं।

पाकिस्तान वालों को उनकी इच्छा के मुताबिक पाकिस्तान तो मिल गया। जमीन उनको चाहे थोड़ी मिली हो मगर हक़ तो बराबरी का मिल गया। कल तक जब पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, मैं पाकिस्तान को समझ ही नहीं पाया था। समझ में तो आज भी नहीं आता। पाकिस्तान का रंग-ढंग तो तब दिखाई देगा जब उसकी विधान-सभा कायदे-कानून बना लेगी। मगर पाकिस्तान की असली परीक्षा तो यह होगी कि वह अपने यहां रहने वाले राष्ट्रवादी मुसलमानों, ईसाइयों, सिक्खों और हिंदुओं आदि के साथ कैसा बरताव करते हैं। इसके अलावा मुसलमानों में भी तो अनेक फिरके हैं। शिया और सुन्नी तो प्रसिद्ध हैं। और भी कई फिरके हैं जिनके साथ देखते हैं कैसा सलूक होता है। हिंदुओं के साथ वे लड़ाई करेंगे या दोस्ती के साथ चलेंगे। क्या वे ऐसा तो नहीं मान बैठेंगे कि हम तो सरदार हैं और बाकी सब गुलाम हैं। इन सबका जवाब उन्हें अपनी विधान-सभा में देना होगा।

हिंदुस्तान को भी इस बिल के जरिये से यह परीक्षा देनी होगी कि यहां जो मुसलमान हैं उनको वे भाई समझेंगे या दुश्मन ? मेरे खयाल में तो सब धर्म एक ही हैं। वृक्ष की शाखाएं अलग-अलग होती हैं, परन्तु मूलपेड़ एक ही होता है। सब मजहबों में एक ही ईश्वर है। योरप में भी पहले इस तरह के मजहबी लड़ाई-झगड़े होते थे मगर अब वहां एक दूसरा वायुमंडल बन रहा है और लोग इन मजहबी झगड़ों से इतने तंग आ गये कि वे अब ईश्वर तक को छोड़ते जा रहे हैं। जब दुनिया का यह रंग है तो क्या हिंदुस्तान ही पीछे पड़ा रहेगा ?

जो लोग हिंदुस्तान को एक नेशन मानते हैं उनके यहां तो बहुमत और अल्प-मत का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस दृष्टि से देखा जाय तो यह बिल सब पार्टियों की अन्तिम परीक्षा का साधन है। यदि हम सब अपने इम्तिहान में सफल होते हैं तो हम इसे ईश्वर की भेजी हुई भेंट मान सकते हैं और अगर समझ से काम न लें तो वह फांसी बन जाती है।

: १९ :

'तमसो मा ज्योतिर्गमय'

नई दिल्ली, ६ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा :—

मेरा खयाल है कि कल सीमाप्रांत में रेफरेंडम (जनमत लेने का कार्य) शुरू होने वाला है। मैं तो बादशाह खान को और उनके सब मिनिस्टरों को सलाह दे चुका हूं कि उनके लोग किसी भी डिब्बे में अपने मत न डालें।

मंच पर बैठे हुए एक सज्जन ने गांधीजी को याद दिलाई कि जनमत-संग्रह का कार्य आज शुरू हो गया है। इसपर गांधीजी ने कहा—

मुझे तो ऐसा खयाल रह गया था कि कल ७ ता० से शुरू होने वाला है। मगर कुछ भी हो, मैं तो यह कहने जा रहा हूं कि वे तो अमन रखने वाले हैं। मगर मुझे यह देखना है कि वह अमन बुजदिलों का है या बहादुरों का। इस तरफ तो मैंने मंजूर कर लिया कि वह बुजदिलों का अमन था।

मैंने तो उनसे कह दिया कि वे अपना मत डिब्बे में न डालें। लीग से भी मैंने यही बात कही है। मगर वे डालें या न डालें। खुदाई खिदमतगारों से तो मैं यही कहूंगा कि यह आपस की लड़ाई क्यों?

कल जो बिल पेश किया गया है उसके मुताबिक हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हो जायंगे—एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। अंग्रेजों को दो टुकड़े करने मे क्या मतलब था? सारा हिंदुस्तान एक था मगर उसके

साफ दो टुकड़े बना दिये गये। हम तीस साल से जो लड़ाई चला रहे थे वह सारे हिंदुस्तान की आजादी के लिए थी। उसका नतीजा यह हुआ कि देश के दो टुकड़े हो गए। हमारा दिल टूट गया है, इसलिए हमारी जमीन के भी दो टुकड़े हो गये हैं। ३० बरस तक हमने शोर मचाया कि हम अपने देश का कब्जा ले लें। मैं अपने दिल से पूछता हूं कि क्या इसीलिए तू कोशिश कर रहा था ? मैं १७ बरस का था, तबसे म कोशिश करता रहा हूं, मगर क्या सारी लड़ाई इसी लिए थी कि आखीर में देश के दो टुकड़े हो जायं ? तीस बरस की लड़ाई का नतीजा क्या यह होना चाहिए था कि एक कैम्प में हिंदू, एक में मुस्लिम हो जायं और सिख किसी में भी शामिल हो जायं ?

देश के टुकड़े करने के साथ-साथ हमारे लश्कर के भी दो टुकड़े हो रहे हैं। यह क्या हमारे आपस में लड़ने के लिए ? सारी कांग्रेस का इतिहास फौज के खिलाफ आन्दोलन मे भरा हुआ है। जब से कांग्रेस बनी —और उस समय दादाभाई नौरोजी, जो राष्ट्र के दादा कहे जाते थे, ह्यूम, फीरोजशाह मेहता और तिलक भी मौजूद थे— उस वक्त से ही उसकी मांग थी कि हिंदुस्तान में तालीम का जो इन्तजाम है उसपर सबसे कम खर्च किया जाना है। दूसरी ओर फौज पर इतना ज्यादा खर्च क्यों ?

उस फौज की तो पैदाइश इसलिए हुई थी कि ४० करोड़ हिंदुस्तानियों को दबा दें। दूसरे, इस देश में फ्रेंच थे और थोड़ी-सी जगह पर पोर्चुगीज भी थे। इधर एक क्लाइव साहब थे। उन्होंने सोचा फ्रेंच सेटिलमेंट और पोर्चुगीज सेटिलमेंट कायम हो रहे हैं। उनके खतरे को बचाने के लिए और अपने-आपको कायम रखने के लिए फौज तैयार की। उस तरफ अफगानिस्तान में ट्राइब्ज (कबीले) हैं। यह भी डर था कि रूस हमला न करे। इन सब कारणों से यहां इतनी बड़ी फौज तैयार की गई थी।

इतनी बड़ी फौज के रहते हुए भी हम अंग्रेजों के साथ निबट लिये। मगर हमारी अहिंसा बहादुरों की अहिंसा नहीं थी, वह बुजदिलों की

अहिंसा थी। मैंने पैसिव रेजिस्टेन्स (निष्क्रिय प्रतिरोध) का रास्ता बताया था। उसको अख्तियार करके हमने अंग्रेजों के साथ हथियारों की तैयारी नहीं की। फिर भी अभी आर्मी (फौज) रह ही जाती है। यह क्यों? यह आपके लिए सोचने की बात है। मेरे लिए दुःख और शर्म की बात है। मैं सोचता हूं, हमारी आंखों में खुशहाली क्यों नहीं है? हम आजाद हो गये हैं। हमारे देश के टुकड़े हो गये हैं। मगर यह टुकड़े दोस्त बनने के लिए किये गए हैं या दुश्मन बनने के लिए? हमारे आज के तरीकों का मतलब तो लश्कर बढ़ाना हो रहा है। दोनों ही लश्कर बढ़ायेंगे। अगर एक ओर बढ़ेगा तो दूसरी ओर भी बढ़ेगा। पाकिस्तान वाले कहेंगे कि हम हिंदुस्तान वालों से बचने के लिए लश्कर बढ़ाते हैं, क्योंकि हम करोड़ों तो नहीं हैं। हिंदुस्तान वाले भी इसी तरह की बातें कहेंगे। आखिर परिणाम लड़ाई आता है।

हम अपना पैसा तालीम में खर्च करेंगे, या दियासलाई में—बारूद में करोड़ों रुपये लगा देंगे? फिर तोपों में और फिर बन्दूकों में खर्च करेंगे? और फिर अपने नौजवानों को तालीम भी वही देंगे?

पाकिस्तान ने तो अमन को नहीं माना। वे कहते हैं कि कुरानशरीफ में ऐसा नहीं लिखा। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या करने वाले हैं? क्या आप भी वही करेंगे?

अगर हमें डोमीनियन स्टेटस (औपनिवेशिक स्वराज्य) मिलता है तो भी हमारे दो टुकड़े होते हैं; यदि हम आजाद होते हैं तो भी दो ही रहते हैं। मगर क्या हम लड़ने के लिए अलग होते हैं? अंग्रेजों ने जो कुछ किया है उसमें मुझे अपने लिए संतोष या शान का कोई कारण मालूम नहीं होता। मुझे भविष्य बहुत ही मनहूस दिखलाई पड़ता है। उसे बताते हुए मैं कांपने लगता हूं। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान लड़ते-लड़ते बारबार एक दूसरे को शिकस्त दें तो इसमें कौनसा रस है? सब जगह यदि ख्वारी-ही-ख्वारी हो तो इसे क्या मैं आजादी कहूं? मैं नहीं जानता। भगवान् हमें अंधेरे से उजाले में लेजा।

'ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय।'

: २० :

बंटवारे से कोई खुश नहीं

नई दिल्ली, ७ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा—

कल शामको मैंने आप लोगों को बताया था कि आनेवाली आजादी हमारे दिलों में खुशी क्यों नहीं पैदा कर रही है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर चाहें तो हम बुराई से भलाई किस तरह बना सकते हैं। जो हुआ सो हुआ। उसपर खयाल दौड़ाने से या किसी को बुरा-भला कहने से कुछ बनने वाला नहीं। कानून की भाषा में आजादी के आने में अभी थोड़े दिन बाकी हैं। असल में तो जब सब पक्षों ने बात मंजूर करली है तो वे उसपर से वापस नहीं जा सकते। केवल भगवान ही है जो इंसान की तय की हुई बात को उलट सकता है।

सबसे आसान रास्ता मुसीबत से निकलने का अब यह है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में समझौता करले—बिना वाइसराय के दखल या मदद के। ऐसा करने में लीग को पहला कदम उठाना होगा। मेरा यह मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान को मिटा दिया जाय। उसे तो एक पक्की बात और बहस के बाहर समझना चाहिये। लेकिन अगर कांग्रेस और लीग के ज्यादा-से-ज्यादा दस नुमायंदे एक मिट्टी की झोंपड़ी में बैठें और निश्चय करें कि हम यहां से उठेंगे नहीं, जबतक कि हम समझौता न करलें। तो मैं दावे से कहता हूं कि यह फैसला उस बिल या कानून से जो आज ब्रिटेन की पार्लमेंट के सामने पेश है और जिसमें दो बराबर की रियासतें या दो डोमीनियन बन रहे हैं, हजार दर्जे बेहतर होगा।

अगर हिन्दू और मुसलमान जो मेरे पास आते हैं या मुझे लिखते हैं मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे हों तो मुझे तो साफ यही नजर आता है कि बटवारे से कोई भी खुश नहीं। उसे लाचार होकर स्वीकार किया जा रहा है।

पर यह 'अगर' का शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया है सो जरूर असम्भव-सा लगता है। मुझसे कहा जा सकता है कि जब लीग ने ब्रिटेन से अपनी हुकूमत कायम करवाली है तो वह फिर अपने 'दुश्मनों' के पास क्यों आये और किस तरह उनके साथ भाई-भाई और दोस्तों के जैसा समझौता करे ?

एक दूसरा तरीका भी है। वह भी शायद उतना ही मुश्किल हो। फौज का बटवारा हो रहा है—उस फौज का जो आज तक एक रही, जिसका मकसद भी एक ही रहा—चाहे वह कुछ भी था। इस बटवारे से तो हरएक देश-प्रेमी के दिल में डर ही पैदा होगा। ये दो सेनाएं किसलिए बनाई जा रही हैं ? इसलिए नहीं कि अपने मुल्क के दुश्मन का सामना करें : बल्कि इस मतलब से कि वे एक दूसरे से लड़ें और दुनिया को दिखायें कि हम लोग सिवा आपस में लड़ने और एक-दूसरे को मार-मिटाने के और किसी काम के लायक ही नहीं।

मैंने यह भयानक चित्र आपके सामने जैसा है वैसा जानबूझ कर खींचा है ताकि आप उसे पहचानें और उससे बचें। बचने का तरीका तो लुभाने वाला है ही, कम-से-कम मेरी नजरों में क्या हिन्दू जनता और वे सब लोग, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, इस डरावनी तसवीर को समझ कर आज कसौटी पर पूरे उतरेंगे ? क्या वे आज कहने को तैयार होंगे कि अब उन्हें फौज की जरूरत ही नहीं या कम-से-कम यह प्रतिज्ञा ले लेंगे कि उसका उपयोग अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ कभी नहीं करेंगे, चाहे वे संघ में रहते हों या पाकिस्तान में ? मेरी इस मांग के शायद एक ही मानी किये जायेंगे; वह यह कि ऐसा करने से हिन्दू जनता और उसके साथी ३० साल की कमजोरी को एक सुन्दर महाशक्ति बना सकेंगे। हो सकता है कि मेरा जो तरीका

मसले को हल करने का है उसे आप मूर्खता समझें। जो भी हो, इतना तो मैं कहूंगा कि ईश्वर इंसान की मूर्खता को दानापन या बुद्धिमानी बना सकता है और उसके हाथों से इतिहास में ऐसा हुआ भी है। जो लोग फौज के खतरनाक बटवारे पर तुले हुए हैं ताकि आपस-आपस में लड़ें, इससे बचने के लिए भी मैंने बताई है, वह कोशिश करनी चाहिये।

: २१ :

अंग्रेजों की नीयत साफ नहीं

नई दिल्ली, ८ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन शुरू करते हुए गांधीजी ने कहा:—

मैं आज आपसे क्षमा मांगता हूं क्योंकि मैं १० मिनट देर से आया। आज मेरे पास इतना काम पड़ा और इतने लोग मिलने आये कि शांति नहीं मिली। आजकल मैं जो-कुछ बोलता हूं सोच-विचार कर बोलता हूं। पहले कुछ नोट लिख लेता हूं और फिर उसे बोलता हूं। मैं आज लिखता ही रहा और उसके बाद हाथ-मुंह धोने गया क्योंकि हाथ-मुह तो धोना ही चाहिये न। और इसी बीच लड़कियां मुझे कहने आई कि समय हो गया, किन्तु मैंने सुना नहीं। इसीलिए आज कुछ देर हो गई।

आज मैं कुछ कठिन बात करना चाहता हूं— एक भाई ने अंग्रेजी में पत्र लिखा है। वह लिखते हैं —'मैं राष्ट्रभाषा नहीं जानता इसलिए अंग्रेजी मे खत लिखता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं तामिल जानता हूं—अगर मैं तामिल में कुछ लिखूंगा तो आपको पढ़ाने में कठिनाई होगी—आप तामिल कुछ जानते हैं तो भी कठिनाई होगी।' आप जानते ही हैं कि मैं चाहता हूं कि जो भाई मुझे चिट्ठी लिखें वे अपनी भाषा में लिखें। अच्छा तो यह है कि वे उत्तरी भारत की भाषा—हिन्दी और उर्दू के बीच की भाषा—राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी में लिखें। उस खत के लिखने-वाले ने अपने खत में अंग्रेजी लेखक बर्नार्ड शा की कुछ पंक्तियों को उद्धृत किया है। बर्नार्ड शा अंग्रेजों को ऊंचा समझते हैं। अंग्रेज समझते हैं कि उनके जैसा खूबसूरत कौन है। वे बहुत अच्छा मजाक करते हैं।

वे कहते हैं कि अंग्रेज कुछ गलती नहीं करते। वे धर्म के लिए ही सब कुछ करते हैं। वे कहते हैं कि अंग्रेज धर्म के लिए लड़ाई करता है। लूट करता है तो भी वह धर्म के नाम पर, क्योंकि किसी के पास अधिक पैसा क्यों रहे। हमें गुलाम बनाता है तो भी धर्म के नाम पर—अच्छा बनाने के लिए। राजा का खून करता है तो वह भी धर्म के लिए अर्थात जनमत के लिए। वे सब काम धर्म के नाम पर करते हैं।

खत लिखने वाला बर्नार्ड शा की नकल करता है और इसीलिए मेरा भी मजाक करता है और कहता है कि अंग्रेज आजादी के लिए देश को दो हिस्से में बांट रहा है। सो अंग्रेज किस धर्म के नाम पर हमें आजाद बना रहा है, लेकिन अंग्रेज को मैं जितना जानता हूं उतना कोई नहीं जानता-तब मैं कहूंगा कि अगर कोई इन्सान कुछ कहता है तब उसपर क्यों न विश्वास किया जाय जबतक कि वह ठग न साबित हो।

अंग्रेज भारत इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वे समझते हैं कि अब पैसों का लाभ नहीं होगा। सियासी मामले में भी वे हमें गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, यह भी वे जान गये।

पहली लड़ाई में एक जगह मार्शल-लॉ लगाया था। अब की लड़ाई के दिनों में भी वेवल साहब ने सारे हिन्दुस्तान में मार्शल-लॉ लगा दिया। लेकिन अब सब अंग्रेज जान गये हैं कि अब हिन्दुस्तान को गुलाम नहीं रख सकते। हमने जब अहिंसात्मक आंदोलन किया तब वे जान गये कि अब ज्यादा पैसा नहीं निकाला जा सकता। अब देश को कब्जे में रखने के लिए अंग्रेज को ज्यादा खर्च ही करना पड़ेगा। इसीलिए वे जाना चाहते हैं।

देश को बचाने के अब भी दो तरीके हैं जैसा मैंने कल बताया। अब भी अंग्रेजों के हाथ में है—अभी उनका बड़ा लश्कर पड़ा है। जबतक वह लश्कर नहीं चला जायगा तबतक नहीं कह सकते कि वे चले गये। अंग्रेज चाहें तो अब भी दुरुस्त कर सकते हैं।

अंग्रेज देश को टुकड़ा कर जाना चाहते हैं। अंग्रेज हिन्दुस्तान में यदि नियम रखकर बाकायदा सबको ठीक कर जाय तो इसका मतलब यह

नहीं कि हैदराबाद कहे हम आजाद होंगे— त्रावणकोर कहे हम आजाद होंगे—जब ऐसा सब कोई आजाद हो जायगा तब हिन्दुस्तान की आजादी कहां गई। मैं यह स्वीकार करता हूं कि हाल की कुछ घटनाओं से लोगों को अंग्रेज के इरादों पर सन्देह हो गया है। किन्तु मैं इसे तबतक बद-माशी नहीं कह सकता जबतक बदमाशी साबित न हो जाय।

इतना तो ठीक है कि अंग्रेज रियासतों के बारे में उचित काम करने में हिम्मत से काम नहीं ले रहे हैं। लेकिन यदि अंग्रेज देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर छोड़ जाता है जिससे देश में कई भाग एक दूसरे से अलग हो जायं और वे आपस में लड़ते रहें तो इससे बढ़ कर अंग्रेजों की आबरू पर और कोई धब्बा नहीं लगेगा।

: २२ :

विश्व-शांति के लिए अहिंसा ही एकमात्र उपाय है

नई दिल्ली, ९ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा:—

आज का भजन तो आपने सुना ही है। उसमें प्रेम की सगाई सबसे बड़ी बात कही गई है। कृष्ण तो बादशाह था जो कुछ करना चाहता था कर लेता था। उन्होंने सबका पूजन किया तभी वे दासानुदास कहलाये। प्रेम के बदले में यदि हम अहिंसा शब्द का प्रयोग करें तो वही बात है। प्रेम कैसे पैदा कर सकते हैं यह दूसरी बात है।

आज आप लोग पूछेंगे कि मैं वाइसराय साहब के पास क्यों गया। आजादी तो अभी मिली नहीं है। अभी तो दुश्मन की बात चलती है। जिस दिन चाहे वह ट्राम बन्द कर देता है, लूट लेता है और छुरा भोंक देता है। आजादी सूर्य जैसी है, लेकिन वह आ रही है ऐसा मुझे नहीं लगता। वाइसराय तो मुझे मित्र कहते हैं। मैं भला उनका मित्र कैसे हो सकता हूं—मैं तो भंगी का मित्र हूं, गरीबों का मित्र हूं, लेकिन उनका कैसे ! वे तो बादशाह हैं, लेकिन वे मुझे मित्र मानते हैं।

आज आपको कल के खत का दूसरा हिस्सा सुनाऊंगा। वह लिखता है कि सन १९४० में मैंने ऐसा कहा था—उस समय मैंने लिखा था कि मैं सब जगह हिंसा की बू पाता हूं। वह लड़ाई का जमाना था। उस समय अहिंसा की बू नहीं थी। वह पूछता है कि यदि उस समय हवा में खून की बदबू आती थी तो आज क्या निकलती है ? उनको ऐसा

पूछने का हक है। आज हिंदुस्तान में नियमबद्ध काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। दिल में आता है तो कोई रेल रोकता है, कोई आग लगाता है, कोई लूटता है और कोई छुरा भोंक देता है। इसे अव्यवस्था कहते हैं लोग पैसे खा जाते हैं। लोग बेशर्म होकर अनुचित रास्ते से पैसा कमाते हैं। वे भी चुपचाप दे देते हैं। कौन किसको कहे! लोगों के दिल में पैसा पैदा करने की धुन है; चाहे किसी ढंग से हो। हवा में आजकल झूठ, हिंसा, तिरस्कार और अविश्वास जोरों से फैला है।

इन सबके ऊपर क्या आता है,—३ जून की बात। सब ने —हिंदू, सिख व मुसलमान ने हिंदुस्तान का टुकड़ा करना मान लिया है। इसके बाद रोज अखबार में क्या पाते हैं कि कई स्थानों में चोरी हो गई, लूट हो गई, आग लगा दी गई, हत्या कर दी गई, खंजर भोंक दिया—आदि। खत लिखनेवाला मुझे ताना देता है कि यही आपकी प्रेम-सगाई है। वह पूछता है कि आप सदा सत्य के पुजारी रहे, लेकिन अब वह कहां है? सब जगह झूठ-ही-झूठ है। कौन नीचा है कौन ऊंचा, यही सवाल है। सहिष्णुता कहां गई ? यह सब जब नहीं है तब कहो तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आप, वाइसराय या और कोई ? उनको ऐसा पूछने का हक है। ३० वर्ष में कांग्रेसियों ने जो त्याग किया, कठिनाइयां सहीं; क्या आज उसका नतीजा देशका टुकड़ा करना है? आपका अमृत रूप स्वराज्य कहां गया? इसका वे जवाब मांगते हैं। आगे वह कहता है कि अगर यह जहर और इसमें से अमृत पैदा करना है तो वह आप ही कर सकता है।

इसके जवाब में मैं तो कहूंगा कि यह बात सच्ची है कि देश में बदबू आ रही है। मैं कहूंगा कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। मैं ३० वर्ष से कहता आ रहा हूं कि सत्य और अहिंसा से काम लो। यदि देश उसके अनुसार चलता तो आज ऐसा नतीजा नहीं होता। पेड़ से ही उसका फल जाना जाता है।

यदि अंग्रेज चला जाता है तो क्या उसके बाद नियम न रहे? इसके लिए मुझे शर्म से कहना पड़ता है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। जो

लोग अभी तक कह रहे थे कि वे सत्याग्रह कर रहे थे उनके भी दिल में था कि जब हथियार मिलेगा तब हथियार से काम लेंगे। हमने पहले सत्याग्रह से काम लिया, लेकिन अब नहीं दिखाई देता। जिस तरह के स्वराज्य की कल्पना की जाती थी वह बहुत दूर है। हम आपस में लड़ रहे हैं। मैं ऐसा देखना नहीं चाहता। मुल्तान, रावलपिंडी, गढ़मुक्तेश्वर, बिहार और बंगाल में क्या हुआ? मैं सिपाही हूं। मैं इनके लिए आंसू नहीं बहाना चाहता और न मरना ही चाहता हूं।

आज हम जो पागल बन गये हैं उससे न हिंदू जिन्दा रह सकता है, न मुसलमान और न सिख। तलवार के जरिये पैसा कमा सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं।

जब मैं ३० वर्ष के अनुभव के बाद कुछ नहीं बता सकूंगा तो उससे काम नहीं निपटता। तब हमें अब क्या करना चाहिए! हम सत्याग्रह करने के लिए तैयार तो हैं लेकिन अहिंसा को ठीक रूप में अपनाने में हमारी ही नहीं संसार की भलाई है। आज इंसानियत का तकाजा है कि अंग्रेज हम दोनों में दोस्ती करा दे—दो लश्करों में दोस्ती करा दे। मैं आशा करता हूं कि इसके बिना अंग्रेज के जाने के लिए अभी जितना दिन बाकी है वह इसके लिए काफी है।

और रियासत का मसला पड़ा है। हम कहें कि टुकड़ा तो हो गया अब क्या होगा। १५ अगस्त आखिरी दिन है। यह काफी समय है और इसके बीच में सबकुछ हो सकता है। यदि १५ अगस्त तक तय नहीं होगा अर्थात दोनों दलों में समझौता नहीं होगा तो मुझे डर है कि बाद में भी वह तय नहीं होगा। अंग्रेज की ताकत हमसे ज्यादा है। उसके पास बहुत बड़ी सैनिक शक्ति है। जो कहते हैं कि उनकी सैनिक शक्ति खतम हो गई, वे गलती पर हैं।

: २३ :

अब भी इन्सान बनें

नई दिल्ली, १० जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा :—

मुझसे हमेशा कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे गए, एक प्रश्न तो यह है कि आज पाकिस्तान तो बन गया तब हम लोग जो युनियन में पड़े हैं, उनका धर्म क्या हो जाता है ? मैं कई बार इसपर बोल चुका हूं। मगर यह इतना पेचीदा मामला है कि किसी-न-किसी तरह से सामने आ ही जाता है। या तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं या ऐसा कहो कि दोनों दुश्मन बन कर बैठ गए हैं। मुस्लिम लीग तो कहती ही है कि हिन्दू और उनमें भी सवर्ण हिन्दू हमारे दुश्मन हैं। तो क्या हिन्दू भी उनके दुश्मन बन जायं ? एक तरीका तो यह है कि यदि कोई एक-दूसरे को दुश्मन मानता है तो दूसरा भी उसको अपना दुश्मन समझे। मगर कम-से-कम मेरा वह रास्ता नहीं है। जब सारा जीवन में दूसरे रास्ते से चलता रहा हूं तो अब मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूं। यहां मेरा इम्तिहान होनेवाला है। मेरी इन्सानियत मुझे यही सिखाती है कि सारी दुनिया मेरी दोस्त है। यदि वे लोग न मानें तो वे ही खोनेवाले हैं, मैं खोनेवाला नहीं। एक-दूसरे का गला काटने में किसी का भला होनेवाला नहीं है। वह तो जानवर के समान है।

दोस्ती का मतलब किसी को किसी-न-किसी तरह से राजी करना

नहीं है। दोस्त कभी एक-दूसरे की खुशामद नहीं करते। यदि कटु शब्द कहने हैं तो वह भी कहने होंगे। यह पूछा गया है कि जब आप खुशामद नहीं करते तो १९४४ में १८ दिन तक तेज धूप में कायदे आजम के घर जाकर क्या करते रहे ? मैं वहां अपना धर्म समझ कर गया था, खुशामद करने नहीं। जो चीज मैं उन्हें देने गया था, वह यदि वे ले लेते तो आज इतनी खूंरेजी न हुई होती और जो बेइन्तिहा जहर फैल गया है, वह नहीं होता। इसके अलावा इस देश में कोई तीसरी ताकत नहीं रहती और पाकिस्तान बनने के बाद भी हिन्दुस्तान एक बना रहता। वह मेरी जिना साहब से एक दोस्ताना बातचीत थी। खुशामद तो आज बहुत बुरे मानी में लिया जाता है। जब जर्मनी और इंग्लैण्ड एक-दूसरे के विरोधी थे तब चेम्बरलेन ने, जो कि उस समय इंगलैण्ड के प्रधानमन्त्री थे, हिटलर को सन्तोष देने का तरीका अख्तियार किया। यह मेरी राय नहीं है मगर अंग्रेज लोग ऐसा कहते हैं कि यदि चेम्बरलेन ने हिटलर को सन्तोष देने का तरीका अख्तियार न किया होता तो दूसरी ही बात बनती। उसमें तो खुशामद आ जाती है। मगर मैं जब किसी को अपना दुश्मन मानता ही नहीं तब मैं इस मानी में किसी की खुशामद करनेवाला नहीं हूं।

मगर मेरे सामने सवाल यह है कि यूनियन में रहनेवाले हम लोग क्या करें ? पाकिस्तान में जो मन्दिर और गुरुद्वारे मौजूद हैं, क्या उन्हें वे वहां से उठा देंगे या नष्ट कर देंगे। मेरा दिल तो ऐसा नहीं कहता। क्या वे हिन्दुओं को मन्दिरों में जाने से रोक देंगे ? पाकिस्तान के ये मानी हैं, ऐसा मैं कबूल नहीं करता। आज ही तो मुस्लिम लीग के दौलताना साहब ने कहा है कि 'पाकिस्तान में हिन्दू और सिक्ख लोग अपने-अपने मजहब के मुताबिक नहीं चल सकेंगे, यह बात तो इस्लाम के दुश्मन ही कह सकते हैं।' यदि वास्तव में पाकिस्तान में हिन्दू और सिक्ख को वही इन्साफ मिलेगा जो मुसलमान को मिलने वाला है, तो मुझे कोई शक नहीं कि इस्लाम की डेमोक्रेसी (जनतन्त्र) एक बहुत बुलन्द चीज है। यदि वे सबको एक ही आदम की औलाद

मानते हैं, तब फिर कैसे हो सकता है कि दूसरे मजहब के लोगों को खुदा की इबादत करने से रोक दिया जाय। दौलताना साहब ठीक कहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं तो पंजाब और सीमाप्रांत के हिंदुओं और सिक्खों से कहूंगा कि वे डर के मारे भागते न फिरें। सिक्खों का सुनहरी गुरुद्वारा तो अमृतसर में है, मगर नानकाना साहब कहां जायगा, जिसके लिए सिक्खों ने इतना त्याग किया था। वह तो पाकिस्तान में ही रहेगा। हैदराबाद में कितने ही हिन्दुओं के मंदिर हैं। हैदराबाद पाकिस्तान में जायगा यह तो मैं नहीं कह सकता। वहां तो ९५ फीसदी हिन्दू हैं। यदि हिन्दुओं को भी पाकिस्तान में ले जायेंगे तो फिर वह पाकिस्तान कहां रहा। मुसलमानों की सबसे आला दर्जे की जुमा-मस्जिद भी यहां यूनियन में पड़ी है। क्या हम मुसलमानों को उसमें नमाज पढ़ने से मना कर देंगे। आगरा में उनका ताजमहल है और अलीगढ़ में मुस्लिम युनिवर्सिटी है। क्या वहां मुस्लिम युवक पढ़ना छोड़ देंगे। यह तो ईश्वर की मेहरबानी है कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारा टुकड़ा हुआ ही नहीं है। क्या वे यहां से जुमा मस्जिद उठा ले जायंगे या उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्या एक और लड़ाई बाकी है? कौनसी जगह ऐसी है जहां मस्जिद और मन्दिर न हों। मैं जहां जाता हूं वहीं ये सब मुझे मिलते हैं। तब क्यों पंजाब, सरहद और सिन्ध से हिन्दू लोग भागकर आते हैं? आखिर वे जायंगे कहां? उनमें आला दर्जे की बहादुरी होनी चाहिए। हमें उस बहादुरी की जरूरत नहीं जो मकानों को जलाने और मासूम बच्चों को मार डालने में काम आती है। वह बहादुरी नहीं, हैवानियत है। हमारी जमीन के टुकड़े भले ही हो जायं, मगर हम दोनों जगह इन्सान होकर रहें, हैवान बन कर नहीं।

परन्तु यदि सिन्ध या और जगहों से लोग डर के मारे अपने घर-बार छोड़ कर यहां आ जाते हैं तो क्या हम उनको भगा दें? यदि हम ऐसा करें तो अपने को हिन्दुस्तानी किस मुंह से कहेंगे। हम कैसे 'जयहिन्द' का नारा लगायेंगे? नेताजी किसके लिए लड़े थे? हम

सब हिन्दुस्तानी हैं, चाहे कोई दिल्ली का हो या गुजरात का। वे लोग हमारे मेहमान बनकर रहें। हम यह कहते हुए उनका स्वागत करें कि आइए, यह भी आपका मुल्क है और वह भी आपका मुल्क है। इस तरह से उन्हें रखना चाहिये। यदि राष्ट्रीय मुसलमानों को भी पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ा तो वे भी यहां रहेंगे। हम हिन्दुस्तानी की हैसियत से सब एक ही हैं। यदि यह नहीं बनता तो हिन्दुस्तान बन नहीं सकता।

१५ अगस्त आने में ३५ दिन और पड़े हैं। हम अबतक हैवान बने रहें, मगर चाहें तो अब भी इन्सान बन सकते हैं। हम सबका इम्तिहान हो रहा है। उसमें अंग्रेज भी शामिल हैं। नोआखाली से मेरे पास तार आया है कि पाकिस्तान बन जाने के कारण वहां के पीड़ित हिन्दुओं को मुआवजा मिलने की संभावना नहीं रही। मुआवजा उन्हें क्यों नहीं दिया जाता? पाकिस्तान बन जाने से तो वहां की गवर्नमेन्ट का और अधिक, उनकी रक्षा करने का, धर्म हो गया। तार में यह भी लिखा है कि जिन लोगों ने खून किया और जो आज हवालातों में बन्द हैं, उनके छोड़ दिये जाने की संभावना है। मेरी उम्मीद है कि यह होनेवाला नहीं है। पाकिस्तान वालों को तो यह सिद्ध करना चाहिये कि उनके यहां जो हिन्दू रहते हैं उनका कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। तब मैं कहूंगा कि हम १५ अगस्त को आजादी का दिन मनायेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह आजादी मेरी नहीं और मुझे उम्मीद है कि वह आपकी भी नहीं होगी। अभी ३५ दिन बाकी पड़े हैं। हम चाहें तो इन ३५ दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। मैं केवल भारतीय स्वाधीनता बिल से ही अपनी आजादी मानने वाला नहीं हूं।

: २४ :

'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे'

नई दिल्ली, ११ जुलाई १९४७

आज प्रार्थना में 'नाम जपन क्यों छोड़ दिया' यह भजन गाया गया इसी भजन पर गांधीजी ने अपना प्रवचन आरम्भ किया और कहा कि हमने ईश्वर का नाम लेना तो छोड़ दिया, परन्तु काम, क्रोध और मोह आदि जो हमारे छः बुलन्द शत्रु हैं, उनको हम प्रिय समझकर अपने पास रखते हैं।

नोआखाली से मेरे एक साथी लिखते हैं कि "जब तुम नोआखाली में आये तब बड़ी लंबी-चौड़ी बात करते थे और 'करूंगा या मरूंगा' का प्रण किया था। यदि अब १५ अगस्त से पहले यहां नहीं आओगे तो तुम्हें पछताना होगा।" यह मैं कबूल करता हूं कि अगर मैं वहां १५ अगस्त से पहले न पहुंचा तो मुझे पछताना ही होगा। मैं उन लोगों के बीच में रहता और उनके साथ खाता-पीता था। मैं यहां दिल्ली में क्यों पड़ा हूं? मुझे बिहार या नोआखाली में चले जाना चाहिए। यहां तो मैं बेहाल हूं। यदि मुझसे कोई पूछे कि मैंने यहां क्या किया तो मैं यही कह सकता हूं कि मैंने केवल हजामत की है, जो मैं खासी कर लेता हूं। नोआखाली में मैं बेहाल नहीं रहता था। रोज पैदल चलता था, नये-नये देहात में जाता और नये-नये आदमियों—हिन्दू और मुसलमान-दोनों से मिलता था। नोआखाली में मैं कुछ काम करता था और बिहार में भी। मेरे भीतर आज अंगार जल रहा है। अगर मैं नोआखाली चला जाऊंगा तो वह नहीं जलेगा। अतः आप लोग प्रार्थना करें कि हे भगवन! तू गांधी को जल्दी से नोआखाली भेज दे।

मैंने वहां जो प्रतिज्ञा की थी उसे छोड़ा नहीं है। वहां से मैं बिहार चला गया, क्योंकि जहां नोआखाली में सिर्फ दो-चार सौ ही आदमी मरे थे वहां बिहार में तो हजारों आदमी मारे गये। इसलिए नोआखाली और बिहार मेरे लिए एक-जैसे बन गये हैं। वहां से जवाहरलालजी ने मुझे बुला लिया और कृपलानीजी का भी तार गया। परन्तु यहां आकर मैंने किया क्या ? बहुत से लोग मुझसे ऐसा भी कहते हैं कि तुम नोआखाली में ही क्या करोगे। जब सब चीज हिन्दुस्तान में तय हो जायगी तब नोआखाली में अपने-आप तय हो जायगी। मगर मैंने तो इससे उलटा ही सीखा है। मेरे पिता यद्यपि विद्वान नहीं थे, पर यह मुझे कबूल करना चाहिए, कि इतना तो मुझे बचपन में वह सिखा गये थे कि झूठ नहीं बोलना और डर लगने लगे तो राम का नाम ले लेना। 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' अर्थात जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है, यह मूल मन्त्र मुझे बचपन ही से मिल गया था। मेरी अनपढ़ और देहाती माता ने भी मुझे यही सिखाया था कि जो भी तू करे अपनी आत्मा की प्रेरणा से कर। तुझे दुनिया की क्या पड़ी ? दुनिया को देखने वाला तो ईश्वर है। अतः नोआखाली में मैंने जो वचन दिया उसे मुझे प्राण देकर भी नहीं छोड़ना चाहिए।

: २५ :

पदों के लोभी न बनो

नई दिल्ली, १२ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा—

मुझे एक भाई लिखते हैं कि 'आज हमारे यहां जो हो रहा है वह बहुत बुरा है। बुरा क्यों हैं, यह भी उन्होंने बताया है। वे कहते हैं कि जो लोग सत्याग्रह आन्दोलन में जेल गए, वे समझते हैं कि उन्होंन बहुत भारी काम कर लिया जिसकी वजह से उनको प्रधान-मन्त्री या किसी प्रान्त का गवर्नर या मिनिस्टर या उसका पार्लमेण्ट्री सेक्रेटरी तो बनाना ही चाहिए। उनके पास मोटरकार होनी चाहिए, क्योंकि वे समझते हैं कि यदि जेल चले गये तो हिन्दुस्तान का लाखों करोड़ों रुपये का काम उन्होंने कर दिया। मैं भी दो दफा जेल हो आया हूं और एक दफा तो यरवदा जेल में आपके साथ भी था। परन्तु मैं तो भिखारी ही रहा और किसी ने मुझको पूछा तक नहीं।'

इसपर गांधीजी ने कहा कि यदि जेल में कोई चला गया तो क्या वह हिन्दुस्तान पर मेहरबानी करने गया था। यदि यही सिलसिला रहा तो मुझे डर लगता है कि कांग्रेस का नाम मिट जायगा। कांग्रेस में जो लोग हैं उनको ऐसी बात ख्वाब में भी नहीं सोचनी चाहिए। इस तरह से तो कोई कांग्रेसी यह कहेगा कि चूंकि वह जेल हो आया है, इसलिए उसके लड़के की शादी हिन्दुस्तान की सबसे अच्छी लड़की के साथ होनी चाहिए या उसकी लड़की की शादी हिन्दुस्तान के सबसे अच्छे युवक के साथ हो। जवाहरलालजी इसलिए बड़े मन्त्री या वाइस-

प्रजिडेण्ट नहीं बने कि वे जेल हो आये हैं। यदि उनको ये पैसे न मिले तो क्या वह भूखों मरने वाले हैं? राजेन्द्रबाबू तो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होनेवाले थे। लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से उसे लात मार कर फकीर की तरह रहना पसन्द किया। राजाजी भी जेल जाने के कारण मिनिस्टर नहीं बने। मैं यह नहीं कहता कि वे सब फरिश्ते हैं। वे भी हमारी तरह इन्सान हैं और इन्सान तो भूलों की गठरी होते हैं। फिर सरकारी दफ्तर में कितने आदमी समा सकते हैं। यह तो एक निकम्मी बात है जिसे शीघ्र ही भूल जाना चाहिए। हम इस बात का खयाल भी न करें कि हमें जेल जाने के बदले में कुछ मिले। जो आदमी अपना धर्म पालन करता है, धर्म ही उसका बदला है।

फिर गांधीजी ने जिना के पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल बनने की चर्चा करते हुए कहा :—मुझसे पूछा गया है कि कायदे आजम जिना पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल बन गये और यहां का गवर्नर-जनरल वायसराय बनकर बैठ गया, यह कहां का हिसाब है? हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई तो कांग्रेस ने लड़ी। मुस्लिम लीग ने उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया या ऐसा कहो कि कांग्रेस ने जब भी सिविल नाफर्मानी या सत्याग्रह किया, लीग ने उसमें बिल्कुल सहयोग नहीं दिया। इसपर भी यदि कांग्रेस को हिन्दुस्तानी गवर्नर-जनरल नहीं मिलता है तो यह कोई इन्साफ की बात नहीं हुई। इसका मतलब यह हुआ कि हम अंग्रजों की खुशामद करेंगे तो आराम से रहेंगे, नहीं तो मर जायेंगे। मैं यह कहूंगा कि जो चीज बनी है या जो चीज १५ अगस्त को बा-कानून बननेवाली है, उसमें गवर्नर-जनरल चाहे अंग्रेज हो, फ्रेंच हो, डच हो, काली चमड़ीवाला हिन्दुस्तानी हो, गोरवर्ण हो या हब्शी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मेरे हाथ में हो तो मेहतर बस्ती की एक हरिजन लड़की गवर्नर-जनरल बना कर बिठा दी जाय। अतः माउण्टबेटन यदि गवर्नर-जनरल बनते हैं तो वे हिन्दुस्तान के खिदमतगार या नौकर होकर ही बनते हैं। आप कह सकते हैं कि यह तो बच्चों को फुसलाने की-सी बात हुई। जो माउण्टबेटन इंग्लैण्ड के शाही घराने से सम्बन्ध

रखते हैं वह क्या तुम्हारी नौकरी करने वाला है ? आप तो धोखा देते हैं। मुझे आपको धोखा देकर माउण्टबेटन से कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं तो आज तक उनसे लड़ता आया हूं तो आज उनकी खुशामद करने की मुझे क्या जरूरत पड़ी है ? आप शायद यह कहेंगे कि कांग्रेसी नेता उनके फुसलावे में आ गये हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जवाहरलालजी, सरदार और राजाजी ऐसे पागल हैं कि अपना सब नूर गंवा कर बैठे हैं। वे खुशामदी बन गये हैं। मैं वहां तक नहीं जा सकता। यह तो सही है कि मैं जो चाहता था वह नहीं बना और बहुत दफा मैं यह कह भी चुका हूं। मगर मैं हर चीज का सीधा मतलब निकालता हूं। हम लोग माउण्टबेटन को गवर्नर-जनरल बनाते हैं, इसीलिए तो वह बनते हैं। यदि हम न चाहते तो वह नहीं बन सकते। परन्तु जिना साहब ने यह सोचा होगा कि सारी दुनिया कैसे मानेगी कि मैंने पाकिस्तान ले लिया। इसलिए मैं क्यों न गवर्नर-जनरल बनूं। हमें इस पर ईर्ष्या क्या करना और गुस्सा भी क्या करना ? उनको गवर्नर-जनरल बन कर यह सारी दुनिया को बताना है कि इस्लाम क्या चीज है। यह देखना है कि वह वहां के खादिम बनते हैं या बादशाह। यदि एक भी सिन्धी सिन्ध छोड़ कर चला आयगा तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल पर होगी। उनको तो खलीफा अबुककर या उमर और अली की तरह सबके साथ इन्साफ करना होगा। मैं यह नहीं कहता कि वे सब अहिंसक थे। मैं तो केवल उनकी बहादुरी और शराफत की बात कहता हूं।

अखबारों से मुझे मालूम हुआ कि पहले हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए एक ही गवर्नर-जनरल रखना तय हुआ था। मगर बाद में जिना साहब मुकर गए। तब कौन उन्हें पाकिस्तान का गवर्नर-जनरल बनने से रोकने वाला था। मेरी निगाह में उन्होंने ठीक नही किया। एक दफा जब उन्होंने कहा था तो माउण्टबेटन को बनने देते और पीछे यदि कोई गोलमाल होता तो उनको हटा देते। परन्तु अब इस्लाम की परीक्षा जिना साहब की मार्फत होनेवाली है। सारी दुन्यिा के

सामने वे पाकिस्तान स्टेट के गवर्नर-जनरल बन रहे हैं। अतः पाकिस्तान की खूबियां ही देखने में आनी चाहिएं। कांग्रेस तो हमेशा अंग्रेजों से लड़ती आई है। जवाहरलालजी तो सीधे आदमी हैं, मगर सरदार तो हमेशा लड़ने वाले हैं। वे तो मेरे साथ लड़ते थे कि तू इनका एतबार करता है। जब वही इनके दाव में आ गए तो आपकी व हमारी बात ही क्या है। जब वे यह कबूल करते हैं कि वायसराय गवर्नर-जनरल बन कर रहें तो हमें कबूल करने में क्या संकोच है। हम देखते हैं कि वे हिन्दुस्तान के खादिम बन कर गवर्नर-जनरल हो रहे हैं या दगा देने के लिए। एक नया अनुभव हमको मिलेगा। अतः इसमें दूरन्देशी है और फिर हम कुछ खोते तो हैं ही नहीं। आखिर डोमीनियन स्टेटस भी हमने उनके कहने पर स्वीकार किया है। वे एक बहुत बड़े एडमिरल हैं। बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। उनको हम रखें तो सही। यदि कोई बुराई निकली तो हम उनसे लड़ लेंगे।

फिलिप माउण्टबेटन के साथ इंग्लैण्ड की राजकुमारी एलिजाबेथ की सगाई की चर्चा करते हुए गांधी जी ने बताया कि "जब मैं वायसराय से मिलने गया था तब उन्होंने मुझसे कहा कि जिस लड़के से एलिजाबेथ की सगाई हुई वह मेरे लड़के जैसा ही है। आशा है कल आप आशीर्वाद के तौर पर कुछ शब्द लिखोगे। सो परसों जब वायसराय की लड़की यहां आई तब मैंने उसके हाथ मुबारिकबादी का एक खत लिखकर भेज दिया। कितनी सादी लड़की है वह। प्रार्थना के समय मैंने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, मगर कुर्सी पर न बैठ कर वह हमारे साथ ही दरी पर बैठ गई। और फिर राजकुमारी अमृतकौर ने तो आज मुझ यह भी बताया कि जिस लड़की की सगाई हुई है वही इंग्लैण्ड की रानी बनेगी, क्योंकि बादशाह के कोई लड़का नहीं है। वायसराय के भी कोई लड़का नहीं है। खैर, वायसराय अगर बुरा होता तो मैं आशीर्वाद लिख कर क्यों भेजता। मैं उसे बुरा नहीं मानता। उनकी जगह अगर जवाहरलालजी या सरदार पटेल गवर्नर-जनरल बन कर बैठ जाते तो उन्होंने बहुत खतरनाक काम किया होता। इसके अलावा गवर्नर-

जनरल के हाथ में किसी प्रकार की सत्ता नहीं होगी। जवाहरलालजी या उनकी केबिनट जो कहेगी वही उसको करना होगा। उसको तो केवल अपने दस्तखत देने होंगे।

मगर लार्ड माउण्टबेटन एक बड़ा आदमी है और अंग्रेज शैतानियत ही कर सकते हैं ऐसा हम लोगों का खयाल बन गया है। तो माउण्टबेटन को भी अपनी शराफत और इन्साफ-पसन्दी का सबूत देना होगा और मुझे विश्वास है कि वह इन्साफ करने के लिए ही यहां आया है।

मेरे पास इन दिनों काफी मुसलमान मिलने आते हैं। वे भी पाकिस्तान से कांपते हैं। ईसाई, पारसी या दूसरे गैर मुसलमान वे डरें यह तो समझ में आ सकता है, मगर मुसलमान क्यों डरें। वे कहते हैं कि हमें क्विसलिंग (देशद्रोही) माना जाता है। पाकिस्तान में हिन्दुओं को जो तकलीफ होगी उससे ज्यादा हमें होगी। पूरी सत्ता मिलते ही हमारा कांग्रेस के साथ रहना शरियत से गुनाह माना जायगा। इस्लाम के ये मानी हैं इसे मैं नहीं मानता। कांग्रेस यदि किसी मुसलमान को अपने साथ रखती है तो क्या गुनाह करती है। क्या मुसलमान कांग्रेसी बनने से गुनाहगार हो जाते हैं? क्या वे कलमा या नमाज नहीं पढ़ते? क्या अली भाई के जमाने के इस्लाम से आज का इस्लाम कुछ बदल गया है? राष्ट्रीय मुसलमानों को कैसे क्विसलिंग कहा जा सकता है। मुझे आशा है कि जिना साहब जहां गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे वहां इन मुसलमानों को भी पूरा संरक्षण देंगे।

: २६ :

हम किसीके दास नहीं बनेंगे

नई दिल्ली, १३ जुलाई १९४७

गांधीजी न प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए कहा—

ऐसा समय एक-दो बार आया है जब मैं प्रार्थना में ठीक वक्त पर नहीं पहुंच सका। आज का वक्त ऐसा ही था। मैंने बहुत कोशिश की कि सात बजे के पूर्व पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं वाइसराय से मिलने चला गया था। मैं यहां पड़ा हूं तो कुछ बातें करनी ही पड़ती हैं। यहां बहुत बातें होती हैं, इसलिए मेरे जैसे आदमी को भी कुछ कहना होता है। यों तो मैं चार बजे ही चला गया था और आशा थी कि समय के पहले ही लौट आऊंगा। मगर दूसरे मित्र भी होते हैं। इसीलिए मैं वक्त पर नहीं आ सका। मगर मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि प्रार्थना ठीक समय पर शुरू कर दी गई है।

जिना साहब ने एक प्रेस कान्फ्रेन्स की है। उसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में आई है। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो अल्पमत वाले हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने वाली है। उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जायगा जैसा कि मुसलमानों के साथ। हिन्दू मन्दिरों में जा सकेंगे, सिक्ख गुरुद्वारों में।

पर किसी एक के कहने मात्र से वैसा हो नहीं जाता। आज भी खून-खराबी हो रही है, मकान जल रहे हैं और यह सब पाकिस्तान में हो रहा है। यूनियन (शेष भारत) में भी हो रहा है। यह कौन कर रहा है? क्या मुसलमान ही कर रहे हैं? या हिन्दू भी कर रहे हैं?

मेरे पास दोनों प्रकार के खत आते हैं। लोग कहते हैं कि अब हम शान्ति से क्यों नहीं रह पाते। मैं जिना साहब से पूछता हूं कि आपकी बात कब अमल में आयगी ? वह १५ अगस्त के बाद अमल में आयगी या अभी से ? सिन्ध तो पाकिस्तान का केन्द्र-बिन्दु होगा। वहां मुस्लिम लीग का बहुत जोर है। जिना साहब पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल भी बन गये हैं। ऐसा होने पर भी, इंग्लैण्ड में बादशाह तो है ही। जबतक वह है तबतक जनता का कुछ-न-कुछ सम्बन्ध गवर्नर-जनरल के मार्फत उसके साथ रह ही जाता है। गवर्नर-जनरल को हम बनाते हैं। जिना साहब पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल बने हैं। फिर भी वह बादशाह के सामने जिम्मेदार तो रहते ही हैं। लीग के प्रेसीडेण्ट भी वे मिट नहीं जाते। उनकी हैसियत बढ़ जाती है। उन्हें सबको अदल इन्साफ देना चाहिए। सिन्धियों को सिन्ध से क्यों जाना चाहिए ? अगर एक भी सिन्धी वहां से चला जाता है तो यह जिना साहब के लिए शर्म की बात है कि वह गवर्नर-जनरल हैं और उनके रहते हुए अल्पमत वाले जा रहे हैं।

मुझे लगता है कि एक आदमी जो कहता है वह वैसा करता है या नहीं, इसीसे उसकी जांच होती है।

इसी तरह यूनियन (शेष भारत) से भी मेरे पास खत आते हैं। युक्त प्रान्त में कुछ हुआ या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मगर वहां के मुसलमान यह भय महसूस करते हैं कि वे इस प्रान्त में रह सकते हैं या नहीं। मैं पूछता हूं कि वहां वे क्यों नहीं रह सकते ? जिस तरह मैं जिना साहब से पूछता हूं उसी तरह यू० पी० और बिहार से भी पूछता हूं कि वहां मुसलमान रह सकते हैं या नहीं ?

अंग्रेजों से तो हमें नियामत मिल गई। एक जमाना था जब वे हमें लड़ाते रहते थे। अब वह जमाना चला गया। अब उनको हमें लड़ाने का मौका नहीं रहा।

यू० पी० के मुसलमानों नौकरी के अनुपात के को प्रतिशत के बारे में शिकायत है; वे कहते हैं कि अब तक जहां ६० और ७० प्रतिशत

सरकारी नौकरियां उनके हाथ में थीं वहां अब आबादी के हिसाब से १४ प्रतिशत ही देने का निर्णय किया गया है। इसपर गांधीजी ने कहा— मेरा दिल तो इसकी शिकायत नहीं कर सकता। सरकारी नौकरियां कितने लोगों को मिल सकती हैं? उनसे हमारा क्या भला होने वाला है? और फिर, वहां तो हम खिदमत के लिए जाते हैं, अपना भला करने के लिए नहीं? अब तक जो कुछ होता रहा है वही होता रहे तो यह कोई न्याय न होगा। यदि डाक्टर और वकील अब तक लोगों को लूटते रहे हैं तो क्या आगे भी वे लूटते ही रहेंगे?

इसी तरह कोई पूछ सकता है कि हमें अब तक जो परसेंटेज मिला हुआ था वह रहेगा या नहीं? मैं कहूंगा कि वह किसने दिया था? कैसे दिया था? यदि हरिजन कहें कि सरकार ने हमें इतना दिया था, वह कायम रहना चाहिए, तो मैं पूछ सकता हूं कि सरकार ने तुम्हें वह क्यों दिया था? कांग्रेस सरकार से लड़ती थी। सरकार ने कांग्रेस से लड़ने वालों को रिश्वत दी। उसे उनकी खुशामद करने की जरूरत थी; अब हमारी हुकूमत होगी। हमारी सरकार किसी की खुशामद क्यों करे? हमारे लिए तो यह जरूरी है कि हम अछूतपन मिटा दें। सरकार की हिम्मत थी कि कानून बना कर सब मन्दिर खोल दे? मगर जब मैं देखता हूं कि मद्रास में एक के बाद एक मन्दिर खुलता जाता है, वहां के बड़े-बड़े और पुराने मन्दिर हरिजनों के लिए खुल गये हैं, तो मेरा पेट भर जाता है। धर्म की रक्षा ऐसे ही हो सकती है। इसी तरह ईसाइयों और पारसियों की बात है।

हमारी हुकूमत का काम तो जो मिसस्कीन हैं, जाहिल हैं, उन्हें ऊपर लाना होगा। यदि वह हरिजनों के लिए, शूद्रों आदि के लिए कुछ करती है तो ब्राह्मण को शिकायत क्यों होनी चाहिए? हां, अगर कोई कहे कि ब्राह्मणों को कोड़े लगाए जायं, उनका अपमान किया जाय, तो मैं कहूंगा कि ऐसा क्यों? वह भी तो बुरा है।

मुसलमानों की ओर से या यूनियन की ओर से मैं जो कुछ कह सकता हूं वह यही है कि सबको अदल इन्साफ मिले। अगर ऐसा हो

तो फिर कहने को कुछ नहीं रहेगा। फिर देश के टुकड़े होने का दुःख नहीं रहेगा।

देश के टुकड़े होने के बारे में लोग कहते हैं कि आज तो हिसाब हो गया—सेना का हिसाब हो गया, नौ-सेना का हिसाब हो गया। मैं कहता हूं कि हमारी ताकत कम हो गई। बाहर के लोग कहेंगे कि हिन्दुस्तान के पास नौ-सेना कहां है? अपने मतलब के लिए वे दो में से किसी एक हिस्से को मिलाएंगे और यह सेना का बंटवारा हमेशा के लिए गृह-युद्ध का कारण बन जायगा।

पर मुझे आशा है कि पाकिस्तान और शेष भारत में मैत्री का भाव रहेगा। दोनों में अल्पसंख्यकों के प्रति न्याय का व्यवहार होना चाहिए। यदि यूनियन (शेष भारत) में केवल हिन्दू ही रह सकेंगे तो यह पक्षपात होगा। इसी तरह यदि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही रह सकेंगे तो वह भी पक्षपात होगा।

यद्यपि हमने अहिंसा का सबक नहीं सीखा तो भी हमें अपनी तीस बरसों की कोशिश से यह सीख लेना चाहिए कि हम किसी के दास नहीं बनेंगे। ऐसा हम अहिंसा से करें चाहे हिंसा से। अहिंसा का नाम तो मैंने छोड़ दिया। फिर भी, अगर हमारे पास बल आ गया तो हम किसी की सलामी नहीं करेंगे। यही मैं बिहार से कहता आया हूं। लोग कहते हैं कि हमें तलवार दो, बन्दूक दो। मैं कहता हूं तलवार और बन्दूक क्यों मांगते हो? कहो, हम नहीं झुकेंगे। ऐसा ही मैंने नोआखाली में भी कहा है।

अगर मुसलमानों और हिन्दुओं के दिल में तीस बरसों की कोशिश से यह आ गया है कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे तो मेरे लिए इतना बस है। अगर तीस बरस में हमने इतना सीख लिया है, तो वह हिंसा से हो या अहिंसा से मुझे इसकी परवाह नहीं। हां, अगर मुझसे सीखने आओगे तो मैं कहूंगा कि यह अहिंसा से ही हो सकता है। एक अकेला आदमी अगर दुनिया का सामना करने चले तो वह अहिंसा से ही कर सकता है। अहिंसा के साथ ईश्वर होता है उसके सामने तलवार टूट जायगी।

: २७ :

हरेक को खुश करना मुमकिन नहीं

नई दिल्ली, १४ जुलाई १९४७

आज गांधीजी का मौन दिवस होने के कारण प्रार्थना के बाद निम्नलिखित संदेश पढ़कर सुनाया गया :—

कहा जाता है कि मेरे भाषण आजकल निराशा पैदा करने वाले हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि मुझे बिलकुल बोलना ही नहीं चाहिये। लोगों के ऐसा कहने से मुझे एक चित्रकार की कहानी याद आती है। उसने अपना चित्र एक दुकान में रखा और नुक्ताचीनी करने वालों को दावत दी कि वे जहां-जहां भी उसमें गलतियां पायें वहां-वहां निशान लगा दें। नतीजा यह हुआ कि वह तस्वीर तो रही नहीं एक धब्बा-सा होगया। चित्रकार का मतलब यह था कि लोगों को दिखाये कि हरेक को खुश करना नामुमकिन है; और उसे खुद तसल्ली होगई कि उसने एक अच्छा चित्र खींचा था। उसका तो काम ही था कि वह अपने मन के पसन्द की और अपनी लियाकत के मुताबिक एक तस्वीर बनाए। मेरा भी वही हाल है। मैं केवल बोलने के लिए कभी नहीं बोलता। मैं सिर्फ यह समझकर बोलता हूं कि मेरे पास लोगों के लिए देने के लायक संदेशा है।

यह सच है कि आज मेरे और मेरे घने दोस्तों में कुछ मतभेद हैं। बाज बातें जो उन्होंने कीं या कर रहे हैं, उनसे मैं सहमत नहीं। लेकिन दिल्ली में रह कर मेरे लिए मौजूदा हालात पर अपनी राय न देना असंभव है। और असल में मतभेद क्या है? अगर आप छानबीन करें

तो आपको पता चलेगा कि मतभेद की जड़ एक ही है। अहिंसा मेरा धर्म है, कांग्रेस का धर्म कभी नहीं रहा। कांग्रेस ने तो उसे केवल नीति के रूप में स्वीकार किया था। नीति उसी वक्त तक धर्म रह सकती है जब तक कि उसे चलाया जाय, उसके बाद नहीं। कांग्रेस को पूरा अधिकार है कि जिस वक्त जरूरत न रहे उसी वक्त नीति को बदल ले। धर्म की और बात होती है। वह तो अमर है। वह कभी बदल नहीं सकता।

कांग्रेस के विधान में नीति तो वही रखी गई है, लेकिन कांग्रेस वालों के अमल ने नीति को बदल दिया है। कानून के शास्त्री भले उस पर नुक्ताचीनी करें लेकिन आप और हम ऐसा नहीं कर सकते और न करना चाहिये। आज के कांग्रेसी क्यों न अपनी नीति को बदलें ? कानून की बात हो ही जायगी। और यह बात भी समझने के लायक है कि कांग्रेस के विधान में 'शांति' का शब्द इस्तेमाल किया गया है, 'अहिंसा' का नहीं।

१९३४ में जब कांग्रेस की बैठक बम्बई में हुई थी तो मैंने बहुत कोशिश की कि 'अहिंसात्मक' शब्द 'शांतिमय' की जगह ले, लेकिन मैं असफल रहा। इसलिए अगर कोई चाहे तो 'शांति' के मानी अहिंसा से कुछ कम निकाल सकता है। मैं खुद तो कोई फर्क नहीं पाता। लेकिन मेरी राय से यहां कोई मतलब नहीं। फर्क है या नहीं यह फैसला विद्वानों को करना पड़ेगा। आपको और मुझे तो इतना ही समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस का अमल आज हर्गिज अहिंसात्मक नहीं। अगर 'अहिंसा' कांग्रेस का धर्म होता तो किस तरह फौज को सहायता देती, जैसा आज हो रहा है। फौज अगर चाहे तो जनता को खाकर फौजी-राज भी कायम कर सकेगी; सिवाय इसके कि जनता मेरी बात सुने और अहिंसा के रास्ते चले। क्या मैं यह आशा बिलकुल ही छोड़ दूं कि जनता मेरी बात कभी भी नहीं सुनेगी ? और अगर न सुनना चाहे तो फिर मेरे ऊपर जो नुक्ताचीनी करते हैं उनका क्या बिगड़ता है और वे मुझे बोलने से क्यों रोकें ?

मुझे एक बात स्पष्ट करनी चाहिए सो यह कि मैंने साफ-साफ कह दिया और मान भी लिया है कि पिछले तीस साल जो लड़ाई हमने की वह अहिंसा के बल पर नहीं थी। वह तो सिर्फ मन्द विरोध था और ऐसा विरोध कमजोरों का हथियार है। उसे वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो अहिंसा का उपयोग जानते नहीं, यह नहीं कि अहिंसा का उपयोग करना चाहते नहीं। अगर हममें अहिंसात्मक लड़ाई करने की बहादुरी होती और उसके लिए वीरों की बहादुरी चाहिए, तो हम दुनिया के सामने आज आजाद हिंद का एक और ही चित्र दिखा सकते। लेकिन आज तो हम दो टुकड़े का हिंद बना रहे हैं, एक ऐसा देश जहां भाई-भाई आपस में लड़ रहे हैं और एक-दूसरे पर जरा भी विश्वास नहीं रखते। ऐसा होने के कारण हम खुराक और कपड़े की कमी पर काफी ध्यान नहीं दे पाते। और उन करोड़ों गरीबों को कुछ नहीं दिखा सकते —वे गरीब जिनका एक भगवान ही उनके सामने रोज की जरूरतों की शक्ल में नजर आता है। उनका लड़ाई-झगड़ों से क्या वास्ता सिवा सिनेमा की तस्वीरों के जिनसे एक-दूसरे को मारने की तदबीर के अलावा वे और क्या सीख सकते हैं?

: २८ :

कांग्रेस का विभाजन न हो

नई दिल्ली, १५ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा:—

मैंने कुछ दिन हुए तामिलनाड और मलाबार के मंदिरों के बारे में कहा था जो हरिजनों के लिए खोले गए थे और खासतौर से रामेश्वरम् के मंदिर का उल्लेख किया था। वह एक बहुत बड़ा मंदिर है और उसके बारे में वहां काफी वहम भरा हुआ था। उनका ख्याल था कि हरिजनों के अन्दर जाने से मंदिर अपवित्र हो जायगा। परन्तु आज के एक खत में मुझसे कहा गया है कि मैंने आन्ध्र देश के तिरुपति मंदिर का नाम नहीं लिया जो बहुत विशाल और प्राचीन मंदिर है। उसमें यह भी लिखा है कि यदि मैं अपनी गलती दुरुस्त कर दूं तो आन्ध्र देश के लोगों को बहुत संतोष मिलेगा। मैं तो इस मंदिर की महिमा बराबर जानता था, परन्तु मेरी दृष्टि में तामिलनाड और आन्ध्र जुदा-जुदा सूबे नहीं हैं। आज तो कुछ आबहवा ही ऐसी बिगड़ गई है कि सब अलग-अलग रहना चाहते हैं। तो भी मुझे अच्छा लगा कि मैं अपनी गलती को दुरुस्त कर लूं।

अभी कुछ बंगाली भाई मिलने आये हैं। वे कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल के जुदा हो जाने से पूर्वी बंगाल के हिंदुओं के दिल में ऐसा लगता है कि पश्चिमी बंगाल के हिंदू अब उनको भूल जायेंगे। यदि ऐसा हुआ तो मुझको बड़ा दर्द होगा। अगर इस तरह से हिंदू हिंदू को और मुसलमान मुसलमान को भूल जाय तो सब

गोलमाल हो जायगा। हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, ऐसा हमें मानना चाहिये। मजहब या धर्म तो निजी बात है। मैं ईश्वर को पूजना चाहता हूं, उससे दुनिया की कौन ताकत मुझे रोक सकती है। परन्तु यदि मुसलमान, पारसी, हिन्दू और ईसाई आदि सब अपने को अलग-अलग मानने लगें तो पीछे हिंदुस्तान रहा कहां? मैं तो कबूल करूंगा कि बंगाल के हिस्से ही क्या करने थे। मैं बंगाली मुसलमानों में रहा हूं। नोआखाली में मैं उनके बीच पैदल घूमता था। मैंने वहां सब के दिलों में मोहब्बत पाई है। हिंदुओं को मुसलमानों से डरना क्या था? जो मूर्खता और दीवानापन आ गया, वह क्या हमेशा थोड़े ही रहने वाला है। मेरी समझ में तो पूर्वी बंगाल के हिंदुओं के साथ बुरा होने वाला नहीं है। मगर बहुत सी बातें न चाहते हुए भी हुईं और हो रही हैं। बंगाल के टुकड़े हुए और हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान भी बन गये। परन्तु जो चीज हो गई उसे बर्दाश्त करके आगे बढ़ना चाहिये और पीछे उसे दुरुस्त कर लेना चाहिये। पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदू-मुसलमान एक साथ रहे और एक भाषा बोलते हैं। अतः हिंदुओं का वहां कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। यदि वहां का हिंदू-मुसलमान को अपना दोस्त माने तो क्या पूर्वी बंगाल के मुसलमान उनको मारते ही रहेंगे? जब एक भी हिंदू मुसलमान को अपना दुश्मन नहीं मानेगा तो फिर वे सब दोस्त ही रहने वाले हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है।

उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी मिट जायगी, क्योंकि उसके भी तो दो टुकड़े हो गये! मेरी दृष्टि से तो बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के हिसाब से बंगाल के टुकड़े नहीं हुए। जैसी वह आज है वैसी ही रहनी चाहिए। वह हकूमत के कानून से बाहर है। अगर वह अपने टुकड़े कर लेती है तो मैं कहूंगा कि पश्चिमी बंगाल ने बेवफाई की है। आज कांग्रेस की रचना इस तरह की है कि देहात में कांग्रेस कमेटी होती है, फिर मंडल में, उसके बाद जिले में, सूबे में और सबसे ऊपर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है। ऐसा

हमारा सिलसिला है। अतः कांग्रेस कमेटी पूर्वी बंगाल में होगी और पश्चिमी बंगाल में भी। वे दोनों मिलकर बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी बनायेंगे। कांग्रेस मुसलमान, ईसाई और पारसी आदि सब की है। उसमें आगे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन बंगाली भाइयों ने यह भी पूछा है कि क्या पूर्वी बंगाल बिलकुल भिखारी बन गया है कि उसके मंत्री भी पश्चिमी बंगाल से आयें? यह तो उनके लिए और भी हितकर होना चाहिये, क्योंकि इससे पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में सम्बन्ध बराबर बना रहता है। यह माना कि पूर्वी बंगाल में मुसलमान काफी पड़े हैं, परन्तु यह कैसे मान लिया जाय कि सारे मुसलमान गंदे हैं। बिहार में कितने ही मुसलमान मारे गये, परन्तु तो भी मैं कह सकता हूं कि वहां लाखों हिंदू गन्दे बिल्कुल नहीं बने। कुछ लोगों की गन्दगी की वजह से सारी कौम को गन्दा बताना बिलकुल गलत है। इसका मतलब तो यह है कि हमारे अन्दर स्वयं गन्दगी है। हम नापाक और बुजदिल बन गये हैं। हमारे अन्दर अहिंसा की बहादुरी नहीं है। वह बहादुरी केवल मरने का इल्म सिखाती है, मारने का नहीं। दुनिया में बड़े-बड़े लशकर पड़े हैं, मगर फिर भी सारी दुनिया की आबादी को देखते हुए ये लशकर मुट्ठी भर हैं। एक ऐसा सिलसिला-सा बंध गया है कि जिससे हमारी आंख हमेशा टेढ़ा ही देखती है. जब भी कुछ हो जाता है, हम फौज भेजने की ही मांग करते हैं। नोआखाली, बिहार, पंजाब और सीमाप्रांत सब जगहों से यही मांग आई कि फौज भेजो तो हमारी रक्षा होगी. परन्तु जो बहादुर हो सकते हैं, वे ऐसा क्यों कहें?

: २६ :

हम खुशी से एक होकर रहें

नई दिल्ली, १६ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा—

आज का जो भजन था वह मैंने बचपन में ही जबकि मैं अंग्रेजी हाई स्कूल में चला गया था, तब पढ़ लिया था। वह बालमित्र नामक पुस्तक की प्रार्थना-माला में आ गया था। भजन अच्छा और मीठा है और बात भी सच्ची है कि हम अपने शरीर पर फिक्र क्यों करें। वह आज है और कल चला जायगा। या तो जल जायगा या कब्र में चला जायगा; राख हो जायगा या मिट्टी में मिल जायगा, पर बात एक ही है। यदि पानी में फेंका गया तो जीव-जन्तु खा जायेंगे। मतलब यह है कि आखिर में शरीर का हाल एक ही सा होता है। परन्तु इस भजन में—'आप मुए पीछे डूब गई दुनिया'—यह अच्छा नहीं लगता। भले ही यह कबीर का बनाया हुआ हो, मगर उससे क्या हुआ? मुझे तो यह बहुत चुभता है। ऐसा मानने में कुछ स्वार्थ काम करता है, यह मेरी छोटी बुद्धि मुझे बताती है। इसको भजनमाला में से निकाल देना चाहिये। हमारे मरने के बाद दुनिया कैसे डूबने वाली है। पहले तो यह कि हम मरते ही नहीं हैं क्योंकि आत्मा अमर है। फिर दुनिया का तो मरना ही क्या है, वह तो हमेशा बदलती रहती है। उसको तो परमात्मा ने एक खेल बना रखा है। मगर जितना भजन में कहा गया है उसको हम मानकर ही नहीं बैठ जाते हैं। यदि वह सब मान लें तो पीछे यह विधान परिषद क्यों बैठती? क्यों हमारे नेता लोग कायदे-कानून बनाते।

यदि वे सब यही मान लें कि हमारे मरने के बाद दुनिया डूब जायगी तो फिर कोई किसी के लिए कुछ न करता। अतः इस वाक्य में स्वार्थ की पराकाष्ठा आ जाती है।

मुझसे कुछ अखबारनवीस मिलने आये थे। उनके साथ बातचीत में द्राविड़िस्तान की चर्चा आ गई थी। हिंदुस्तान के विंध्याचल के दक्षिण में जो प्रदेश पड़ा है उसे द्राविड़िस्तान कहते हैं। इस द्राविड़ प्रदेश में तामिल, तेलगू, मलयाली और कन्नड ये चार भाषाएं बोली जाती हैं। मैंने थोड़ा-थोड़ा सबको देख लिया है और मैं यह कह सकता हूं कि इनके मूल में संस्कृत ही पड़ी है। तेलगू यदि आप सुनोगे तो उसमें संस्कृत के ही शब्द सुनाई देंगे। तामिल में संस्कृत के शब्द तो काफी हैं, परन्तु उनको उन्होंने द्राविड़ी लिबास पहना दिया है। मलयाली भी संस्कृत से मिलती-जुलती है। कर्नाटक में कन्नड भाषा का भी यही हाल है। मतलब यह है कि इन सब भाषाओं का मूल स्रोत संस्कृत ही है। मैं तो द्राविड़िस्तान को हिन्दुस्तान से अलग मानता ही नहीं हूं। अंग्रेजों ने हम सबको एक कर दिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लोग पड़े हैं वे सब हिन्दुस्तानी हैं। उनमें आर्य और अनार्य या आर्यावर्त्त और द्राविड़िस्तान का भेदभाव करना, कोरी अज्ञानता है। इस बारे में मेरे दिल में कोई शक नहीं है।

अब प्रश्न केवल भाषा का रह जाता है। हमारे यहां हिंदी और उर्दू ये दो भाषाएं हैं जो हिन्दुस्तान में बनीं और हिंदुस्तानियों द्वारा बनाई गई हैं। उनका व्याकरण भी एक ही रहा है। इन दोनों को मिलाकर मैंने हिंदुस्तानी चलाई है। इस भाषा को करोड़ों लोग बोलते हैं। यह एक ऐसी सामान्य भाषा है जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों समझते हैं। यदि आप संस्कृतमय हिंदी बोलें या अरबी-फारसी के शब्दों से भरी हुई उर्दू बोलें जैसा कि प्रो० अब्दुल बारी बोलते थे, तो बहुत कम लोग उसे समझेंगे। तो क्या हम द्राविड़िस्तान की चारों भाषाओं का अनादर कर दें? मेरा मतलब यह है कि वे मातृ-

भाषा के तौर पर अपनी-अपनी प्रांतीय भाषा को रख सकते हैं, मगर राष्ट्र-भाषा के नाते हिंदुस्तानी को जरूर सीख लें। यों तो हर सूबे की अलग-अलग भाषा है। उड़िया, बंगला, आसामी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती तथा मराठी ये सब भाषाएं हिंदुस्तानी से भिन्न हैं। तो क्या हम ये सब भाषाएं सीखें या अंग्रेजी को अपनी राष्ट्र-भाषा मानने लगें? यदि मैं अब अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दूं तो आपमें से बहुत कम लोग समझेंगे। ८-१० वर्ष परिश्रम करें तब कहीं लंगड़ी अंग्रेजी हम सीख पाते हैं। इस तरह से तो सारा हिंदुस्तान पागल बन जायगा। अतः अंग्रेजी हमारी राष्ट्र भाषा नहीं बन सकती। वह दुनिया की भाषा या व्यापार की भाषा रह सकती है, हालांकि दुनिया की भाषा भी अभी तक कोई जा-जाब्ता तय नहीं हुई है। हिंदुस्तान की भाषा तो हिंदुस्तानी रहने वाली है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। प्रांतीय भाषाएं अपनी-अपनी जगह बनी रह सकती हैं, परन्तु सबसे ज्यादा लोग जो भाषा बोलते हैं वह हिंदुस्तानी ही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी मैं रहा हूं। वहां जिस प्रकार की हिंदी बोली जाती है उसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं। उसी प्रकार जो ठेठ उर्दू है उसे बहुत थोड़े लोग बोलते और समझते हैं। जनसाधारण की भाषा तो हिंदुस्तानी है। जितना हमें चाहिये उतना साहित्य भी हम उसमें से पैदा कर सकते हैं। द्राविड़िस्तान की मातृभाषा तामिल या तेलगू बनी रहनी चाहिये, मगर वहां के लोगों का धर्म या फर्ज यह हो जाता है कि वे जितनी जल्दी से हिंदुस्तानी सीख सकें, सीख लें। यदि वे हिंदुस्तानी को हिंदी और उर्दू दोनों लिपियों में सीखें तो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि इससे दोनों भाषाओं का साहित्य उनको मिल जायगा। परन्तु यदि वे केवल बोलने के लिए ही हिंदुस्तानी सीखना चाहते हैं तो उसे अपनी लिपी में सीख लें। मद्रास में हिंदुस्तानी प्रचार सभा हिंदुस्तानी को उनकी अपनी लिपियों में सिखाने का कार्य कर रही है। यदि वहां के लोगों को स्वदेशी का सच्चा अभिमान है तो उनको राष्ट्र भाषा सीख ही लेनी चाहिए।

मगर आज हम इतने बदनसीब हो गये हैं कि जहां एक ओर

पाकिस्तान बना वहां दूसरी ओर से द्राविड़िस्तान की मांग आने लगी। यदि यही हाल रहा तो हिंदुस्तान कहां रह जायगा ? हम गुलाम की हालत में तो एक रहे, परन्तु आजादी मिलते ही टुकड़े-टुकड़े हो गये, इससे बड़ी मूर्खता हमारी और क्या होगी ?

आज हम आजादी तो लेने को तैयार हो गये, परन्तु हम उसके लिए सामान क्या तैयार कर रहे हैं। सब लोग अपने-अपने शौक के मुताबिक चलना चाहते हैं। यही तो मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी है। अब तक तो एक तीसरी ताकत ने हर सूबे को अपने मातहत रखा, परन्तु अब हमारा परम धर्म हो जाता है कि हम खुशी से सब एक होकर रहें। हमारे यहां जो लश्कर रहने वाला है, उसका काम किसी सूबे को दबा कर संघ के आधीन रखना नहीं होगा। इंग्लैंड में जो लश्कर है वह वहां अंग्रेजों को दबाने के लिए नहीं है। वहां जो पुलिस रहती है उसके हाथ में भी कभी बन्दूक नहीं रहती, केवल लकड़ी का छोटा डण्डा होता है। वे आम लामबन्दी भी करते हैं तो अंग्रेजों को दबाने के लिए नहीं, किसी बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए अथवा समुद्र पर अपनी सरदारी बनाये रखने के लिए करते हैं। इंग्लैंड की सेना लोगों को आपस-आपस में बचाने के लिए नहीं होती। अतः यदि हमने अपने लश्कर से वही काम लिया जो अब तक लेते रहे हैं, तो वह लश्कर आपको ही खा जाने वाला है। हम अपनी ही तरफ देखना सीखें, लश्कर की तरफ नहीं। हिंदू-मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि सब इसी देश के रहने वाले हैं। उनके मंदिर और मस्जिद अलग-अलग रह सकते हैं, परन्तु हिंदुस्तान रूपी जो बड़ा मंदिर है वह सबका है। सब मजहबों के लोग एक ही ईश्वर की इबादत करते हैं।

दूसरी बात जो मैं कल सुनाऊंगा, वह सुनने लायक होगी। आज की बात भी सुनने लायक थी और यदि उस पर अमल न किया गया तो हमारा निश्चय ही सत्यानाश होने वाला है।

: ३० :

जहां हरिजन नहीं जासकते वे मंदिर नापाक हैं

नई दिल्ली, १७ जुलाई, १९४७

आज प्रार्थना के बाद जो भजन गाया गया उसके शुरू के बोल थे--'मो सम कौन कुटिल खल कामी'। इसी पर अपना प्रवचन शुरू करते हुए गांधीजी ने कहा:—

"आज जो भजन आप लोगों ने सुना वह सूरदासजी का बनाया हुआ है। वह हम सबको विनम्र बनाने वाला भजन है। सूरदास कहते हैं कि मुझ जैसा कुटिल, खल और कामी कौन हो सकता है कि जिसने शरीर दिया उसी को मैं भूल गया। इसी भजन में वे यह भी कहते हैं कि हरिजनों को छोड़ कर उसने हरि विमुख लोगों का साथ किया। गांधीजी ने कहा कि 'हरिजन' शब्द मैंने सूरदास से ही लिया है, वैसे तो एक गुजराती कवि ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है। परन्तु क्या सूरदास जैसा भक्त कुटिल और खल हो सकता था? जवानी में मैंने जब यह भजन पढ़ा तब मैंने यह सोचा कि ये साधु-सन्त लोग बहुत अतिशयोक्ति करते हैं। मगर पीछे मैंने इस बात को समझा कि उसने जो कुछ कहा वह अपने माप को सामने रख कर ही कहा था। उसने अपने लिए कोई माप या गज बना रखा था जिसके मुताबिक वह यदि एक सेकिंड के लिए भी भगवान का नाम भूल जाता तो अपने को कुटिल और खल समझता था।

आज जो दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं उन पर भी यही चीज लागू होती है। अखबारी समाचारों से मालूम हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका

में भारतीयों के साथ गुण्डाशाही बरती जा रही है। उनको हलाक किया जा रहा है। मैं २० वर्ष तक वहां रहा हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि वहां हिन्दुस्तानियों के साथ क्या गुजरती है। मैं तो वहां उनके जैसा ही हब्शी बन गया था। वहां मुसलमान भी बहुत अधिक तादाद में हैं, मगर वे सब अपने-आपको हिंदुस्तानी कहते हैं। ईश्वर कम-से-कम हमें इतनी सद्बुद्धि तो दे कि बाहर दुनिया में तो हम अपने-आपको हिन्दुस्तानी कहें। यदि वहां भी हम अपने को हिंदू, मुसलमान या पाकिस्तानी कहने लगे तो निश्चय से हमारा खात्मा हो जाने वाला है।

अभी पिछले दिनों स्वरूप (श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित) संयुक्त राष्ट्रीय संघ के सामने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों का पक्ष रखने के लिए जस्टिस छागला आदि के साथ अमरीका गई थीं। उसके बाद अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों को कानूनी तौरसे तो तंग नहीं किया जा रहा, मगर गुण्डाशाही से मारना-पीटना शुरू कर दिया है। यदि यही हाल जारी रहा तो जो मुट्ठी भर हिन्दुस्तानी हैं वे कैसे वहां रह सकेंगे। मैं एक बार ट्रांसवाल चला गया था और दो हजार लोगों के साथ वहां पैदल घूमा। एक बोअर ने भी वहां हमको नहीं छूआ। हमें तो बोअर लोग पानी भी पिला देते थे। हमारे यहां तो पानी बहुत रहता है, मगर वहां पानी कम मिलता है। जब वर्षा होती है तब वे पानी जमा करके रख लेते हैं और उसे ताला लगाकर रखते हैं। हम बोअरों के साथ दोस्ताना करके जहां चाहते वहां चले जाते थे। परन्तु आज तो मैं एक दूसरी ही शक्ल देख रहा हूं। चूंकि हमारे यहां अब दो सरकारें बन रही हैं, इसलिए मैं जिना साहब और जवाहरलालजी दोनों से कहूंगा कि उन्हें मिलकर स्मट्स के पास तार भेजना चाहिए। स्मट्स साहब मुझको अपना दोस्त मानते हैं। मैं भी उनको एक दोस्त के नाते यह कहूंगा कि वे गोरे लोगों से कह दें कि वे दक्षिण अफ्रीका में एक भी हिंदुस्तानी के साथ मारपीट न करें। यदि तब भी वे उनका कहना न मानें तो वे अपने पद से इस्तीफा दे दें। लार्ड माउण्टबेटन को भी खामोश होकर नहीं बैठना चाहिये। वह नौसेना का आला दर्जे का एडमिरल है और

शाही कुटुम्ब का है। फिलिप माउण्टबेटन तो उनके लड़के के समान है, जिसकी कि शादी इंगलैंड की राजकुमारी एलिजाबेथ से होने वाली है। इसके अलावा माउण्टबेटन १५ अगस्त तक तो वायसराय भी हैं और उसके बाद गवर्नर-जनरल रहेंगे। अत: उनको अपनी इन सब बातों से लाभ उठाकर जनरल स्मट्स को कहना चाहिए कि हिंदुस्तान भी उसके अपने देश की तरह एक डोमीनियन बन गया है। अर्थात् एक बड़े ब्रिटिश कुटुम्ब का सदस्य हो गया है। अत: उनके देश में भारतीयों के साथ जो कुछ हो रहा है, वह बन्द होना चाहिए।

डोमीनियन स्टेट्स को आजादी से भी बढ़कर बताया गया है। परंतु जब तक मैं इस फल को चख नहीं लेता तब तक कैसे कह सकता हूं कि वह अमृत है या उसमें जहर भरा है। उसमें शायद अमृत ही होगा, मगर हमें उसको चखने तो दो ?

दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को मेरी यह सलाह है कि वे सब वहां भले आदमी बनकर रहें। उनमें से जो अच्छे पैसे वाले हैं वे अपने गरीब मुसल्मान भाइयों को न छोड़ें। जोकि वहा अछूतों की तरह पड़े हैं।

मुझसे यह पूछा गया है कि दक्षिण भारत में तो हरिजनों के लिए इतना काम हो गया और तामिलनाड तथा आंध्र के सब बड़े-बड़े मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिये गए, परन्तु यू० पी० का क्या हुआ ? यू०-पी० में हरिद्वार पड़ा है। क्या हरिद्वार के मंदिरों में अछूत जा सकते हैं ? दक्षिण भारत की त्रावणकोर रियासत में तो बहुत पहले से ही यह सब हो गया था। वहां के दीवान सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर आज तो हमसे बिगड़े हुए हैं और बिगड़े हुए हैं भी या नहीं यह आज तो मैं नहीं जानता। मगर तब उन्होंने वहां के महाराजा को समझा कर अबसे बहुत पहले ही कानून द्वारा अपनी रियासत में अछूतपन को मिटा दिया था। यू० पी० में हरिद्वार के अलावा काशी विश्वनाथ भी है जहां गंगाजी में स्नान करने से मोक्ष मिलता बताया जाता है। वहां के मंदिरों में हरिजन जा सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। परन्तु

में तो यही कहूंगा कि जहां हरिजन नहीं जा सकते वे मंदिर नापाक हैं।

आज दुनिया में सब धर्मों की कड़ी परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा में हमारे हिंदू-धर्म को सौ फी सदी नम्बर मिलने चाहिएं ; ९९ फी सदी भी नहीं।

: ३१ :

मेरे लिए सब समान हैं

नई दिल्ली, १८ जुलाई १९४७

आज की प्रार्थना में जो भजन गाया गया था उसके शुरू के बोल थे—'हरि तुम हरो जन की भीर।' गांधीजी ने इसी भजन को लेकर अपना प्रवचन आरम्भ किया और कहा:—

आज का जो भजन है वह समझने जैसा है, क्योंकि हम लोग भी तो आखिर भीर में पड़े हुए हैं। न हमारे पास खाने के लिए अन्न है, न पहनने के लिए कपड़ा। तो क्या हम इसकी शिकायत जवाहरलालजी से या सरदारजी से करें? क्योंकि वही तो आज हमारे हाकिम बन गये हैं। वायसराय साहब ने गद्दी छोड़ दी या छोड़ने जा रहे हैं। गवर्नर-जनरल तो उनको हमने बनाया है, इसलिए बन रहे हैं। पहले जो अफसर होते थे वे लंदन से नियुक्त होकर आते थे। मगर अब तो स्वाधीनता-बिल पास हो गया है और कल के अखबारों में आप यह भी पढ़ लेंगे कि बादशाह ने उस बिल पर अपने दस्तखस्त दे दिये। अत: सारी सत्ता अब हिन्दुस्तान की आम जनता के हाथ में आ गई। मगर इस भजन में जो चीज भरी है वह यह है कि जब हम पर भीर पड़ती है तब हम दूसरों को नहीं बल्कि तुमको, अर्थात ईश्वर को ही पुकारेंगे। केवल वही हमारी भीर हर सकते हैं। यदि उसको याद करके हम अपना काम चलायेंगे तो हमारा काम ठीक चलता जायगा, नहीं तो वह बिगड़ जायगा। वह दुनिया का बादशाह है। अत: उसके मातहत रह कर काम करने में ही हमारी भलाई है।

मुस्लिम लीग के पत्र डॉन में लिखे खुले पत्र के बारे में गांधी जी ने कहा:——'डॉन' नाम का एक अंग्रेजी अखबार दिल्ली से निकलता है। वह जिना साहब का अखबार है और उसमें रोज कुछ-न-कुछ गालियां आ ही जाती हैं। मुझको भी आती हैं। मैं तो उनको देखकर केवल हँस देता हूं। मगर आज तो उसके एडिटर ने मेरे नाम से एक खत छापा है। खासा लिखा हुआ है। वे कहते हैं कि आप जिना साहब से जो चीख-चीख कर कहते हैं कि आपका इम्तिहान होने वाला है, सो यह सब बन्द करदें।

क्या मैं एडिटर साहब से पूछ सकता हूं कि कराची से, जहां १२ कि पाकिस्तान की राजधानी बन रही है, जो हिन्दू लोग दुःखी और डर के मारे भाग रहे हैं उसकी वजह क्या है ? क्यों वे डरे हुए हैं ? सिन्ध के हिन्दू बहुत आला दर्जे के व्यापारी हैं। वे क्यों बम्बई, मद्रास या किसी और जगह भाग कर जा रहे हैं ? इससे सिन्ध की ही हानि होगी, उनकी नहीं। मैं जानता हूं कि वे जहां भी जायेंगे वहीं पैसे पैदा करेंगे। वे कहीं भी खोने वाले नहीं हैं। दक्षिण अमरीका तक में सिन्धी मिल जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां सिन्धी न रहते हों। दक्षिण अफ्रीका में तो उन्होंने अच्छा पैसा पैदा किया है और जब मैं वहां था तब मुझे भी वे गरीब लोगों के हित में खर्च करने के लिए खूब पैसा देते थे। परन्तु उनमें एक अवगुण यह है कि वे शराब पीते हैं। उसे वे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उसके छोड़ने से वे मर भी जाते हैं।

'डॉन' ने यह भी लिखा है कि आप जिना साहब या अन्य लीगी नेताओं को ही क्यों कहते हैं? आज यू० पी० में क्या हो रहा है ? वह तो आपका अपना सूबा है। इसपर गान्धीजी ने कहा कि सिंध भी वैसा ही मेरा सूबा है जैसा यू० पी०। मैं तो सारे हिन्दुस्तान को जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है अपना मानता हूँ। पाकिस्तान का भी बाशिन्दा मैं अपने को कहता हूं। इसलिए नहीं कि मैं वहां कोई हकदार बनना चाहता हूं। मुझे कोई हाकिमी नहीं चाहिए। मैं

तो केवल पेट के लिए रोटी चाहता हूं और वह ईश्वर मुझको दे देता है। मुझे तो यू० पी० के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसके अलावा मैंने किसी पर इल्जाम तो लगाया ही नहीं। एडिटर बड़े आदमी हैं। वे अगर ऐसा समझते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूं वह सही नहीं है तो उनको क्या पर्वाह पड़ी थी। मेरे जैसे कितने ही कहते फिरते हैं। मगर यू० पी० के बारे में पन्तजी से मेरी बातें हुई हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जितना हमसे होता है हम मुसलमानों को बर्दाश्त करते हैं। मगर हम हर जगह तो नहीं पहुंच सकते। मुस्लिम लीगियों ने जब रोज हिन्दुओं को गालियां देने और उनको सताने पर कमर कस ली हो तब कहीं-कहीं हिन्दू भी बिगड़ जाते हैं। हम जहां तक होता है सबके साथ इन्साफ करते हैं। पन्तजी ने यह कहा है कि गढ़मुक्तेश्वर में हिन्दुओं ने जो किया वह अच्छा नहीं किया। और अखबारी समाचारों के अनुसार तो यू० पी० के मुस्लिम लीगी नेताओं तक ने पन्त मन्त्रिमंडल के काम की सराहना की है।

परन्तु, मैं 'डॉन' के एडिटर साहब को यह कहना चाहता हूं कि अगर यह मान भी लिया जाय कि उनकी सब बातें ठीक हैं और पन्तजी ने जो कुछ कहा वह कोई वेद वाक्य नहीं है, तो भी कोई वजह नहीं कि अगर यू० पी० में एक मुसलमान का गला कटता है तो उसके बदले में सिन्ध या पंजाब में दस हिन्दुओं के गले काटे जायं। मैं तो यह देखने के लिए जिन्दा रहना चाहता हूं कि हम इस मजहबी खुराफात को बिल्कुल भूल जायें। हमने चाहे किसी भी मजहब में जन्म लिया हो, मगर कर्म से हम हिन्दुस्तानी होने चाहियें। जब यह हो जायगा तभी हम अपने देश की आजादी कायम रख सकेंगे।

'डॉन' के एडिटर अगर सचमुच इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि इस्लाम यह तरीका नहीं सिखलाता। जहां तक जिना साहब से कहने का सम्बन्ध है, मैं तो लार्ड माउण्टबेटन और जवाहरलालजी को भी कहता रहता हूं। जवाहरलालजी के कहने और करने में अगर फर्क हो तो वे भले ही अपने घर के

पंडित बने रहें, मेरे लिए तो वे बदमाश हैं। ऐसा कहकर मैं जवाहरलालजी को कोई गाली थोड़े ही देता हूं। मगर 'डॉन' के एडीटर से मैं इतना अवश्य कहूंगा कि उनकी कलम में जो जहर है उसको वे छोड़ दें। राष्ट्रीय पत्रों में भी कभी-कभी भली-बुरी बातें आ जाती हैं। पर अगर सब मिलकर आपस-आपस के झगड़े की खबरें न छापें, तो मैं कहूंगा कि हमने एक बड़ा भारी काम कर लिया।

: ३२ :

हम शराफत क्यों छोड़ें ?

नई दिल्ली, १९ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा:--

"आज वर्किंग कमेटी की बैठक यहां हुई थी, परन्तु उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई जो मैं आपको बता सकूं, अर्थात् उसमें कोई बता सकने लायक बात ही नहीं हुई। एक बात की ओर मैं आज आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह कि कांग्रेसी लोगों में आज ऐसी बेसबरी या इसे गन्दगी कहनी चाहिये, पैदा होगई है कि किसी न किसी तरह कांग्रेस की मार्फत ऊपर चले जायं। अगर कांग्रेस केवल मुट्ठी भर लोगों की होती और वे ऐसी इच्छा रखते, तब तो बात समझ में आने लायक थी। परन्तु, कांग्रेस में तो करोड़ों की तादाद में लोग हैं और यदि ये सब-के-सब ऐसी इच्छा करें तो हकूमत तो मर जायगी। नौकरी दो ही तरह के लोग किया करते हैं। एक तो वे जो और सब तरफ से लाचार हो जायें और दूसरे वे जो अपने सब स्वार्थ छोड़ कर सेवा की दृष्टि से ऐसा करें। चूंकि कांग्रेस के हाथ में शासन की बागडोर आ गई है, इसलिए करोड़ों रुपये की आय और व्यय का हक भी उसको मिल गया है। अगर सब कांग्रेसी यह समझ लें कि कांग्रेस जो खर्च करे उसमें से उनके पल्ले भी कुछ पड़ना चाहिए और कर-दाता यह मान बैठें कि चूंकि कांग्रेस के हाथ में सत्ता है इसलिये अब कर देने की कोई जरूरत नहीं, तब कोई काम नहीं चल सकेगा।

इसका मतलब तो यह हुआ कि हम अपना धर्म तो भूल गये और अधर्म को अपना रहे हैं।

आजकल मेरे पास तार-पर-तार आ रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि मेरे पास ही ये तार आ रहे हैं। जिनके हाथों में हकूमत है उनके पास तो और भी अधिक तार आ रहे होंगे। उनमें लिखा है कि हिंदुस्तान में गो-बध रुकना चाहिये और वह भी ऐसी गायों का जो दूध देती हैं तथा हल में चलाने लायक बैलों का। तार भेजने वालों को शायद यह मालूम नहीं है कि मैं जब दक्षिण अफ्रीका में था तब भी गाय का पुजारी और उसका भक्त था। परन्तु जिसकी भक्ति हम करते हैं उसे हमारी रक्षा करनी चाहिये या हम उसकी रक्षा करें? मगर हकीकत तो यह है कि जो अपने को गो-रक्षक कहते हैं, वही गो-भक्षक हैं। वे यही समझ कर मुझे तार देते हैं कि मैं जवाहरलाल या सरदार से ऐसा कानून बनाने के लिए कहूं। परन्तु मैं उनसे नहीं कहूंगा। मैं तो इन गो-रक्षकों से कहूंगा कि आप क्यों व्यर्थ इतना पैसा तारों पर खर्च करते हैं? उस पैसे को गायों पर ही क्यों न खर्च करें? अगर आप नहीं खर्च कर सकते तो उसे मेरे पास भेज दें। मैं तो यह कहूंगा कि गाय की पूजा करने वाले भी हम हैं और उस का बध करने वाले भी हमीं हैं। गायों को हम इतना कम चराते हैं और बैलों पर इतना अधिक वजन लादते हैं कि उनकी हड्डी ही हड्डी देखने में आती है। लकड़ी में भी चोभनी लगा लेते हैं और जब बैल नहीं चलता तब उसके बदन में चुभो देते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनको क्या हक यह कहने का कि गोकशी बन्द होनी चाहिये। आखिर गो-धन तो सारा हिंदुओं के ही घरों में भरा है। वे क्यों कसाइयों के हाथ उन्हें बेच देते हैं? हिंदू तो कम दूध देने वाली गाय को खरीदेगा नहीं, चाहे गौशाला वाले भले ही खरीद लें, क्योंकि उनके पास तो धर्मादे का पैसा होता है। तब बाकी गायें बूचड़खाने में ही जाती हैं। इसके अलावा आज कोई जमाना तो बदल नहीं गया है। हम जो थे वही आज हैं और वही १५ अगस्त के बाद रहने वाले हैं। जैसी दुर्बल

गायें में आज हिन्दुस्तान में देखता हूं वैसी मैंने दुनिया के किसी हिस्से में नहीं देखी। हम तो यहां धर्म के नाम पर ही अधर्म कर रहे हैं। सरदार या जवाहरलाल कानून बनाकर इस गोकशी को बन्द कर दें ऐसी चीज नहीं है। कानून तो लड़ाई के दिनों में भी बनाये गये थे, क्योंकि दूध तो आखिर उनको भी चाहिये था। उस वक्त भी दूध देने वाली गायों का वध बन्द था और यह सब जगह हो सकता है। यह तो पाकिस्तान में भी होने वाला है, क्योंकि दूध तो उनको भी पीने को चाहिए।

मुझसे कुछ प्रश्न पूछे गये हैं जिनके जवाब इस प्रकार हैं—

प्रश्न यह है—अभी हमने सुना है कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा होने वाला है उसके एक कोने में यूनियन जैक होगा। यह केवल सुनी हुई और अखबारों की पढ़ी हुई बात है। अगर यह सच है तो हम उस झंडे को फाड़ डालेंगे और उसके पीछे अपनी जान तक दे देंगे।

अगर हमारे झंडे के एक कोने में यूनियन जेक लगाया गया है तो क्या गुनाह किया ? गुनाह अगर किया होगा तो अंग्रेजों ने किया। उनके झंडे का क्या दोष है ? अंग्रेजों की खूबी भी तो आप देखिए। वे स्वेच्छा से आपके हाथ में बागडोर देकर जा रहे हैं। कितनी खूबी की बात है कि इतना बड़ा बिल जिसमें सारी सल्तनत को उन्होंने फेंक दिया, पार्लमेंट ने पास करने में एक सप्ताह भी नहीं लगाया। एक जमाना वह था जबकि हम लोगों के मिन्नतें करते रहने पर भी छोटे-से बिल पास होने में भी एक-एक साल लग जाता था। उस बिल में उन्होंने कोई सफाई की है या नहीं यह तो बाद में तजुर्बे से ही पता चलेगा। मगर यूनियन जैक रखने में तो हमारी शराफत ही थी। हम अपने सबसे बड़े दरबान के तौर पर लार्ड माउण्टबेटन को यहां रखते हैं। वह पहले इंगलेंड के बादशाह का नौकर होता था मगर अब हमारा नौकर है। जब हम उसको अपनी नौकरी में रखते हैं, तब एक कोने में उसका झंडा भी रख लेते हैं तो उससे हिंदुस्तान के साथ कोई बेवफाई नहीं होती।

पर यह तो मैंने आपको अपनी राय बताई है, मगर मैंने आज यह सुन लिया है कि यूनियन जैक की जो बात थी वह हमारे झंडे में नहीं होने वाली है। मुझको तो इस बात का दर्द होता है कि कांग्रेसी नेताओंने इतनी उदारता क्यों नहीं दिखाई? हम उससे अंग्रेजों के साथ अपनी मित्रता का सबूत देते। आज अगर मेरी वैसी ही चलती जैसी पहले चलती थी तो मैं उन लोगों को डांटने वाला था। आखिर हम लोग अपनी इन्सानियत और शराफत को क्यों छोड़ें?

: ३२ :

अभी सच्ची आज़ादी नहीं आई

नई दिल्ली, २० जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा—

मुझको कुछ लोग ऐसा सुनाते हैं और सुनाने का उनको हक़ भी है कि मैं आजकल ऐसी बातें कहता हूं जिससे लोगों का उत्साह नहीं बढ़ता। वे कहते हैं कि जिस आज़ादी के लिए आप लड़ रहे थे वह तो मिल गई और राजनीतिक आज़ादी के साथ-ही साथ आर्थिक आज़ादी भी मिल जायगी। यह सब कुछ होने पर भी मैं आज़ादी के दिन, अर्थात १५ अगस्त को खुशी नहीं मना सकता। मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता इसलिए मैं जाहिरा यह बात कह रहा हूं। मगर मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि आप भी खुशी न मनाएं। आखिर सब काम मेरी मर्जी के मुताबिक थोड़े ही होते हैं। मैं तो हिन्दुस्तान के टुकड़े करना भी नहीं चाहता था, मगर वे होकर रहे। जब वे हो गये तो उसके लिए रोना क्या? अगर इससे भी बुरी चीज हो जाती तब भी मैं नहीं रोता। हिंदुस्तान के टुकड़े होने का जो दुःख आपको है उससे अधिक मुझको होगा। मेरी सारी जिन्दगी लड़ाई लड़ने में बीती है या यह कहिये कि मेरा सारा जीवन करीब-करीब बागी रहा है। तब ऐसे आदमी को रोना कैसे आ सकता है? जब नोआखाली में गया तब मैंने वहां रोते हुओं के आंसू सुखा दिये। मैंने उनको बताया कि जो लोग मर गये उनके लिए रोना क्या? परन्तु जिन लोगों के हाथों में हमने बागडोर सौंपी है वे बहुत बड़े आदमी हैं। वे जब कहते हैं कि खुशी मनाई जानी

चाहिये तब आपको वह मनानी ही चाहिए। यह न सोचें कि गांधी क्यों नहीं खुशी मनाता। अगर कोई न मनाना चाहे तो कांग्रेस किसी को मजबूर तो करती नहीं। परन्तु मेरी अपनी यह राय है कि वह दिन खुशी मनाने के लिए नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि अंग्रेज यहां से जायेंगे नहीं। १५ अगस्त तक तो बहुत से गोरे अफसर यह देश छोड़ चुकेंगे। जो रहेंगे भी तो वे हमारे गुमाश्ते बनकर रहेंगे। अब उनकी भी नियुक्ति लन्दन से न होकर यहां से हुआ करेगी।

मगर हकीकत तो यह है कि आज जो आज़ादी हमें मिली है वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को आपस में लड़ाई लड़ने का सामान भी साथ देती है। तब हम उस दिन दिया-बत्ती क्या जलायें? मैं तो उस दिन आजादी मिली समझूंगा जबकि हिंदू और मुसलमानों के दिलों की सफाई हो जायगी। अभी पंजाब के कुछ मुस्लिम-लीगी भाइयों ने यह धमकी दी है कि अगर सीमा-कमीशन ने अपना फैसला जैसा हम चाहते हैं, वैसा न दिया तो हम लड़कर लेंगे। सिक्ख भाई भी इसी तरह की धमकियां दे रहे हैं। जब हम सब किसी को पंच मान लेते हैं तो वह जो फैसला दे उसे कबूल कर लेना चाहिए। 'लड़ के लेंगे पाकिस्तान' और 'लड़के लेंगे सिक्खिस्तान'—यह चीज हममें से कब जाने वाली है। मैं तो केवल एक ही लड़ाई जानता हूं और वह सत्याग्रह की लड़ाई है। उस लड़ाई से आत्म-शुद्धि होती है। वह लड़ाई अगर दुनिया में हमेशा चलती रहे तो अच्छा ही है। मैं अपने हिंदू, सिक्ख और मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि जब हमने सीमा-कमीशन को अपना पंच मान लिया तो उसका फैसला मानना उनका धर्म हो जाता है। मगर आज की आबहवा से मुझे जब वह सुगन्धि नहीं मिलती तब खुशी किस बात की? अंग्रेजों का यहां से चले जाना ही मेरे लिए काफी नहीं है।

बर्मा की अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष जनरल यू आंगसांग और उनके चार अन्य सहयोगियों की हत्या पर समवेदना प्रकट करते हुए गांधीजी ने कहा कि ब्रह्मदेश भी हिंदुस्तान की तरह

आज़ाद हो रहा है। वहां के नेता जनरल यू आंग-सांग ने आधुनिक बर्मा को जन्म दिया और उसे आज़ादी के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया। वह सत्याग्रही नहीं था तो उससे क्या हुआ? वह एक बहादुर लड़ाका था और उसीके फलस्वरूप आज बर्मा आजाद होने जा रहा है। एक सशस्त्र गिरोह ने उनको और उनके चार अन्य साथियों को कत्ल कर दिया, यह कोई छोटी बात नहीं है। हम चाहे उनसे कितनी ही दूर हों, मगर हमारे लिए यह बड़े रंज की बात है। अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो दुनिया का क्या हाल होगा? हत्यारे सचमुच लुटेरे थे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं बर्मा में काफी रहा हूं। रंगून और मांडले आदि स्थान सब मेरे देखे हुए हैं। वहां बुद्ध धर्म चलता है। बर्मा के लोग अधिकांश बुद्ध-धर्म को मानते हैं। जहां बुद्ध-धर्म प्रचलित है वहां ऐसे खून-खच्चर क्यों? इन हत्याओं में लुटेरूपन नहीं, बल्कि उनके पीछे कुछ पार्टी बाजी रही है। इस तरह की लड़ाइयों ने दुनिया का सत्यानाश कर दिया है। इस तरह से तो जो हमारे मुखालिफ हैं वे आकर हमारा खून करने लगें तो कैसे काम चलेगा। बर्मा जब आज़ादी के दर्वाजे में दाखिल हो गया है तब ऐसा होना बहुत दुखदायी बात है। हम ऐसे जाहिल क्यों बन जाते हैं?

यह आशा मुझे है कि हिन्दुस्तान इससे सबक लेगा क्योंकि यह न केवल बर्मा के लिए बल्कि सारे एशिया और संसार के लिए एक दु:खद घटना हुई है। हम सब यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, बर्मा के जो लोग हैं वे हमारी ही तरह से आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं, उनको तू इस दुख में सान्त्वना दे और मृत व्यक्तियों के परिवारों को शोक सहन करने की शक्ति दे। जिन लोगों ने खून किया है उनके दिलों की भी तब्दीली कर।

गांधीजी ने फिर अपने प्रवचन के अन्त में 'डॉन' अखबार का जिक्र करते हुए कहा कि उसके एडीटर ने आज के अंक में मेरे दो सुझाव मान लिये हैं। यह पढ़कर मुझको अच्छा लगा। वे कहते हैं कि हम गांधी को इतमीनान दिलाते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू और मुसल-

मान सब आपस में दोस्ताना तौर पर रहेंगे। उन्होंने एक बात और लिखी है। वे कहते हैं कि अखबार नवीसों की एक कमेटी बनादें। वह कमेटी सांप्रदायिक समाचारों की जांच करे और उसके बाद उसे प्रकाशित करे। मुझको संबोधन करते हुए वे कहते है कि तू भी तो अखबार नवीस है उस कमेटी का अध्यक्ष बनजा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं तो लाचार हूं। मेरे पास वक्त नहीं है। दूसरे मैं इस काम के लायक भी नहीं रह गया हूं। इसके अलावा मैं आज यहां और कल वहां, मैं कैसे उसकी सदारत कर सकता हूं ? अगर वे दिल से कुछ करना चाहते हैं तो वे और सम्पादकों से मिलकर कर सकते हैं।

मैं अन्त में फिर कहता हूं कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में रहने वाले अल्प-संख्यक यह कह देंगे हम वहां बहुत खुश हैं, तब मैं कहूंगा कि अब हमारे पास सच्ची आज़ादी आ गई है और हमको उसकी खुशियां मनानी चाहिए।

: ३४ :

यह आज़ादी कैसे मनाएं ?

नई दिल्ली, २१ जुलाई १९४७

गांधीजी का आज मौन-दिवस था, अतः उनका निम्नलिखित संदेश पढ़कर सुनाया गया:—

पाकिस्तान निवासी एक भाई लिखते हैं—'आप लोग पन्द्रह अगस्त का दिन मनाने की बातें कर रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि उसे हम हिन्दू कैसे मनावें ? हम तो सोच रहे हैं कि उस रोज हमारे हाल कैसे होंगे और हमें क्या करना होगा ? इस बारे में कुछ कहोगे ? हमारे लिए तो वह दिन मुसीबत का सामना करने का होगा, उत्सव मनाने का हरगिज नहीं। यहां के मुस्लिम आज से ही हमें डरा रहे हैं। क्या जाने हिन्दुस्तान के मुस्लिम क्या समझते होंगे ? क्या वे भी भयभीत नहीं होंगे ? हम लोगों को यहां तक डर लग रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों को मुस्लिम बनाने का यत्न किया जायगा। आप कहेंगे कि धर्म की रक्षा सब अपने आप करें। यह संन्यासी के लिए भले ही सच्चा हो, गृहस्थी के लिए नहीं।

जिन्ना साहब अब तो पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल बन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हरेक गैर-मुस्लिम के प्रति ऐसा ही वर्त्ताव होगा जैसा मुस्लिम के प्रति। मेरी सलाह यह है कि हम उनके लफ्जों पर भरोसा रखें और मानें कि वहां गैर-मुस्लिमों के प्रति कुछ भी बुरा बर्त्ताव नहीं होगा और न मुसलमानों के प्रति हिन्दुस्तान में। मेरा खयाल तो ऐसा भी है कि अब जब दो राज होते हैं तो हिन्दुस्तान को पाकिस्तान से जवाब मांगना होगा।

मैं इतना जरूर मानता हूं कि १५ अगस्त किसी तरह उत्सव मनाने का दिन नहीं है, वह दिन प्रार्थना का और अन्तरविचार का है। लेकिन अगर दोनों समझ जायं तो दोनों को आज से दोस्त बनने की तजवीज करनी चाहिए। या तो १५ अगस्त को सब भाई-भाई मिलकर खुशी मनावें या बिलकुल नहीं। आजादी की खुशी मनाने का दिन ही तब हो सकता है जब हम सच्चे दिल से दोस्त बनें। लेकिन यह तो मेरा विचार है और इस विचार में मुझे कोई साथ देने वाला नहीं है।

फिर वह भाई पूछते हैं कि कष्ट के मारे अगर सब या बहुत लोग पाकिस्तान से निकल जायं तो उनको हिन्दुस्तान में आश्रय मिलेगा या नहीं? मैं तो मानता हूं कि ऐसे लोगों को जरूर आश्रय मिलना चाहिए। लेकिन धनिक लोग अगर पुराने ढंग से रहना चाहें तो मुसीबत होगी। ऐसे लोगों को जगह मिलनी चाहिए और काम के बदले दाम भी। मेरी उम्मीद तो यही रहेगी कि कोई गैर-मुस्लिम डर के मारे पाकिस्तान का अपना वतन नहीं छोड़ेगा और न हिन्दुस्तान का कोई मुस्लिम हिन्दुस्तान का अपना वतन छोड़ेगा।

वह भाई यह भी पूछते हैं कि जो जमीन व मकान पाकिस्तान में छूटेंगे उनका क्या होगा?

मैंने तो कहा है कि जमीन व मकान का बाजार-दाम पाकिस्तानी सरकार को देना चाहिए। रिवाज तो यह भी है कि ऐसे कामों में दूसरी सरकार दखल भी देती है। यहां तो हिन्दुस्तान की सरकार होगी। लेकिन मैं क्यों मानूं कि मामला वहां तक जायगा। पाकिस्तान सरकार का फर्ज होगा कि ऐसे लोगों को अपनी जमीन व मकान का बाजार-दाम दे।

वही भाई फिर पूछते हैं कि आप तो अपने को व्यावहारिक आदर्शवादी मानते हैं। आजकल जो चल रहा है सो तो वहशियाना काम है। आततायी के प्रति अहिंसा चल सकती है क्या? यदि हां तो कैसे?

मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं अपने आदर्श को इस तरह चलाऊं

कि वह काम में आ सके, चाहे भले ही मैं हमेशा सफल न बनूं। आततायी किसे कहें? मनु महाराज ने जिनको आततायी माना है उन सबका वध आज नहीं होता है। आज तो वध मात्र का प्रतिबन्ध करने की चेष्टा होती है। फिर सुधारक लोग यहां तक जाते हैं कि दंड-नीति हटनी चाहिए। आततायी भी बीमार माने जायं और जैसे बीमारों का इलाज होता है वैसे इन आततायियों के लिए भी अस्पताल बनाया जाय। कहने का मतलब इतना ही है कि शास्त्र के नाम से जो चलता है सबको शास्त्र न माना जाय और शास्त्र वही माना जाय जिसमें कम-ओ-बेश हमेशा होता रहे। युग-युग में नीति बदलती रहती है। जिसमें फर्क नहीं हो सकते, ऐसे कानून बहुत कम होते हैं। और आततायी को दंड देने का काम हरेक का कभी नहीं होता है। यह काम पंचायत का व हुकूमत का होता है। हुकूमत कानून बनाती है और उसके मुताबिक इसाफ करने के लिए अदालत बनती है। ऐसा न हो तो हम सबके आततायी बनने का डर होता है। बर्मा में जो भयानक खून हुए वे भयानक थे। लेकिन अब हम समझे कि वे सियासी थे। मुझे यकीन है कि जिनका उन्होंने खून किया वे उनके हिसाब से आततायी थे। हमारे आतंकवादी ने कहा नहीं माना था। ऐसा उन्होंने सच्चे दिल से मुझको कहा है कि जिनका खून उन्होंने किया वे आततायी थे। अपने को उन्होंने कभी आततायी नहीं माना था। इसी कारण मैं कहूंगा कि जो आदमी अपने हाथों में कानून लेता है वह गुनहगार बनता है। वह लोगों की हिंसा करता है। अहिंसा से अगर छूट हो सकती है तो वह सिर्फ लोगों की बनाई हुई पंचायत से। आज जो जगत में हो रहा है वह अत्याचार है, आततायीपन है।

: ३५ :

भगवान् आज़ादी की मिठास चखने का मौका दें

नई दिल्ली, २२ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा—

आज मेरे पास एक खत आया है। इस प्रकार की जो चीजें मेरे पास आती हैं उनका खुलासा मैं यहां कर देता हूं। खत में लिखा है कि "आज कल आप लार्ड माउन्ट बैटन को बहुत बढ़ा रहे हैं। वे कोई गलती ही नही कर सकते, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि आपने दूसरी राउण्ड टेबुल कान्फ्रेंस में चीखचीख कर यह कहा था कि जब हिन्दुस्तान को आज़ादी मिल जायगी तब वायसराय साहब का जो घर है उसमें हरिजन बालक रहेंगे या वहां अस्पताल खोला जायगा। आज आपका इस तरह से लार्ड माउन्टबैटन को चढ़ाना उस चीज से मेल नहीं खाता।"

मैं कभी किसी को नहीं चढ़ाता। न तो मुझे उनसे कुछ चाहिये और न उनको मुझसे। मुझको तो खिताब भी नहीं चाहिये, और दूसरी चीज उनके पास देने के लिए है ही क्या। मुझ पर इलजाम तो यह लगाया जाता है कि मैं अपने आदमियों को केवल डांटता ही रहता हूं और उनकी कभी तारीफ नहीं करता। जहां तक लार्ड माउण्टबैटन का सम्बन्ध है अभी तो उसी घर में— घर तो क्या एक किला कहना चाहिए— उनको रहना चाहिए। अगर मैं उनको बाहर घसीट सकूं तो मैं उनको अपने पास ही रखूं। मगर उनको वहां राजाओं से मिलना है और भूतकाल की गलतियों को उन्हें दुरुस्त करना है। उन

गलतियों से जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उसको उन्हें मिटाना है। गवर्नर-जनरल भी तो उनको इसीलिये बनाया गया है कि वह बहुत तेजी से काम करने वाले हैं। उनको यह पद देने का मतलब उनकी खुशामद करना नहीं है। और फिर क्या जवाहरलालजी और सरदार पटेल किसी की खुशामद करने वाले थे ? इसमें मुझे कोई गलती नहीं दिखाई देती। अगर वह बदमाश ही हैं तो उसका नतीजा उनको मिलने वाला है। मेरे ६० वर्षों का अनुभव तो यही बताता है कि जो किसी के साथ धोखा करता है, वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह केवल अपना ही बुरा करता है। मगर अभी मैं नहीं जानता कि लार्ड माउण्ट बैटन साहब उसी किले में रहेंगे या कहीं और, या वहां अस्पताल बनेगा। उस बारे में तो जवाहरलालजी और सरदार को ही मालूम होगा। मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं।

एक दूसरे भाई लिखते हैं कि लश्कर का जो विभाजन हो रहा है और उसमें जो ब्रिटिश अफसर रखे जायंगे उससे क्या तुम सहमत हो ? इस भाई को पहले तो मुझसे यही पूछना चाहिये कि जो लश्कर रहने वाला है, क्या उससे मैं सहमत हूं। लश्कर को रखने में, चाहे वह कैसा और कितना ही क्यों न हो, मेरी मदद हो ही नहीं सकती। मगर दुःख की बात तो यह है कि आज हम पुराने जैसे नहीं रह गए। पुराना जमाना बदल कर अब नया शुरू हो गया है। मैंने तो यह माना था कि हमारे लोग सब अहिंसक हैं। सबसे मेरा मतलब है एक बड़े पैमाने पर।

परन्तु अब ३२ वर्ष के बाद मेरी आंखें खुली हैं। मैं देखता हूं कि अब तक जो चलती थी वह अहिंसा नहीं थी, बल्कि मन्द-विरोध था। मन्द-विरोध वह करता है जिसके हाथ में हथियार नहीं होता। हम लाचारी में अहिंसक बने हुए थे, मगर हमारे दिलों में तो हिंसा भरी हुई थी। अब जब अंग्रेज यहां से हट रहे हैं तो हम उस हिंसा को आपस में लड़कर खर्च कर रहे हैं। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि मेरे दिल में कभी हिंसा नहीं थी। मगर जो दूसरे लोग हैं

उनका मैं क्या करूं। वे कहते हैं कि अंग्रेजों के वक्त हमने अहिंसा रखी। हम अब भी अहिंसा रखें यह तू किस तरह से कहता है। इसमें दोष मेरा ही है। ३२ वर्ष तक का जो शिक्षण था वह दोषपूर्ण था। मगर यदि वे भाई मुझसे पूछें तो मैं आज भी यही कहूंगा कि लश्कर रखने में मैं शरीक नहीं हूं। क्या हिन्दुस्तान में आखिर फौजी-राज्य-रूल होना है ? बंगाल, पंजाब, बिहार जहां देखो वहीं से लश्कर की मांग आती है। कहीं हिन्दुओं को अपनी रक्षा के लिये लश्कर चाहिए तो कहीं मुसलमानों को। ऐसे बेहाल हैं हम आज। इसलिए लश्कर का किस तरह से बटवारा होता है या नहीं होता इसका मुझे कुछ पता नहीं। जिस चीज में मेरी दिलचस्पी ही नहीं उसमें मैं क्यों अपना वक्त खर्च करूं।

आज चार बहनें मुझको इस बात के लिए मुबारकबाद देने आई थीं कि तिरंगा झण्डा जिसमें चर्खे का चक्र मौजूद है, अब सारे भारत का राष्ट्रीय झंडा बन गया है। मैं तो उसमें अपने लिए कोई मुबारकबादी नहीं देखता हूं। मुझे बताया गया है कि उसमें चर्खे के स्थान पर एक चक्र है। यदि वह चक्र चर्खे का ही है तब तो खैर है और अगर नहीं है तो भी मुझे उसकी क्या पड़ी है। अगर उन्होंने चर्खे को फेंक दिया तो फेंक दें, मेरे दिल में और मेरे हाथों में तो वह रहेगा ही।

एक भाई ने बताया कि चर्खा उसमें है और दूसरे कहते हैं कि चर्खा तो अब खत्म हुआ और तेरे जिन्दा रहते हुए ही वह खत्म हो गया। मैं नहीं जानता कि चर्खा है या खत्म हो गया। मगर इतना जरूर जानता हूं कि अगर चर्खा झंडे में लगा भी दिया जाता और वह लोगों के दिलों में नहीं है तो मेरी दृष्टि से झंडा और चर्खा दोनों जलाने लायक हैं। परन्तु अगर चर्खा झंडे में नहीं है और लोगों के दिलों में है तो मुझे झंडे में चर्खा न लगाने की कोई चिन्ता नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि सारे देश का एक झंडा हो और हम सब उसको सलामी दें। मुझको यह सुनकर अच्छा लगा कि आज विधान-परिषद् में चौधरी खलीकुज्जमा और मोहम्मद सादुल्ला दोनों ने इस झंडे

को सलामी दी और यह भी कहा कि यूनियन का जो झंडा होगा उसके प्रति वे वफादार रहेंगे। अगर दिल से उन्होंने ऐसा किया है तो यह अच्छा लक्षण है।

लेकिन सिलहट से जो तार आया है वह बहुत खतरनाक है। वहां जनमत-संग्रह तो हो गया मगर त्रास अभी तक चल रहा है। क्यों वहां के मुसलमान अपना मिजाज खो बैठे हैं? वहां जो राष्ट्रीय मुसल-मान हैं उनको हलाक किया जा रहा है। तार में लिखा है कि यहां से किसी को देखने के लिए तो भेज दो। मैं किसको भेज सकता हूं। या तो कृपलानी जी भेजें या जवाहरलालजी भेज सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे यहां से अब नोआखाली चले जाना चाहिए। सिलहट तो उसके नजदीक हीं है। मगर कैसे जाऊं, मैं तो यहां कैद पड़ा हूं। मैं उल्लंघन करके जा भी नहीं सकता।

मैं मानता हूं कि पत्र में जो लिखा है उसमें एक शब्द भी झूठ नहीं है। उसमें भेजने वालों ने अपने दस्तखत भी दिये हुए हैं। यह भी बताया गया है कि जनमत के बाद एक हरिजन बस्ती को भी मुसलमानों ने जला दिया। यह बड़े शर्म की बात है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि खलिक साहब और सादुल्ला यूनियन के झण्डे को सलामी करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये घटनाएं हो रही हैं।

कराची से एक और खत आया है जिसमें एक धनिक आदमी लिखते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया है। वह लिखते हैं कि अब मैं रहूंगा कहां? मैं तो जिन्ना साहब या वहां के और लोगों से कहता हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़े आश्चर्य की बात है।

ऐसे मौके पर तो हमें खुशियां मनाने की बजाय यह प्रार्थना करनी चाहिये कि हे ईश्वर, हमको इस झंझट में से छुड़ा दे और आजादी में जो मिठास होती है उसको चखने का मौका दे। उस आजादी का जिसका हम अब तक ख्वाब लेते रहे हैं, हमें स्वाद तो लेने दिया जाय? वास्तव में यह प्रार्थना करने का ही मौका है।

: ३६ :

हमारा आलस्य और स्वार्थ

नई दिल्ली, २३ जुलाई १९४७

आज प्रार्थना-सभा में किसी व्यक्ति ने गांधीजी को लिखकर यह पूछा कि क्या आपने ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया ? इसका उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा—हमारे लोग ऐसे भोले दीखते हैं कि किसी के इतना कह देने पर ही कि वह आदमी महात्मा है, उसे महात्मा मान लेते हैं। हमारे देश में महात्मा बनना तो आसान बात हो गई है। मैंने तो साक्षात्कार किया नहीं है; अगर कर लेता तो आपके सामने बोलने की कोई जरूरत नहीं रहती। मैंने तो ऐसी गलती की कि अब तक जो चीज चलती रही उसे अहिंसा समझता रहा। जब ईश्वर को किसी से काम लेना होता है तो वह उसको मूर्ख बना देता है। मैं अभी तक अंधा बना रहा। हमारे दिलों में हिंसा भरी हुई थी और उसी का आज यह नतीजा है कि हम आपस में लड़े और लड़े भी बहुत वहशियाना तौर से।

आज जो भजन गाया गया है—'साधो मन का मान त्यागो'-उसका मतलब है कि यदि मनुष्य काम और क्रोध को छोड़ दे तो उसको निर्वाण मिल सकता है। उसके मानी रामराज्य भी हैं। मगर वह रामराज्य ऐसा नहीं जैसा कि आज हमें मिल रहा है। आज तो हम रामराज्य से करोड़ों मील दूर पड़े हैं। केवल अंग्रेजों के चले जाने से ही रामराज्य नहीं मिल जाता। आज तो रामराज्य की मेरे नजदीक कोई निशानी नहीं है।

आज तो मैं नमक के बारे में कहना चाहता था। कुछ लोग कहते हैं कि कभी तो तुमने नमक के लिए डांडी कूच तक किया था और आज नमक नहीं मिलता और अगर मिलता है तो उसके लिए बड़ा दाम देना पड़ता है। मुझको यह सब सुनकर अपना सिर झुकाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि नमक पर से कर तो उठ गया मगर हमको तो इसका पता नहीं चलता। नमक पर कोई राशन तो नहीं है, मगर चोर बाजार तो है। व्यापारी लोग ऐसे बदमाश हैं कि वे नमक पर भी नफा निकालते हैं। मगर हम लोग भी आलसी बन गये हैं। देहातों में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां लोग मुफ्त-बराबर नमक पैदा कर सकते हैं। इस बात की छूट तो उस वक्त भी मिल गई थी जब कि मेरा लार्ड इरविन से समझौता हुआ था। अगर हम आलसी न बनें तो नमक अच्छा मिले और सस्ता भी। आज जो नमक बाजार में मिलता है वह कितना गन्दा होता है। इसका कारण यही है कि लोग मेहनत नहीं करते। जेल में मुझे मेरे हिस्से का जो नमक मिलता था उसको भी मैं स्वयं साफ कर लेता था। हम आज इतने स्वार्थी हो गए हैं कि लोगों को सस्ते भाव पर नमक भी खाने के लिए नहीं दे सकते। जहां गरीबों को नमक भी खाने को नहीं मिलेगा, उसे हम रामराज्य कैसे मान लेंगे। नमक की केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं पशुओं के लिए भी जरूरत होती है। डर तो इस बात का भी है कि चूंकि हिन्दुस्तान के दो हिस्से हो गए हैं और दोनों को पैसे की जरूरत होगी इसलिए वे नमक पर कर न बढ़ा दें। मगर क्या वे इस कदर पागल बन जायंगे कि लोगों को नमक भी खाने को नहीं देंगे? अगर ऐसा हुआ तो निश्चय ही हमें यह आज़ादी बहुत महंगी पड़ेगी।

: ३७ :

नैतिक मदद

नई दिल्ली, २४ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा—

मैं कई बार पहले भी इस बात की ओर ध्यान दिला चुका हूं कि जब हम प्रार्थना करने जाते हैं या कोई अन्य पवित्र कार्य करने बैठते हैं तब हम सिगरेट या बीड़ी नहीं पीते। ईसाई लोग वैसे खूब सिगरेट और शराब पीते हैं, मगर गिरजा-घर में मैंने कभी किसी ईसाई को शराब या बीड़ी पीते हुए नहीं देखा। मस्जिदों और गुरुद्वारों में भी यही नियम चलता है। फिर इस स्थान को तो हम मन्दिर, गिरजाघर, मस्जिद जो चाहें मान सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना में सब मजहबों में चुन-चुन कर चीजें ली हुई हैं। आप बीड़ी पीना छोड़ दें तो सबसे अच्छा हो, मगर मेरे कहने से आप छोड़ने वाले नहीं हैं, यह मैं जानता हूं। तो भी जिनको बीड़ी पीना है वे अलग जाकर पी लें। इसके अलावा कुछ लोग प्रार्थना के बीच में ही उठकर चल देते हैं। शायद उनको रस नहीं आता होगा। मगर रस नहीं आता तो क्या हुआ, हमारा मतलब तो ईश्वर का नाम लेने से है। प्रार्थना का यह नियम है कि जब तक खत्म न हो और खत्म तब होती है जब मैं करता हूं, तब तक कोई आदमी बीच में उठकर न जायें।

गांधीजी ने इसके बाद नये और पुराने राष्ट्रीय झंडे की चर्चा करते हुए कहा—चर्खा संघ के पास दो लाख रुपये की कीमत के पुराने ढंग के तिरंगे झंडे बने पड़े हैं। चर्खा-संघ बहुत गरीब लोगों की संस्था

है। उसका मैं सदर हूं। उसमें जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी बहुत कम पैसा मिलता है। सो उन्होंने पूछा है कि जो दो लाख रुपये की कीमत के झंडे उनके पास पड़े हैं उनका क्या होगा? नये और पुराने झंडे में कोई अन्तर नहीं है, केवल पुराने को नई खूबसूरती दे दी है। पहले में चर्खा था, जबकि इसमें चर्खे का चक्र तो है, मगर माल और तकुआ नहीं हैं। नया झंडा बन जाने से पुराने की कीमत किसी तरह से कम नहीं हो जाती। जिस तरह से एक बादशाह तो मर जाता है, मगर बादशाहत कभी नहीं मरती। वह हमेशा बनी रहती है। एक सिक्का पलटता है तो दूसरा सिक्का आ जाता है। मगर दूसरा सिक्का आने से पहले के सिक्के की कीमत में फर्क नहीं पड़ता। महारानी विक्टोरिया के शासन में रुपया कुछ और तरह का था, जार्ज पंचम के समय में कुछ और तथा अब कुछ और किस्म का है। मगर रुपये की कीमत वही सोलह आने बनी रही। अत: दोनों झंडों की कीमत तब तक एक ही रहेगी जब तक कि गांधी आश्रम में एक भी पुराना तिरंगा झंडा बाकी बचा रहेगा। अत: जिन लोगों के पास पुराने झंडे हैं वे उनको फाड़ न डालें और गांधी आश्रम से भी उसी झंडे को खरीदें ताकि दो लाख रुपये की रकम नष्ट न हो। मगर आगे से चर्खा संघ नये सिक्के के झंडे ही बनायेगा।

आज मेरे पास दो सवाल आ गये हैं। एक भाई लिखते हैं कि १५ अगस्त के बाद कांग्रेस का क्या होगा और उसका प्रोग्राम क्या रहेगा? वे यह भी लिखते हैं कि अब तक कांग्रेस में आदमी यह शपथ लेकर शामिल होता था कि वह सत्य और अहिंसा के द्वारा हिंदुस्तान की आज़ादी प्राप्त करेगा, मगर अब जबकि आज़ादी मिल गई तब उसके बाद क्या होगा?

कांग्रेस का क्या प्रोग्राम रहेगा यह तो कांग्रेस ही बता सकती है। मगर कांग्रेस के एक खादिम के नाते मैं तो इतना जानता हूं कि अब तक तो हमारा काम हकूमत का सामना करना था। हम हकूमत के बागी बने और उसको हमने हटाया। हमने बाहर से तो सत्य

और अहिंसा को बनाये रखा मगर हमारे भीतर तो हिंसा भरी हुई थी। हमने ढोंगी बनकर काम किया। उसी का फल हम आज आपस की लड़ाई के रूप में भोग रहे हैं। आज भी हम अपने दिलों में लड़ाई का सामान तैयार कर रहे हैं और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमें १८५७ के गदर से भी अधिक भयानक रक्तपात का सामना करना होगा। तब तो हिन्दुस्तान इतना जाग्रत नहीं था और इसके अलावा वह केवल सिपाहियों का बलवा था। उसमें सिर्फ अंग्रेजों को ही हमने काटा था, मगर अन्त में अंग्रेजी लश्कर ने बलवाइयों का सामना किया और उन्हें शिकस्त भी दी, लेकिन ईश्वर न करे कि आज हमारे दिलों में जो लड़ाई भरी है वह उस हद तक चली जाये। अतः केवल सत्य और अहिंसा की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हित की दृष्टि से, जिसके लिए लाखों लोग जेल गये और अनेक कष्ट झेले, मैं यह सलाह दूंगा कि इस प्रकार की तैयारी न करो। उससे न केवल तुम हिंदुस्तान की आजादी को खोओगे, बल्कि उसे फिर गुलाम बना दोगे। अंग्रेज, रूस, अमरीका या चीन कोई देश हम पर हमला करके हमें गुलाम बना लेगा। क्या आप यह देखने वाले हैं कि १५ अगस्त को हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें और सिक्ख उनके बीच में फंसकर मर जायं! इससे तो मुझे यह पसन्द होगा कि एक भूकम्प आ जाय और उसमें हम सब दबकर मर जायं। अतः कांग्रेस चूंकि सारे हिंदुस्तान की है, इसलिए उसे चाहिये कि वह हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों तथा अन्य सब जातियों को संतुष्ट करे। मैं यह नहीं कहता कि आप मुसलमानों की खुशामद करें या खुद बुजदिल बन जायें। बुजदिली तो मैं कभी किसी को सिखाता ही नहीं हूं। हम बहादुरी के साथ सबको शांत करें, यही कांग्रेस का मुख्य प्रोग्राम होना चाहिए।

यद्यपि मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन का दो बार सदर रहा हूं, मगर फिर भी मेरा यह दावा है कि हिंदुस्तान की राष्ट्र भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि नहीं हो सकती। आज हमारे बहुत से कार्यकर्त्ता यह कहते हैं कि गांधी तो सब ऐसी-वैसी बातें करता है। वह तो हमेशा

मुसलमानों की खुशामद में ही लगा रहता है। मगर जिना साहब ने भी दो नेशन की बात कहते समय मुझ पर उर्दू भाषा को मिटाने का इल्जाम लगाया था । आज तो मैं दोनों भाषाओं का दुश्मन बना हुआ हूं। मगर दोनों का दोस्त रहना मैं चाहता हूं । ईश्वर के सामने मेरा यह दावा मंजूर होगा कि अगर हिंदुस्तान का कोई सच्चा, खैरख्वाह था तो वह गांधी ही था। आज मैं काफी हिंदू आपको ऐसे बता सकता हूं जो न तो हिंदी जानते हैं और न देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। अगर यहां हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी और सिक्ख सबको रहना है तो हिंदी और उर्दू के संगम से जो भाषा बनी है उसी को राष्ट्र-भाषा के रूप में अपनाना होगा। जो शब्द आप सब लोग बोलते हैं उनसे एक बुलन्द भाषा बन सकती है इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।

यहां इंडोनेशिया के नेता शहरियार आये हैं। वे नेहरूजी और जिना साहब से मिलेंगे । हिंदुस्तान तो उनको नैतिक मदद दे सकता है, जो कि किसी भी फौजी मदद से अधिक प्रभावशाली होगी ।

एक अंग्रेज का खत आया है कि चूंकि अब हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए इसलिए अब उसका दर्जा संसार के बड़े राष्ट्रों में नहीं हो सकेगा । सो मैं इस बात को नहीं मान सकता बशर्ते कि दोनों टुकड़े दोस्त या भाई-भाई बनकर रहें।

: ३८ :

गो-वध कैसे बंद हो ?

नई दिल्ली, २५ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा—

आज राजेन्द्रबाबू ने मुझको बताया कि उनके पास करीब ५० हजार पोस्टकार्ड, २५–३० हजार पत्र और कई हजार तार आ गये हैं जिनमें गो-हत्या बाकानून बन्द करने के लिए कहा गया है। इस बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था। आखिर इतने खत और तार क्यों आते हैं? इनका कोई असर तो हुआ नहीं है। एक तार और आया है जिसमें बताया गया है कि एक भाई ने तो इसके लिए फाका भी शुरू कर दिया है। हिन्दुस्तान में गो-हत्या रोकने का कोई कानून बन नहीं सकता। हिन्दुओं को गाय का वध करने की मनाई है इसमें मुझे कोई शक नहीं। मैंने गो-सेवा का व्रत बहुत पहले से लिया हुआ है, मगर जो मेरा धर्म है वही हिन्दुस्तान में रहने वाले सब लोगों का भी हो, यह कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो जो लोग हिन्दू नहीं हैं उनके साथ जबर्दस्ती करना होगा। हम चीख-चीख कर कहते आये हैं कि जबर्दस्ती से कोई धर्म नहीं चलाना चाहिए। हम प्रार्थना में हमेशा कुरान की आयत पढ़ते हैं, परन्तु यदि यही चीज मुझसे कोई जबर्दस्ती से कहलवाना चाहे तो मैं कैसे कहूंगा? जो आदमी अपने-आप गोकशी नहीं रोकना चाहता उसके साथ मैं कैसे जबर्दस्ती करूं कि वह ऐसा करे? भारतीय यूनियन में अकेले हिन्दू तो हैं नहीं; यहां तो मुसलमान, पारसी और ईसाई आदि सभी लोग रहते हैं। हिन्दुओं का यह कहना

कि अब हिन्दुस्तान हिन्दुओं की भूमि बन गई है, बिल्कुल गलत है। जो लोग यहां रहते हैं उन सबका इस भूमि पर अधिकार है। अगर हम यहां गो-हत्या रोक देते हैं और पाकिस्तान में इसका उलटा होता है तो क्या स्थिति रहेगी? मान लीजिये कि वे यह कहें कि तुम मन्दिर में नहीं जा सकते, क्योंकि तुम पत्थरों की पूजा करते हो जो शरियत के अनुसार वर्जित है। मैं पत्थर में भी ईश्वर मानता हूं तो उसमें दूसरों का क्या दोष करता हूं! अतः अगर वे मुझे वहां जाने से रोकेंगे तब भी मैं वहां जाऊंगा। इस तरह मैं ईश्वर का भक्त बन जाता हूं।

इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि तार और पत्र भेजने का सिलसिला बन्द होना चाहिये। इतना पैसा इन पर बेकार फेंक देना मुनासिब नहीं है। आखिर हम ऐसा सोचने का घमण्ड क्यों करते हैं कि दो पैसे का पोस्टकार्ड भेजने में कौनसी कमी आ जाती है। मैं तो आपकी मार्फत सारे हिन्दुस्तान को यह सुनाना चाहता हूं कि वे सब तार और पत्र भेजना छोड़ दें।

इसके अलावा जो बड़े-बड़े हिन्दू हैं, वे खुद गोकुशी करते हैं। वे अपने हाथ से तो गाय को काट नहीं सकते, परन्तु आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों को यहां से जो गायें जाती हैं उन्हें कौन भेजता है? वे वहां मारी जाती हैं और उनके चमड़े की जूती बनकर यहां आती हैं, जिन्हें हम पहनते हैं। एक कट्टर वैष्णव हिन्दू को मैं जानता हूं। वह अपने बच्चे को गो-मांस का शोरबा पिलाते थे। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि दवाई के तौर पर उसे इस्तेमाल करने में कोई पाप नहीं है। अतः धर्म असल में क्या चीज है यह तो लोग समझते नहीं हैं और पीछे गो-हत्या बाकानून बन्द करने की बात करते हैं। देहातों में हिन्दू लोग बैलों पर इतना बोझ लादते हैं कि वे मुश्किल से चल पाते हैं। क्या यह गो-हत्या नहीं है, चाहे शनैः-शनैः ही क्यों न हो? अतः मैं तो यह सलाह दूंगा कि विधान-परिषद् पर इसके लिए जोर न डाला जाय।

इसके बाद दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर श्री एम० एस० रंधावा

की प्रेरणा से दिल्ली प्रान्त में मनाये जा रहे वृक्षारोपण सप्ताह का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस जगह वृक्ष अधिक होते हैं वे बादलों से पानी अपने आप बरसा लेते हैं। पेड़ की पत्तियों में कुछ ऐसा आकर्षण होता है कि पानी दूध की धार की तरह ऊपर से गिरने लग जाता है। यह प्रकृति का कानून है। जिस भूमि में वृक्ष नहीं होते वह मरुभूमि हो जाती है, क्योंकि पानी तो वहां बरसता नहीं, इसलिए सब रेत ही रेत हो जाता है। अगर वर्षा बन्द करनी हो तो वृक्षों को काट दीजिये। मैं जोहान्सबर्ग में कई वर्ष तक रहा । वहां का जलवायु बहुत अच्छा है। वहां जब से वृक्षारोपण हुआ तब से वर्षा पड़नी भी शुरू हो गई। इसलिए दिल्ली के अफसर ने वृक्षारोपण का जो काम उठाया वह बहुत अच्छा है। जिन लोगों के पास खाली जमीनें नहीं है वे मिट्टी की कुंडियों में थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डालकर सब्जी पैदा कर सकते है।

एक भाई ने यह प्रश्न पूछा है कि आज हम पर मुसलमानों की तरफ से जो ज्यादतियां हो रही हैं उनको दृष्टि में रखते हुए हम किस मुसलमान का ऐतबार करें और किसका नहीं ? यूनियन में जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ हम कैसा सलूक करें और पाकिस्तान में जो गैर-मुस्लिम हैं, वे क्या करें ?

इस बारे में मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज फिर कहता हूं कि अब हिन्दुस्तान में सारे धर्मों का इम्तिहान हो रहा है। सिक्ख, हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई आदि सब धर्म किस तरह से चलते हैं और कैसे हिन्दुस्तान की बागडोर सम्हालते हैं, यह देखना है। पाकिस्तान तो चाहे मुसलमानों का कहो, मगर यूनियन तो सबका है। अगर आप यहां बुज़दिल न रह कर सचमुच बहादुर बन जाते हैं तो आपको यह सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपको मुसलमानों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए ! मगर आज तो हम सब बुजदिल पड़े हैं। उसके लिए मैंने तो अपना गुनाह मंजूर कर लिया। हमारा ३० वर्ष का शिक्षण क्यों गलत तरीके से हुआ यह मेरे लिए एक कठिन प्रश्न हो गया है।

मैंने कैसे यह मान लिया कि अहिंसा बुजदिलों का हथियार हो सकती है ! अगर अब भी हम सचमुच बहादुर होकर मुसलमानों के साथ प्रेम करें तो मुसलमानों को भी सोचना होगा कि वे आपके साथ धोखा करके क्या लेंगे। वे भी बदले में मोहब्बत ही दिखायेंगे। क्या हम यूनियन के करोड़ों मुसलमानों को अपना गुलाम बनाकर रख सकते हैं ? दूसरों को गुलाम बनाने वाला खुद गुलाम बन जाता है। अगर हम यहां तलवार का बदला तलवार से, मुट्ठी का बदला मुट्ठी से और लात का बदला लात से देने लगें तो फिर पाकिस्तान में उससे भिन्न सलूक की आशा रखना फिजूल है। अगर ऐसा हमने किया तो जिस हाथ से हमने आजादी ली उसी हाथ से हम उसे खो देंगे। जो सीधा और सरल रास्ता है वही हमें अपनाना चाहिए और फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान में एक भी हिन्दू या एक भी ईसाई को कोई छूने वाला नहीं है।

आज पाकिस्तान और भारत की भावी सरकारों की ओर से जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ है वह मुझे अच्छा लगा है। मगर मैं तो उसे प्रत्यक्ष में देखना चाहता हूं। इस वक्त तो हम ऐसा क्यों मानें कि जो कुछ वे कहते हैं उससे भिन्न ही पाकिस्तान में होने वाला है। होता भी है और हम बुजदिल नहीं हैं तो हम उसका जवाब भी दे देंगे। जब तक ऐसा नहीं हुआ है तब उसे मान कर ही हम बैठ जायें यह तो हमारी बुजदिली है। इस तरह से मानने का मतलब होगा लड़ाई का सामान तैयार करना। तब तो हमारे और पाकिस्तान के लश्करों में आमने-सामने की लड़ाई छिड़ जायगी और जिना साहब जो दो नेशन की बात कहते थे वह सही साबित होगी। इसलिए मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि तू हमें उस आपत्ति से बचाले।

*

: ३९ :

हड़ताल तो अंतिम अस्त्र है

नई दिल्ली, २६ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा—

मैं चाहता तो यही हूं कि एक बैरिस्टर को जितना पैसा मिलता है उतना ही एक भंगी को भी मिले। परन्तु यह बात कहने में जितनी आसान है, करने में उतनी ही मुशकिल है। दूसरे, ये सब बातें हड़ताल करने से पूरी नहीं होतीं। वेतन-कमीशन की सिफारिशों से जो वेतन बढ़े हैं पहले हमें उन्हें हजम करना चाहिए और फिर बाद में अपने पक्ष में लोकमत तैयार करना चाहिए। हड़ताल का भी एक शास्त्र होता है; यों ही हड़ताल कर बैठने से कोई लाभ नहीं।

आज तो हिन्दुस्तान में हड़तालों का एक वातावरण-सा बन गया है। जहां लोगों की अपनी हकूमतें हैं वहां भी हड़तालें होती हैं। जब हमारे यहां अंग्रेजी हकूमत थी तब जहां तक मुझे याद है इतनी हड़तालें नहीं होती थीं। आज कलकत्ता से तार आया है और अखबारों में भी छपा है कि वहां एकाउन्टेंट जनरल आफिस के कर्मचारियों ने कलमबन्द हड़ताल करदी है। इस आफिस में डाक और तार घर शामिल हैं जो किसी एक आदमी की खातिर नहीं, बल्कि सब लोगों की भलाई के लिए चलते हैं। यह माना कि उनमें बड़े-बड़े अमलदार भी हैं जिन्हें काफी पैसा मिलता है। फिर छोटों ने क्या गुनाह किया कि उन्हें थोड़ा पैसा मिले? आखिर इतना बड़ा अन्तर क्यों रहता है? अंग्रेजों ने यह आदत डाली, मगर हमको भी वह मीठी लगी और उसे हम जारी

रख रहे हैं। परन्तु इस तरह से यदि लोग कलमबन्द करके बैठने लगें तो हिन्दुस्तान का क्या होगा ? हड़ताल के जरिये दबाव डाल कर यदि कुछ पैसे उन्होंने बढ़वा भी लिये तो उससे क्या हुआ ? मगर यह तरीका तो गलत है और इससे हिन्दुस्तान का सत्यानाश होने वाला है।

आज की हिन्दुस्तान की हालत देखकर मुझे उस मुर्गी की मिसाल याद आती है जो सोने के अंडे देती थी। मुर्गी वाले ने सारे अंडे एक साथ निकालने के लिए उस मुर्गी को मार डाला। मगर नतीजा यह हुआ कि सोने के अंडे भी नहीं निकले और मुर्गी भी मर गई। आज जो हमारे हाथ में हकूमत आई है वह उसी किस्म की मुर्गी है। हम अगर यह उम्मीद करें कि उस मुर्गी से सब सोने के अंडे आज ही निकालकर खा जायंगे तो निश्चय ही वह मुर्गी तो मरेगी ही, उसके साथ हम भी मरने वाले हैं ।

इसके अलावा हड़ताल का तो मैंने शास्त्र बना रखा है। दक्षिण अफ्रीका में पहले-पहल हमने इसकी आजमाइश की थी । वहां हिन्दुस्तानी कुली और मजदूर लोग समझे जाते थे। वहां उनका हड़ताल करना कुछ मानी रखता था, क्योंकि और तरह से वहां उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। अतः वह आदमी जो हड़ताल का शास्त्र जानता है, वह उन लोगों से जो कि आज इधर-उधर हड़ताल कर रहे हैं, यह सूचना देना चाहता है कि जो तरीका उन्होंने अपनाया है उससे वे अपना ही खात्मा कर लेंगे। हमारे देश के दो टुकड़े तो हो गए, मगर अब भी अगर हमारे आपस के झगड़े इसी तरह जारी रहे तो ईश्वर ही जानता है कि हमारा क्या हाल होनेवाला है ! अब तो हमारा यह धर्म हो गया है कि हम अपना काम करते जायं, क्योंकि वह हकूमत का काम है। वेतन-कमीशन की सिफारिशों के फलस्वरूप छोटे लोगों का दर्जा काफी ऊंचा हो गया है। अगर इस तरह से हम मांगते ही रहेंगे तब तो हिन्दुस्तान का दिवाला निकल जायगा। यह ठीक है कि हकूमत के पास करोड़ों रुपये आते हैं, मगर वह सब केवल

मुट्ठी भर लोगों पर तो खर्च नहीं किया जा सकता। उस रुपये का अधिक भाग तो उन देहातियों पर खर्च किया जाना चाहिए जिनसे वह पैसा आता है।

बम्बई में हाल ही में मजदूरों की एक नाम मात्र की हड़ताल होकर चुकी है। वहां की सरकार ने एक-दो करोड़ रुपया तो मजदूरों को दिया, मगर उससे भी उनको संतोष नहीं हुआ और अपनी ताकत जाहिर करने के लिए उन्होंने एक नाम मात्र की हड़ताल की। उन्हें चाहिए तो यह था कि जो कुछ मिल गया उसे तो हजम करते और उसके बाद अपने पक्ष में लोकमत बनाते। इसकी बजाय उन्होंने हड़ताल करके पैसे बढ़वाने का मार्ग अपनाया। कांग्रेस में भी आज कितनी ही पार्टियां बन गई हैं और उनमें से ही एक पार्टी का इस हड़ताल में हाथ है, ऐसा मुझे बताया गया है। मगर इस नाम मात्र की हड़ताल में तो चाहे वह दो घंटे के लिए ही क्यों न हो, एक तरह का घमंड भरा रहता है। उससे वह पार्टी यह सिद्ध करने की कोशिश करती है कि उसकी मजदूरों में कितनी चलती है। अन्यथा इस नाम मात्र की हड़ताल का क्या उद्देश्य हो सकता था? मुल्क का इस प्रकार की हड़तालों से कोई भला नहीं हो सकता। इसलिए वहां के मजदूरों ने जो कुछ किया वह मुझे अनर्थ लगता है।

दूसरी लड़ाई तो जब होगी तब होगी, मगर क्या हम इस आपस की लड़ाई में ही कटकर मर जाना चाहते हैं? यह कोई देश का काम नहीं है, कोरा स्वार्थ का काम है। एक ओर तो हमें आज़ादी मिली, अंग्रेज यहां से गये और हकूमत का काम हमने चलाना शुरू ही किया कि दूसरी ओर हम पैसों के बटवारे पर ही लड़ाई करने लगे। मैं तो यहां तक मानता हूं कि एक बैरिस्टर को जितना पैसा मिलता है उतना ही एक भंगी को भी मिलना चाहिए। मगर बैरिस्टर तो अधिक छीन लेता है और हम खुशी से उसे दे देते हैं। मैं भी तो कभी बैरिस्टरी करने लगा था, मगर मैंने कुर्सी में पड़े रहकर पैसे लूटना एक निकम्मी बात समझी और इसलिए भंगी बन गया।

मगर ये सब बातें कहने में तो अच्छी लगती हैं, करने में मुशकिल होती है। आखिर हम ऐसे आदमी कहां से लायें जो गवर्नर-जनरल, बैरिस्टर और व्यापारी हो सकें और साथ ही-साथ पैसा भी उतना ही लें जितना एक भंगी को मिलता है। एक दर्जी भी चार-पांच रुपये रोज कमा लेता है, मगर भंगी को कौन इतने पैसे देता है ? अतः आज जरूरत इस बात की है कि मनुष्य अपना स्वभाव बदले, मनुष्य में उदारता पैदा होनी चाहिए। यह नहीं कि हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सबका गला काट दें। बर्मा में जो खून हुए हैं, उनसे भी अगर हम कोई सबक नहीं लेंगे तो हिन्दुस्तान और सारी दुनिया का क्या हाल होगा ? यह हिसाब आप अपने घर जाकर करें।

: ४० :

दिल में ज़हर न रखे रहें

नई दिल्ली, २७ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा —"हिन्दुस्तान देशी राज्यों से भरा पड़ा है। उनकी संख्या पांच सौ से ऊपर है जिनमें कोई बड़े हैं और कोई छोटे हैं। हाल ही में वायसराय साहब ने राज़ाओं को यहां बुला लिया था। अब तक तो उन पर ब्रिटिश साम्राज्य का छत्र था, परन्तु वह तो अब उठ गया। वायसराय साहब ने उनको बहुत नम्र शब्दों में जो व्याख्यान दिया वह मुझको अच्छा लगा। उन्होंने राजाओं को सलाह दी कि भारतीय यूनियन और पाकिस्तान के रूप में जो दो स्वतन्त्र राज्य बन रहे हैं उनको उन दोनों के भीतर आना है। वह कोई छोटा व्याख्यान नहीं था। मगर उसमें जो चीज मुझे चुभी वह यह कि इतने बड़े व्याख्यान में रियासतों की रैयत का कहीं जिक्र नहीं था। ब्रिटिश गवर्मेंट के साथ जो करार था वह तो राजा लोगों से ही था। उसमें रैयत कहीं आती ही नहीं थी। इसलिए जब ब्रिटिश साम्राज्य सत्ता हट गई तब बाकानून वे आज़ाद तो हो जाते हैं और ब्रिटिश सल्तनत उसमें कोई दखल भी नहीं दे सकती। मगर राजा लोगों का धर्म और कर्त्तव्य भी तो कोई चीज है। अब बन्दूक का राज्य तो चला गया जिससे किसी रियासत को मजबूर किया जा सकता था। मगर ब्रिटिश साम्राज्य के मातहत जो वे सुरक्षित रहते थे वह सुरक्षितता तो अब नहीं रही। फिर कोई भी बड़ी-से-बड़ी रियासत ले लीजिए; मैं कोचीन को ही लेता हूं, क्योंकि एक खासा बड़ा समुद्र भी उसके साथ

लगता है। वह अपनी सुरक्षा के लिए सारी दुनिया के साथ तो समझौते कर नहीं सकती। ऐसी हालत में उनको ठीक सलाह देना वायसराय का धर्म था। मगर रैयत का भी अगर वे अपने व्याख्यान में कुछ जिक्र कर देते तो मुझको बहुत अच्छा लगता। चूंकि मैं काठियावाड़ राज्य में पैदा हुआ था, इसलिए एक रैयत होने के नाते मुझे उस बारे में कहने का हक़ है। अब से पहले राजा लोग अगर दीवान भी रखते थे तो उसमें वायसराय की इजाजत लेते थे। वह उनको अच्छा भी नहीं लगता था। इसलिए अब जहां उनके ऊपर से ब्रिटिश सुरक्षा का छत्र हटा उसके साथ-साथ उनका दबाव भी तो उन पर से हट गया। मगर दूसरी तरफ से प्रजा का दबाव अब उन पर पड़ता है। नतीजा यह हुआ कि राजा लोग प्रजा के सेवक बनकर रहेंगे तभी वे राजा रह सकते हैं। उनके यहां जो प्रजा-मंडल हैं उनके साथ उनको मशविरा करना चाहिए और शासन प्रबन्ध में उनका सहयोग लें। यह बात तो ठीक है कि उन्होंने कभी राज्य तो चलाया नहीं। राज्य तो हमारे इन नेताओं ने भी पहले कभी नहीं किया था जो आज केन्द्रीय सरकार में हैं। वे बाहर तो शेर बने हुए थे, मगर आज तो बकरी जैसे बन गए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि राजा लोग यों ही अपने राज्य में २०–२५ आदमियों को खड़ा करदें और उनको प्रजा-मंडल कहने लगें। वे जो कुछ करें वह सच्चाई और नेकनीयती से करें।

जहां तक यूनियन या पाकिस्तान में शामिल होने का सम्बन्ध है, उसमें भौगोलिक स्थिति का पूरा ध्यान रखना होगा। गुजरात या काठियावाड़ का कोई राज्य अपने को बंगाल के साथ थोड़े ही कह सकता है ! अतः रियासतें भूगोल के दबाव से नहीं निकल सकतीं।

अंग्रेज जाते समय क्या राजाओं को यह नहीं कह सकते थे कि जो सर्वोच्च सत्ता उनके पास थी वह अब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के पास चली गई है। निश्चय ही यह बहुत खटकने वाली बात है और हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान दोनों के लिए वह एक पेचीदा प्रश्न बन गया

है। मैं तो यही कहूंगा कि राजाओं के लिए भी यह इम्तिहान का समय है। वे नाम के राजा रहें, मगर असल में प्रजा के सेवक बन जायं, तब तो हिन्दुस्तान की खैर है।

मैंने जो आज यह रुदन किया है वह इस वजह से नहीं कि राजाओं के विरुद्ध वायसराय ने मुझसे शिकायत की हो या हमारी स्वदेशी हकूमत ने जिसमें जवाहरलालजी और राजेन्द्रबाबू आदि हैं, मुझसे कुछ कहा हो। हकीकत तो यह है कि लोग आज इस बात की तुलना करते हैं कि हिन्दुस्तान की हकूमत क्या करती है और पाकिस्तान की क्या ?

मगर देशी राज्यों की प्रजा पर क्या बीत रही होगी ? वहां की रैयत क्या इस आजादी पर खुश होगी ? क्या वहां के लोग आजादी के उत्सव में शामिल होंगे ? मैं तो उस दिन उपवास करूंगा और मेरी प्रार्थना भी खासतौर से उस दिन यही होगी कि हे ईश्वर ! हिन्दुस्तान आजाद तो हुआ, परन्तु उसे बर्बाद न कर !

देशी राज्य हिन्दुस्तान का एक चौथाई हिस्सा है। क्या वहां की दस करोड़ प्रजा १५ अगस्त को आजादी का उत्सव मना सकेगी ? अगर राजा लोग यह कहें कि हम तो तुम्हारे नौकर बनकर रहेंगे तब तो खैर है। तब वे प्रजा से जो पैसा लेंगे वे प्रजा को ऊपर उठाने के लिये ही लेंगे। वे दस गुना करके उसे वापिस दे देंगे, पैसे के रूप में नहीं, बल्कि अपने राज्य में शिक्षा के लिए स्कूल, रोगियों के लिए अस्पताल, सड़कें तथा बाग-बगीचों आदि के रूप में। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं आज राजाओं के बारे में इतना तो कह दूं। वायसराय के भाषण के बारे में जवाहरलालजी और सरदार पटेल ने तो कुछ कहा नहीं। मगर दिल में तो वे भी महसूस करते ही होंगे। दिल में फिर जहर क्या रखना था ? यह तो एक तरह का खेल-सा है जिसमें खेल के सब खिलौने मेज पर रखे रहने चाहिएं। जब हमारे दिल में किसी प्रकार का जहर नहीं होगा तभी तो हम १५ अगस्त का दिन दिल खोलकर मना सकेंगे।

: ४१ :

कुछ प्रश्नोत्तर

नई दिल्ली, २८ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा कि आज मैं कुछ प्रश्नों के जवाब दूंगा।

प्रश्न—१५ अगस्त के बाद दोनों राज्यों में दो कांग्रेसें होंगी या एक ही रहेगी ? या कांग्रेस की आवश्यकता ही न रहेगी ?

उत्तर—मेरे विचार से उस समय ऐसी संस्था की जरूरत और भी ज्यादा होगी। बेशक उसका काम बदल जायगा। यदि कांग्रेस मूर्खतापूर्वक दो धर्मों के आधार पर दो राष्ट्रों का सिद्धान्त मंजूर नहीं कर लेती तो सारे हिन्दुस्तान के लिए केवल एक कांग्रेस रह सकती है।

हिन्दुस्तान के बंटवारे से आज उसके समूचेपन का बंटवारा नहीं होता—नहीं होना चाहिए। दो सार्वभौम राज्यों में बांट दिये जाने के कारण हिन्दुस्तान के दो राष्ट्र नहीं होते। मान लिया जाय कि कोई एक या ज्यादा रियासतें दोनों राज्यों के बाहर रहती हैं तो क्या कांग्रेस उन्हें और उनकी जनता को राष्ट्रीय कांग्रेस से निकाल देगी ? क्या उनकी मांग यह नहीं होगी कि कांग्रेस उनकी ओर विशेष ध्यान दे और उनकी विशेष परवाह करे ? जरूर ही पहले से ज्यादा उलझे हुए सवाल उठेंगे। उनमें से कुछ का हल कठिन भी हो सकता है। मगर कांग्रेस के टुकड़े कर देने के लिए यह कोई कारण न होगा। उससे अबतक की अपेक्षा अधिक बड़ी राजनीतिज्ञता, अधिक गहरे विचार और अधिक शांत निर्णय को उत्तेजना मिलेगी। पंगु बना देने

वाली कठिनाइयों पर ही हमें पहले से विचार नहीं करते रहना चाहिए। आज तक जो खराबियां हो चुकीं वे काफी हैं।

प्रश्न--क्या कांग्रेस अब सांप्रदायिक संस्था बन जायगी ? आज जोरों से मांग की जा रही है कि चूंकि अब मुसलमान अपने आपको परदेशी समझने लगे हैं इसलिए हमें भी अपने संघ को हिन्दू भारत कहकर क्यों नहीं पुकारना चाहिए और उस पर हिन्दू धर्म की अमिट छाप क्यों नहीं लगा देनी चाहिए ?

उत्तर--इस सवाल में घोर अज्ञान भरा है। कांग्रेस कभी हिन्दू-संस्था नहीं बन सकती। जो उसे ऐसा बनावेंगे, हिन्दुस्तान और हिन्दू धर्म से दुश्मनी करेंगे। हिन्दुस्तान करोड़ों का मुल्क है। उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। अगर कोई दो प्रजा की बात पर जोर देने वाले हैं तो वे शहरों के शोर-गुल मचाने वाले ही लोग हैं। हम उनकी आवाज को हिन्दुस्तान के देहातों के करोड़ों की आवाज़ न समझें।

प्रश्न--तीसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने नहीं कहा है कि वे हिन्दुस्तानी नहीं हैं और अन्त में याद रखा जाय कि हिन्दू धर्म में कितनी ही कमियां क्यों न हों, हिन्दू धर्म ने कभी अलहदगी का दावा नहीं किया। अलग-अलग धर्मों के लोगों ने मिल कर हिन्दुस्तान को एक प्रजा या राष्ट्र बनाया है उन सबका हिन्दुस्तानी कहलाने का समान हक़ है। बहुमत को दूसरों को दबाने का हक़ नहीं है। बहुमत के जोर से या तलवार के जोर से मिली हुई ताकत सच्ची ताकत नहीं है। दरअसल सचाई ही सच्ची ताकत है।

प्रश्न : तीसरा सवाल है कि जो मुसलमान नहीं उनका पाकिस्तान के झंडे की तरफ क्या रुख रहे ?

उत्तर--पाकिस्तान का झंडा अभी तो लीग का झंडा होगा। अगर मुस्लिम लीग और इस्लाम एक चीज है तो सारी दुनिया के मुसलमानों का झंडा एक होना चाहिए और जिनकी इस्लाम से दुश्मनी नहीं उनको उसकी इज्ज़त करनी चाहिए। मैं इस्लाम का, हिन्दू-धर्म का, ईसाई

धर्म का, या किसी दूसरे धर्म का झंडा जानता नहीं हूं। मगर मैंने इस्लाम का गहरा अभ्यास नहीं किया तो मैं भूल कर सकता हूं। अगर पाकिस्तान का झंडा, चाहे उसका रूप रंग कुछ भी हो पाकिस्तान में रहने वाले सब लोगों का झण्डा होगा, तो मैं उसकी सलामी करूंगा और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। दूसरे लफ्जों में उपनिवेश एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन सकते। मैं तो बहुत रंज और दुख से देख रहा हूं कि दक्षिण अफ्रीका का उपनिवेश हिन्दुस्तान के उपनिवेश की तरफ क्या रुख रखता है! क्या दक्षिण अफ्रीका के लोग हिन्दुस्तान को नफरत कर सकते हैं? क्या अफ्रीका की यूनियन के गोरे-गोरे अब भी हिन्दुस्तानियों के साथ रेल के एक डिब्बे में सफर करने से इनकार करेंगे?

: ४२ :

काश्मीर का सवाल

नई दिल्ली, २९ जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा—

आज मैं बहुत काम की बातें कह रहा हूं। मुझसे ऐसा कहा जाता है कि मुझे काश्मीर जाना चाहिए। मुझे वहां जाने का शौक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वह खूबसूरत जगह है। वहां हिमालय पहाड़ भी है। लेकिन दुनिया में कई और भी खूबसूरत जगहें हैं। तीर्थ क्षेत्र भी काफी पड़े हैं।

एक बार मैं काश्मीर जाना चाहता था। उस समय के काश्मीर महाराजा ने मुझे बुलाया भी था। उस समय सर गोपालस्वामी आयंगर वहां के दीवान थे। लेकिन ईश्वर जब मुझको मौका दे तभी तो मैं जाऊंगा।

जब पिछली बार पंडित जवाहरलाल काश्मीर में रोक लिये गए तब उनकी यहां जरूरत थी। उस समय मौलाना आज़ाद कांग्रेस की सदारत करते थे। वे जवाहरलाल को काश्मीर से बुलाना चाहते थे; क्योंकि यहां उनकी जरूरत थी। उस समय के वाइसराय लार्ड वेवेल ने भी उसकी जरूरत महसूस की। वेवेल और मौलाना साहब दोनों परेशान थे। तब मौलाना ने जवाहरलाल के पास खबर भेजी कि आपने जो काम अपनाया है वह कांग्रेस का काम है इसलिए अनुशासन के मुताबिक आप यहां आइये। उस समय जवाहरलाल ने यहां आना तो मंजूर कर लिया, लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि बाद में फिर काश्मीर

जाऊंगा। मौलाना ने कहा कि बाद में यह काम किया जा सकता है और जरूरत होगी तो गांधीजी को भी आपके साथ भेज दिया जायगा। मैंने भी जवाहरलाल से कहा कि ऐसा करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता।

अब तो सरकार ही बदल गई। वायसराय बदल गया। मैं अब काश्मीर जाने को तैयार हो गया, जिससे जवाहरलाल अपना काम करता रहे। चूंकि वहां कई झंझट थे इसलिए मैंने कह दिया था कि यदि वायसराय कह दे कि वहां जाओ तो मैं जाऊंगा। वायसराय ने कुछ समय पहले मुझसे कहा कि मैं अभी वहां जाता हूं, आप न जायं। इसलिए मैं नहीं गया। अब सिलसिला ऐसा हो गया कि चाहे मैं वहां जाऊं या जवाहर जाय। लेकिन वह तो जा नहीं सकता। यहीं काम बहुत पड़ा है। वैसे तो वहां की आबहवा अच्छी है। यदि वहां वह जायगा तो वह तन्दुरुस्त होकर आयगा। लेकिन यहां के झंझट को भी तो सम्हालना होगा। यदि अन्तरिम सरकार के उपाध्यक्ष वहां जायं तो उसका ऐसा भी मतलब निकाला जा सकता है कि वे काश्मीर को भारतीय संघ में मिलाने गये हैं—इस तरह का भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए मैं वहां जाऊंगा।

काश्मीर में राजा है और रैयत भी। मैं राजा को कोई ऐसी बात नहीं कहने जा रहा हूं कि वे पाकिस्तान में न सम्मिलित हों और भारतीय संघ में सम्मिलित हों। मैं इस काम के लिए वहां नहीं जाऊंगा। वहां राजा तो है लेकिन सच्चा राजा तो प्रजा है। यदि राजा प्रजा का सेवक नहीं है तो वह राजा नहीं है मैं यही मानता हूं। मैं तो इसीलिए बागी बना क्योंकि अंग्रेज अपने को यहां का राजा समझते थे जिसे मैं नहीं मानता था। अब वे भारत छोड़ रहे हैं। जो हाकिमी करने आया था वह अब नौकर बनना चाहता है। मनसा-वाचा-कर्मणा वे अब नौकर बनना चाहते हैं। वे अब इसलिए गवर्नर-जनरल नहीं बनते क्योंकि राजा ने नियुक्त किया है; किन्तु हम—अन्तरिम सरकार—उन्हें गवर्नर-जनरल बना रहे हैं। मैं तो कहता था कि हरिजन की एक लड़की को गवर्नर-जनरल बना देना चाहिए, लेकिन मैं

यह मानता हूं कि अभी इस हालत में हरिजन की लड़की को गवर्नर-जनरल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि राजाओं से बात करनी है और भी कई बड़े-बड़े काम पड़े हैं। हां, जब प्रजातन्त्र बन जायगा तब ऐसा हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के इस काम में फरेबी नही दिखाई देती। आज यह भी नहीं है कि वे पैसा चाहते हैं—यदि रखना हैं तो उन्हें नौकरी दो नहीं तो वे जा रहे हैं। १५ अगस्त को काफी अंग्रेज चले जायेंगे; ऐसी उनकी मन्शा है —वाचा और कर्मणा तो ऐसा है ही।

अभी तक वायसराय की छत्रच्छाया में काश्मीर के महाराजा जो करना चाहते थे कर सकते थे। अब तो वे रैयत के हैं। सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। मैं यह नहीं कहता कि मैं महाराजा साहब को तकलीफ देना चाहता हूं। वहां काम करने वाले जो पण्डित और मुल्ला हैं वे मुझे नाम से तो जानते ही हैं। मैंने काश्मीर के लोगों को काफी पैसा दिया है। उनका नकाशी का काम व शाल बनाने का काम अच्छा होता है। चर्खा संघ ने भी अच्छा काम वहां किया है। वहां के गरीब लोग मुझे पहचानते हैं।

वहां के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वे पाकिस्तान के संघ में जाना चाहते हैं या भारतीय संघ में। वे जैसा चाहें करें। राजा तो कुछ है ही नहीं। प्रजा सब कुछ है। राजा तो दो दिन बाद मर जायगा लेकिन प्रजा तो रहेगी ही। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि यह काम मैं पत्र-व्यवहार के जरिये ही क्यों न करूं? तो मैं कहूंगा कि वैसे तो मैं पत्र-व्यवहार के जरिये ही नोआखाली का काम भी कर सकता हूं।

. काश्मीर में मैं कोई काम सार्वजनिक रूप से नहीं करूंगा। मैं प्रार्थना भी सार्वजनिक सभा में नहीं करना चाहता, करूं वह दूसरी बात है। प्रार्थना तो मेरे जीवन का एक अंग है।

अब रही बात यह कि मैं जो कहता हूं कि १५ अगस्त को फाका करो और प्रार्थना करो, यह क्या है? मैं दुःख तो नहीं मनाना चाहता हूं। लेकिन दुःख की बात यह है कि हमारे पास खुराक नहीं है, कपड़ा

नहीं है। आज एक आदमी बिगड़ जाता है और दूसरे आदमी को मार डालता है। लाहौर में ऐसा चल रहा है कि कोई बाहर निकले और मार डाले गये। सो हम मौज करें और मिटाई खायं, ऐसा उत्सव ऐसे अवसर में कैसे मनाया जाय ?

६ अप्रैल १९१९ को सारे हिन्दुस्तान में जागृति हो गई थी। उस दिन कोई उत्सव इस तरह से नहीं मनाया गया। मैंने हिन्दुओं और मुसलमानों से कहा कि वे उस दिन फाका रखें, प्रार्थना करें और चर्खा चलाएं। उन दिनों में हिन्दू और मुसलमानों में कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए सबों ने वैसे ही फाका रख कर उत्सव मनाया। ६ तारीख को जितना बड़ा उत्सव उस समय था वैसी तारीख हिन्दुस्तान के इतिहास में आने वाली नहीं है। आज ६ तारीख से भी ज्यादा आवश्यकता है कि लोग फाका रखें—करोड़ों लोग भूखों मर रहे हैं। उस समय तिलक स्वराज्य फंड के लिए एक करोड़ रुपये जमा करना मुश्किल था—वह जमाना ही वैसा था। हमारे पास सत्ता नहीं थी। आज तो करोड़ों रुपये हमारे हाथ में आ गया है। ऐसी जिम्मेदारी आ गई है। यदि ऐसे समय में हम नम्र न बनेंगे तो क्या होगा? अगर १५ अगस्त को खूब खा-पीकर मजा उड़ायेंगे तो १६ अगस्त को राजेन्द्र बाबू क्या करेंगे—क्या खिलायेंगे ? इसलिए मैं कहूंगा कि उत्सव जरूर मनाएं लेकिन फाका रखकर, प्रार्थना कर और चर्खा चलाकर मनाएं। हां, हमें मातम नहीं मनाना चाहिए।

: ४३ :

स्वराज्य का ठीक उपयोग करें

नई दिल्ली, ३० जुलाई १९४७

प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए गांधीजी ने कहा—

आज मेरा यहां अखीर का दिन है। कल से प्रार्थना नहीं हो सकती। अगर आप करेंगे तो अच्छा होगा, मगर मैं तो नहीं रहूंगा। ईश्वर की कृपा हो गई तो परसों श्रीनगर पहुंच जाऊंगा। मैंने कल कहा था कि मैं वहां दो-तीन दिन रहूंगा। मुझे वहां कोई खास काम करना है ऐसी बात नहीं है। मुझे वहां किसी सार्वजनिक सभा में हिस्सा नहीं लेना है। मैं तो लोगों से मिलने जा रहा हूं, किसी उम्मीद से नहीं। मैं खाली हाथ भी लौट कर नहीं आने वाला हूं; लेकिन मेरे हाथ भरना या न भरना ईश्वर के हाथ है। आज तो मैं प्रतिज्ञा के वश होकर जाता हूं। प्रतिज्ञा का पालन हो जाने पर पीछे भाग आऊंगा। वहां से मैं नोआखाली जाऊंगा।

बिहार के एक मुसलमान के पास से मेरे पास खत आया है कि वहां हिन्दू और मुसलमान सब लोग पहले जैसे भाई-भाई के समान रहने लगे हैं। बिहार के मन्त्री श्री अन्सारी ने भी मुझे बताया है कि अब कोई झगड़ा नहीं रहा। पहले जिस तरह भाई-भाई के जैसे लोग रहते थे वैसे ही अब फिर रहने लगे हैं। स्पेशल ट्रेनों से लोग आ रहे हैं। वे बिहार सरकार के खर्च से नहीं आ रहे हैं। बिहार सरकार ने तो उन्हें नहीं भेजा था। बंगाल वाले ले गये थे। उनका काम था कि वे उन्हें भेज देते। मैं तो बिहार के हिन्दुओं से कहूंगा

कि जो मुसलमान आ रहे हैं उन्हें अपनाना चाहिए। अपने में पहले जैसा मिला लेना चाहिए। हुकूमत पर भरोसा किये बैठे नहीं रहना चाहिए। अब तक तो हमारे हाथ में सत्ता नहीं थी। अंग्रेजों का राज था। तब उन पर भरोसा करना पड़ता था। अब सल्तनत हमारे हाथ में आ गई है। रैयत की हुकूमत है। इसलिए अब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हुकूमत का काम है। अगर रैयत ही नहीं है तो हुकूमत कहां? इसलिए बिहार के हिन्दू ऐसी आबोहवा रखें कि वहां के मुसलमान ऐसा न समझें कि हमारी पीठ पर पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान है। अभी दो भाग हो गये हैं। मेरे ख्याल से यह बुरा हुआ है। मगर बुरा या अच्छा, अब तो हो ही गया है। जो पाकिस्तान को मानने वाले थे उनके मन में तो वह भरा ही हुआ है। दोनों ने मान लिया है कि अब हम अलग-अलग हो गये। यदि मुसलमानों ने ऐसा समझकर किया तो मुझे बुरा लगेगा। पाकिस्तान तो कोई चीज नहीं है। उससे सिर्फ हुकूमत का बंटवारा हुआ है। मैं बिहारियों से इतना ही कहना चाहता हूं।

अब मैं बम्बई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बम्बई की हुकूमत ने तय किया है कि कमीशन की बताई हुई वृद्धि के मुताबिक तनख्वाह दी जायगी। मैंने अतिशयोक्ति की थी। कह दिया था कि अभी से कर दिया। मगर अभी तक ऐसा नहीं किया गया। मगर इससे क्या हुआ? जो तय हो गया है उसके मुताबिक किया जायगा। फिर वहां के कर्मचारी भूख-हड़ताल क्यों करें?

वहां से एक तार आया है कि अगर गांधी इस मामले में दखल दें तो फैसला हो सकता है। मैंने कहा, गांधी के हाथ में कोई सत्ता नहीं है। यों तो वह सब मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मेरे मातहत काम किया है। वह कहते हैं कि गांधी जैसा कहेगा वैसा हम मान लेंगे। मगर मैं ऐसा नहीं कह सकता। अशोक मेहता वहां हैं। वह भी कहता है कि गांधी फैसला कर दे तो हमें मंजूर होगा। मगर मैं कहता हूं कि मैं ऐसा नहीं कह सकता। अब तक हमारे हाथ में ताकत

नहीं थी। अब ताकत आई है। क्या में दखल देकर उसे नष्ट कर दूं ? मुझे लोग डिक्टेटर बनाकर फैसला कराएं, ऐसा घमण्डी में कभी नहीं बन सकता। परमेश्वर मुझसे काम ले सकता है। हुकूमत ने अपना काम कर दिया। उसने कमीशन के मुताबिक वृद्धि करना तय कर लिया है। मैं बाद में उसमें शिरकत दूं तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए उनका यह कहना कि ऐसा तो ठीक नहीं और हम टोकेन स्ट्राइक (सांकेतिक हड़ताल) करेंगे, यह ठीक नहीं। मैं उनसे अदब के साथ कहूंगा कि वे ऐसा न करें। मैं उनका दोस्त हूं, हुकूमत का दोस्त हूं, और राजा लोगों का भी दोस्त हूं। उन्हें मुझसे अनुचित काम नहीं कराना चाहिए। सभी पार्टियों का फर्ज है कि १५ अगस्त से जो हुकूमत बनने वाली है उसके मारफत सब काम करायें। अंग्रेजों के जमाने में हम कुछ नहीं कर पाते थे। हमने कोशिश की। अहिंसात्मक युद्ध किया। अब भी कर सकते हैं। मगर उसके लिए सामान तो चाहिए, लोकमत तो बनना चाहिए।

उदाहरण के लिए गोरक्षा का मामला है। इसमें मजबूर करोगे तो मुसलमानों को! हिन्दुओं को क्यों नहीं? पारसियों को क्यों नहीं? इस तरह गो-रक्षा नहीं हो सकती। अपने धर्म पर चलने से सब काम बिना कानून हो सकता है। मैं तो चाहता हूं कि मुसलमान भी गो-वध न करें। वे गाय का मांस न खायं। लेकिन ऐसा करना या न करना उनकी इच्छा पर है। हमें यह घमण्ड नहीं होना चाहिए कि हमारी हुकूमत आगई है इसलिए हम जबरन या कानूनन सब काम करा सकते हैं।

मैं चाहता हूं कि जो स्वराज्य मिला है उसका ठीक उपयोग किया जाय। हम धर्म की वृद्धि करें, ताकि जो स्वराज्य हम चाहते हैं वह जल्दी आ जाय।